खण्ड ५—अंक १
१६ जुलाई, १९५६ (सोमवार)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

**1st Lok Sabha**

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

169 L.S.

# विषय सूची


पृष्ठ

**सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण** . . . १

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . . १–२४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . २७–३७

**दैनिक संक्षेपिका** . . ३८–३९

# लोक-सभा

# वाद विवाद

भाग १--प्रश्नोत्तर

खण्ड ५, १९५६

(१६ जुलाई से १० अगस्त, १९५६)

तेरहवां सत्र, १९५६

(खंड ५ में अंक १ से अंक २० तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

5--188 L. S./56.

# विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त )


पृष्ठ

**अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

**अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

**अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

**अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

**अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

**अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

**अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

**अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

**अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

**अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३०–३२

**अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

**अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

**अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

**अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ६१४–१६

**अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

**अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७०५–०६

पृष्ठ

**अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

**अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

**अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

**अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

# लोक--सभा

## अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

## उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

## सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री कृ० सु० राघवाचारी
,, उपेन्द्र नाथ बर्मन
,, फ्रैंक ऐन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
,, सुषमा सेन

## सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

## कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार **(सभापति)**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्यनारायण सिंह
,, अ० म० थामस
,, नरहरि विष्णु गाडगिल
,, नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
,, देवकान्त बरुआ
,, म० ला० द्विवेदी
,, रघुवीर सहाय
,, अशोक मेहता
,, ब० रामचन्द्र रेड्डी
,, उमा चरण पठनायक
,, जयपाल सिंह



1—169 L. S./56

## विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
,, सत्यनारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देवकान्त बरुआ
,, वेंकटरामन्
,, टेकूर सुब्रह्मण्यम्
,, नेमि चन्द्र कासलीवाल
,, अ० क० गोपालन
आचार्य कृपलानी
श्री शं० शा० मोरे
,, फ्रैंक एन्थनी
,, नेमी शरण जैन
,, रामसहाय तिवारी
,, लक्ष्मण सिंह चांड़क

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (**सभापति**)
,, गणेशी लाल चौधरी
,, राम शंकर लाल
,, चांड़क
,, पैडी लक्ष्मय्या
,, महेन्द्र नाथ सिंह
,, शिवराम रांगो राने
,, फूलसिंहजी ब० डाभी
,, भगवत झा आज़ाद
,, रामदास
,, उ० मू० त्रिवेदी
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
,, क० म० वल्लाथरास
,, विज्ञेश्वर मिश्र

## आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्री कृ० सु० राघवाचारी (**सभापति**)
,, जसवन्त राज मेहता
,, त० ब० विट्ठल राव
,, दामोदर मेनन
,, ए० अ० था० बैरो
,, अनिरुद्ध सिन्हा
,, राधाचरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्णचन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसंत कुमार दास
,, भूपेन्द्र नाथ मिश्र
,, वैंकटा रमन्
पंडित लिंगराज मिश्र

## लाभ पदों सम्बन्धी समिति

### लोक-सभा

पंडित ठाकुर दास भार्गव (**सभापति**)
श्री व० बा० गांधी
,, सै० वें० रामस्वामी
,, रघुरामैया
,, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
,, धुलेकर
,, अनिरुद्ध सिन्हा
,, शं० शा० मोरे
,, कमल कुमार बसु
,, न० रामशेषय्या

### राज्य-सभा

श्री म० गोविन्द रेड्डी
काज़ी करीमुद्दीन
श्री अमोलक चन्द
प्रोफेसर ग० रंगा
श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

## याचिका समिति

श्री कोता रघुरामैया
,, शिवदत्त उपाध्याय
,, के० टी० अच्युतन्
,, सोहन लाल घुसिया
,, सु० चं० देव
,, लीलाधर जोशी
,, उ० रा० बोगावत
,, जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
,, रामराज जजवाड़े
,, रेशम लाल जांगड़े
,, पां० ना० राजभोज
,, पो० सुब्बा राव
,, आनन्द चन्द
डा० च० व० रामाराव
श्री रामजी वर्मा

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री रघुनाथ सिंह
,, नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
,, गणेश सदाशिव आल्तेकर
,, गोस्वामी राजा सहदेव भारती
,, नरेन्द्र प्रा० नथवानी
,, राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इलापाल चौधरी
श्री न० राचय्या
,, नटवर पांडे
,, भवानी सिंह
,, त० ब० विट्ठलराव
,, माधव रेड्डी
,, नी० श्रीकान्तन नायर
,, रायसाम शेषगिरि राव

## अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (**सभापति**)
,, सै० वें० रामस्वामी
,, न० मा० लिंगम्
,, अ० इब्राहीम
,, हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
,, टेक चन्द
,, गणपति राम
,, नन्दलाल जोशी
,, दीवान चन्द शर्मा
,, हेमराज
,, ह० सिद्धनंजप्पा
डा० कृष्णास्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
,, हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
,, म० शि० गुरुपादस्वामी

## प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता (**सभापति**)
,, ब० स० मूर्ति
श्रीमती खोंगमेन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
,, चांडक
,, अमरनाथ विद्यालंकार
,, वेंकटेश नारायण तिवारी
,, सतीशचन्द्र सामन्त
,, राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
,, म० रं० कृष्ण
,, जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
,, भवानी सिंह
,, पो० सुब्बा राव
,, पां० ना० राजभोज
,, विष्णु घनश्याम देशपांडे
,, सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी

श्री च० रा० नरसिंहन्
,, रघुवीर सहाय
पंडित अलगूराय शास्त्री
श्री अब्दुसत्तार
,, लक्ष्मणसिंह चांडक
,, न० राचैया
,, राधेश्याम रामकुमार मुरारका
,, मंगलगिरि नानादास
,, त० ब० विट्ठल राव
,, गाडलिंगन गौड़
,, जसवन्तराज मेहता
,, ए० अ० धा० बैरो
,, चौइथराम परताबराय गिडवानी

**सामान्य प्रयोजन समिति**

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
,, फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
,, सुषमा सेन
श्री कृ० सु० राघवाचारी
,, ब० गो० मेहता
,, व० बा० गांधी
,, सत्यनारायण सिंह
,, नि० चं० चटर्जी
,, थोता रघुरामैया
,, आल्तेकर
,, उ० श्री० मल्लय्या
,, अ० क० गोपालन
,, तुलसीदास किलाचन्द
आचार्य कृपलानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० कृष्णा स्वामी

### आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या (**सभापति**)
,, बीरबल सिंह
,, राधाचरण शर्मा
,, जार्ज थामस कौट्टुकपल्ली
,, दिग्विजय नारायण सिंह
,, कृष्णाचार्य जोशी
,, न० सोमना
,, भूपेन्द्र नाथ मिश्र
,, न० दो० गोविन्दस्वामी काचिरोयर
,, राजचन्द्र सेन
,, नम्बियार
,, म० शि० गुरुपादस्वामी

## संसद–सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति

### लोक-सभा

श्री सत्यनारायण सिंह (**सभापति**)
,, भागवत झा आज़ाद
,, उ० श्रीनिवास मल्लया
,, दीवान चन्द शर्मा
,, जगन्नाथ कोले
,, गो० ह० देशपांडे
,, नेमिचन्द्र कासलीवाल
,, नि० चं० चटर्जी
,, पुन्नूस
,, अशोक मेहता

### राज्य-सभा

श्री ह० च० दासप्पा
,, द० नारायन
,, राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री वें० कृ० दागे

# पुस्तकालय समिति

**लोकसभा**

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री वें० ना० तिवारी
,, म० ला० द्विवेदी
,, उ० च० पटनायक
,, मो० दि० जोशी
,, ही० ना ० मुकर्जी

**राज्य-सभा**

श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'
,, थ्योडोर बोद्रा
श्रीमती लीलावती मुन्शी

# लोक लेखा समिति

**लोक-सभा**

श्री व० बा० गांधी (**सभापति**)
,, कृ० गु० देशमुख
,, उ० श्री० मल्लय्या
,, दीवान चन्द्र शर्मा
,, च० द० पांडे
,, क० कु० बसु
,, बूवराघस्वामी
डा० इन्दुभाई ब० अमीन
श्री निवारन चन्द्र लाश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
,, राधेलाल व्यास
,, मात्तन
आचार्य कृपलानी
श्रीमती शकुन्तला नायर

**राज्य-सभा**

श्री ग० रंगा
,, रा० मा० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास

श्री श्यामधर मिश्र
,, प्रै० था० ल्यूवा
,, बि० कु० घोष
,, वल्लभराव

**नियम-समिति**

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्यनारायण सिंह
,, न० केशव आय्यंगार
,, शिवराम रांगो राने
,, घमंडी लाल बंसल
,, खुशीराम शर्मा
,, कोता रघ्रामैया
,, सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
,, नि० चं० चटर्जी
,, भवानी सिंह
,, कमल कुमार बसु
,, कृ० सु० राघवाचारी

## भारत सरकार

**मंत्रिमंडल के सदस्य**

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री, और आणविक शक्ति विभाग के भी प्रभारी–श्री जवाहर लाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री––मौलाना अबुल कलाम आजाद
गृह कार्य मंत्री––पंडित गोविन्द वल्लभ पंत
संचार मंत्री––श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री––राजकुमारी अमृतकौर
वित्त मंत्री––श्री चि० द्वा० देशमुख
योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री––श्री गुलजारी लाल नंदा
प्रतिरक्षा मंत्री––डा० काटजू
वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री––श्री कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री––श्री विश्वास
रेलवे तथा परिवहन मंत्री––श्री ला० ब० शास्त्री
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री––सरदार स्वर्ण सिंह
उत्पादन मंत्री––श्री क० च० रेड्डी
खाद्य और कृषि मंत्री––श्री अ० प्र० जैन
श्रम मंत्री ––श्री खंडूभाई देसाई
बिना विभाग के मंत्री––श्री कृष्ण मेनन
मंत्रिमंडल की कोटि के सदस्य (किन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं) संसद्-कार्य मंत्री––श्री सत्य-नारायण सिंह
प्रतिरक्षा संगठन मंत्री––श्री महावीर त्यागी
सूचना और प्रसारण मंत्री––डा० बा० वि० केसकर
व्यापार मंत्री––श्री करमरकर
कृषि मंत्री––डा० पं० शा० देशमुख
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री––डा० सय्यद महमूद
विधि-कार्य मंत्री––श्री हरि विनायक पाटस्कर
प्राकृतिक संसाधन मंत्री––श्री क० दे० मालवीय
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री––श्री म० च० शाह
राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री––श्री अरुण चन्द्र गुह
पुनर्वास मंत्री––श्री मेहरचन्द खन्ना
उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री––श्री नित्यानन्द कानूनगो
संचार मंत्रालय में मंत्री––श्री राजबहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री––श्री दातार
भारी उद्योग मंत्री––श्री म० म० शाह

## उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री––सरदार सु० सिं० मजीठिया
श्रम उपमंत्री––श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री––श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री––श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री––श्रीमती म० चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री––श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य और कृषि उपमंत्री––श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री––श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन मंत्री––श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री––श्री श्याम नन्दन मिश्र

शिक्षा उपमंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
शिक्षा उपमंत्री—श्री म० मो० दास

## सभासचिव

वैदेशिक विभाग के मंत्री के सभासचिव—श्रीमती लक्ष्मी न० मेनन
रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव—श्री शाहनवाज़ खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव—श्री जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका
उत्पादन मंत्री के सभासचिव—श्री राजाराम गिरिधारीलाल दुबे
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव—श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभासचिव—श्री जी० राजगोपालन
निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव—श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

**खण्ड ५—भारत की प्रथम संसद के तेरहवें सत्र का प्रथम दिन—अंक १**


## लोक-सभा

सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार** पीठासीन हुए]

## सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री आनन्द चन्द्र जोशी (शाहडोल सीधी)

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### पाकिस्तान से जिप्सम

†*१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिप्सम खरीदने के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस खरीद का मूल्य सिंदरी में प्रयोग किये जाने वाले राजस्थानी जिप्सम के मूल्य की तुलना में कैसा है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) स्टेट्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट कारपोरेशन के साथ १,५०,००० टन जिप्सम खरीदने के लिये एक करार किया है।

(ख) करार की मुख्य शर्तों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १**]

(ग) राजस्थानी जिप्सम का औसत भाव रेल व्यय इत्यादि मिला कर सिंदरी में ३४ रुपये प्रति टन पड़ता है, और पाकिस्तानी जिप्सम का औसत भाव रेल व्यय सहित ४० रुपये प्रति टन पड़ेगा। पाकिस्तानी जिप्सम बढ़िया किस्म का है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या करार करने से पूर्व स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने दूसरे देशों से भी टेंडर मंगाये थे, यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री क० च० रेड्डी** : किसी भी देश से टैंडर प्राप्त नहीं हुए थे । बातचीत सीधी पाकिस्तान से ही हुई थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : पाकिस्तानी जिप्सम की किस्म राजस्थानी जिप्सम के मुकाबले में कैसी है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जैसा कि मैंने अभी कहा है कि पाकिस्तानी जिप्सम बढ़िया किस्म का है । इसमें ९३ प्रतिशत कैलशियम सल्फेट है । इसके अतिरिक्त कई और प्रकार से भी वह बढ़िया किस्म का है ।

†**डा० रामा राव** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि मूल्य ४० रुपये है, परन्तु मुझे ऐसा याद पड़ता है कि वितरण में मैंने १३ रुपये पढ़ा है ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : माननीय सदस्य किस विवरण की चर्चा कर रहे हैं ?

†**डा० रामा राव** : इसी प्रश्न के उत्तर में दिये गये विवरण का ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : १३ रुपये रेल भाड़ा सहित वरगा में पड़ता है और सिंदरी तक रेल व्यय इत्यादि व्यय मिला कर ४० रुपये पड़ता है ।

†**डा० रामा राव** : क्या परिवहन व्यय २७ रुपये टन पड़ता है और जिप्सम की कीमत केवल १३ रुपये है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह ठीक है, पर क्या किया जा सकता है ।

†**श्री बंसल** : क्या यह वस्तु विनिमय समझौता है, यदि हां, तो भारत बदले में क्या देगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह वस्तु विनिमय समझौता नहीं है । यह तो नियमित नकद खरीद है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या जितनी मात्रा के संभरण का सौदा हुआ है, वह सारी एक साथ ही दे दी जायेगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह सब एक वर्ष की अवधि में प्राप्त की जायेगी ।

†**सेठ अचलसिंह** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान में जिप्सम की कमी है इस लिये पाकिस्तान से मंगाना पड़ता है ?

†**श्री क०च० रेड्डी** : सिंदरी अपना रक्षित स्टाक बढ़ाना चाहता था सिंदरी की आवश्यकतायें दिन प्रति दिन बढ़ रही है और वहां फालतू स्टाक रखना भी जरूरी समझा गया । राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में जिप्सम प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं था, इसलिये स्टाक रखने के लिये पाकिस्तान से जिप्सम मंगाना पड़ा ।

## त्रावनकोर-कोचीन राज्य के परियोजना क्षेत्र

†*३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि ट्रावनकोर-कोचीन राज्य के परियोजना क्षेत्रों से किसानों को निकाला जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या सरकार परियोजना क्षेत्र से निकाले जाने वालों सभी लोगों की जीवन सुविधा के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध करने की प्रस्थापना करती है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क)से(ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

**औद्योगिक आवास योजना**

†*४. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड ने औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के लिये घर बनाने की स्वीकृति दिये जाने की प्रार्थना की थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** (क) जी, हां ।

(ख) मई, १९५६ में परियोजना स्वीकार कर ली गयी थी ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या कम्पनी ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त कुछ ऋण की मांग भी की थी और क्या सरकार ने उसके निर्माण कार्य के पूर्ण किये जाने पर समय सीमा सम्बन्धी कोई शर्त भी लगाई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : कम्पनी ने केवल आर्थिक सहायता की ही मांग की थी, और योजना नवम्बर, १९५६ तक पूर्ण हो जायेगी ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : औद्योगिक कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी कठिनाईयों और आवास योजना के अन्तर्गत दिये गये धन के उपयोग न किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार प्रत्येक उद्योग के लिये उन स्थानों पर, जहां आवास की सुविधाएं नहीं है, प्रत्येक वर्ष कुछ संख्या में मकान बनाने की शर्त्त को अनिवार्य करार देने का विचार करती है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह एक अधिक बड़ा प्रश्न है जिस पर योजना आयोग तथा व्यापार और उद्योग मंत्रालयों में जांच की जा रही है, परन्तु अभी तक कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है ।

**पश्चिमी पाकिस्तान में निष्क्रांत सम्पत्ती से सम्बन्धित विधि**

†*५ **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम पाकिस्तान के कस्टोडियन विभाग द्वारा निष्क्रान्त कानून के अन्तर्गत भारी संख्या में ऐसे हिन्दुओं को, जिनकी सम्पत्ति को निष्क्रांत घोषित की जा कर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, दिये गये नोटिसों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान अधिकारियों की इस कार्यवाही के कारण सिंघ (पश्चिम पंजाब) से हिन्दुओं का प्रव्जन बढ़ गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** :. (क) हां ।

(ख) कोई बहुत बड़ी सीमा तक नहीं

(ग) पाकिस्तान के शरणार्थी और पुनर्वास मंत्री को लिखे गये एक पत्र में हमारे पुनर्वास मंत्री ने नोटिसों के वापिस लिये जाने के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या व्यापारियों, जमीनदारों, छोटे छोटे दुकानदारों और हरिजनों को दिये गये इस नोटिस के सम्बन्ध में सरकार को जानकारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नोटिस कितना लम्बा है ।

†**श्री गिडवानी** : केवल चार वाक्य हैं । "इस बात पर विश्वास करने के पूरे कारण है कि तुम एक निष्क्रांत व्यक्ति हो (जिसमें निष्क्रांत होने की इच्छा करने वाला भी सम्मिलित है) इसलिये तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम इस नोटिस के प्राप्त होने के १५ दिन के भीतर अपने कब्जे की सारी सम्पत्ति सरकार के हवाले कर दो, अन्यथा तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी । इसके अलावा तुमको इस सम्पत्ति से प्राप्त किराये और नफे का हिसाब देने का भी आदेश दिया जाता है" ।

†**श्री सादत अली खां** : माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को इस नोटिस की जानकारी है ।

†**श्री सादत अली खां** : हां ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन जनरल ने यह गुप्त आदेश दिये हैं कि ऐसे मालिकों को भी सम्पत्ति वापिस न की जाय जिन्होंने कि सक्षम स्रोतों से यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिये हैं कि उनकी सम्पत्ति निष्क्रांत सम्पत्ति नहीं थी और उन्हें इस सम्बन्ध में नये प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिये कि उनकी सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं थी ।

†**श्री सादत अली खां** : हमें इस बात का पता लगा है कि छोटे बड़े जमीनदारों, छोटे छोटे दुकानदारों और हरिजनों को यह नोटिस दिये गये हैं । अभी इसी समय मैं उन गुप्त आदेशों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, जिसकी कि माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं । परन्तु घटनाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सूचना प्राप्त नहीं कर रहे, सूचना दे रहे हैं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या मैं जान सकता हूं, इन नोटिसों के जारी किये जाने के पश्चात कितने हिन्दुओं ने भारत आने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है ?

†**श्री सादत अली खां** : हमने काफी संख्या में प्रव्रजन प्रमाण पत्र दिये हैं । आपकी आज्ञा से उनकी संख्या भी बताये देता हूं । १९५६ के जनवरी मास में ४४ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों की कुल संख्या ११८ । जून १९५६ तक प्रमाण पत्रों की संख्या ९५ हो गयी और प्रमाण पत्र लेने वालों की कुल संख्या २३० तक पहुंच गयी ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने लोगों को यह नोटिस दिये गये है ।

---

†मल अंग्रेजी में ।

†**श्री सादत अली खां** : जिन लोगों को नोटिस दिये गये हैं उनकी संख्या तथा इन नोटिसों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति के बारे में भारत सरकार को कुछ जानकारी नहीं। हमें कुछ पता नहीं है।

## फिल्म निर्माण ब्यूरो

†*६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक फिल्म निर्माण ब्यूरो के संगठन व स्थापना के बारे में तब से क्या प्रगति हुई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : इसके बारे में एक बिल (विधेयक) तैयार किया जा रहा है जिसे सदन के अगले अधिवेशन में पेश किया जायेगा।

मैं यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि इसके नाम से गलतफहमी हो सकती है। इसका काम फिल्म का जो स्क्रिप्ट तैयार होती है उसको पहले से देखने का है। कोई फिल्म (चल-चित्र) बनाने का काम नहीं है।

**श्री भक्त दर्शन** : जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि फिल्म निर्माण ब्यूरो का नाम भ्रमात्मक है, तो क्या इस नाम के बदलने पर विचार किया जा रहा है ?

**डा० केसकर** : यह नाम जहां इस प्रकार का काम अमरीका में होता है वहां से लिया गया है लेकिन अगर यह मालूम होगा कि इस नाम से कुछ गलतफहमी पैदा होती है तो नाम बदल भी दिया जा सकता है।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि जो सेंशरशिप (विवाचन) की इस समय व्यवस्था है उसके बावजूद भी अधिकांश चलचित्रों में अनैतिकता और नग्न नृत्य आदि के चित्र प्रदर्शित होते रहते हैं तो उन्हें क्या इस बात का विश्वास है कि यह जो नई व्यवस्था की जा रही है उसके द्वारा यह दोष दूर किये जा सकेंगे और सुरुचिपूर्ण चित्र तैयार किये जा सकेंगे।

**डा० केसकर** : यह जो नई व्यवस्था हो रही है यह सैंशरशिप के काम को सहूलियत के साथ कर सकने के लिये की जा रही है। अब सेंशरशिप और किस मर्यादा तक बढ़ सकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा उपयोगी हो सकती है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या फिल्म निर्माण ब्यूरो नामक इस विभाग को भारत के बालकों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने का अनुदेश दिया गया है, और क्या इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कुछ विशेष चलचित्र तैयार करने की योजना भी बनाई गई है ?

†**डा० केसकर** : मैंने हिन्दी में यही कहा था कि इसका नाम शायद भ्रमात्मक है, और वह अमरीका को इसी प्रकार के एक विभाग से लिया गया है। वास्तव में यह विभाग चलचित्र की स्क्रिप्टों के पूर्व विवाचन के लिये है।

## बीड़ी बनाने की मशीनें

†*७. **पंडीत द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५४ के संविधि पुस्तिका में सम्मिलित किये जाने के बाद से बीड़ी बनाने की कितनी मशीनों ने उत्पादन बन्द कर दिया;

(ख) क्या ये मशीनें अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त की जा रही हैं; और

(ग) क्या नेपाल और पाकिस्तान में भारतीय बीड़ियों की अच्छी खपत हो रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) १९५४ में बीड़ी बनाने की कुछ मशीनों के कार्य करने का समाचार मिला था। मशीनों से बनी बीड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बाद अब बीड़ी बनाने की किसी भी मशीन के चलने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : कुल कितनी मशीनें थीं, और क्या सरकार ने उन मशीनों को किसी अन्य कार्य में लगाने का विचार किया है?

†**श्री म० म० शाह** : प्राप्त समाचार के अनुसार, कोई ५४ छोटी मशीनें थीं। अन्य उत्पादन शुल्क लगाये जाने के बाद, वे सभी बन्द पड़ी हैं। इन मशीनों को किसी अन्य कार्य में लगाने की कोई भी वैकल्पिक योजना नहीं है।

†**श्री गजेंद्र प्रसाद सिन्हा** : क्या भारत सरकार की नीति बीड़ी को मशीनों द्वारा बनाये जाने की अनुमति न देने और उसका उत्पादन कुटीर उद्योगों तक ही सीमित रखने की है?

†**श्री म० म० शाह** : जी, हां; क्योंकि उस पर बहुत अधिक उत्पादन शुल्क का भार डाल दिया गया है, जिससे कि मशीन द्वारा बीड़ी तैयार करने वाले निर्माण कर्त्ताओं के लिये उसका उत्पादन लाभदायक नहीं रह जायेगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या नेपाल और पाकिस्तान में भेजी जाने वाली बीड़ियों का परिमाण बहुत अधिक कम हो गया है?

†**श्री० म० म० शाह** : यह सही है। वास्तव में, १९५५–५६ नेपाल को किया जाने वाला निर्यात बिल्कुल शून्य रहा है और पाकिस्तान को किया जाने वाला निर्यात १२,२०९ रुपयों के मूल्य का ही रहा है।

## उत्तर बिहार में कताई मिल

†***८. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने उत्तर बिहार में एक कताई मिल खोलने की एक योजना केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन और सहायता के लिये भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) अभी तक नहीं। बिहार सरकार से एक सहकारी कताई मिल खोलने के एक प्रस्ताव के एक महीने में मिलने की आशा है। तभी उस पर विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि नार्थ (उत्तर) बिहार जो कि एक एग्रीकल-चरिस्ट (खेतिहर) इलाका है वहां स्पिनिंग (कताई) मिल खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या सहायता करना चाहती है?

**श्री म० म० शाह** : सब सहायता करेगी।

**श्री विभूति मिश्र**: अभी आपने बतलाया कि वहां पर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल (सहकारी कताई मिल) खुलेंगी तो मैं जान सकता हूं कि उसमें केन्द्रीय सरकार का क्या अनुदान रहेगा, प्रान्तीय सरकार का क्या रहेगा और जनता का क्या रहेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में।

**श्री म० म० शाह** : अभी तक दरख्वास्त ही नहीं आई है, जब दरख्वास्त आयेगी तो हैंडलूम (हाथकरघा) बोर्ड का जो नियम हैं उनके अनुसार मदद की जायेगी ।

†**श्री बंसल** : क्या बिहार सरकार की ओर से किया गया यह अनुरोध भारत सरकार की उस योजना का ही एक भाग है जिसके अन्तर्गत कपास पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों में तीन या चार कताई मिलें स्थापित की जाती हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : जी, नहीं । एक सहकारी कताई मिल स्थापित करने का यह अनुरोध उक्त सरकार का एक व्यक्तिगत अनुरोध है ।

†**श्री बोगावत** : क्या सरकार देश के कुछ भागों, विशेषकर महाराष्ट्र और अन्य भागों में नई कताई मिलें खोलने की अनुमति देने को तैयार है ?

†**श्री म० म० शाह** : सूती कपड़े सम्बन्धी नयी नीति के अन्तर्गत, सरकार तीन कताई इकाइयां स्थापित करने का विचार कर रही है, जिनमें से एक दक्षिणी महाराष्ट्र में, दूसरी पंजाब में और तीसरी ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में होगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि अब इसके बादकोई भी कताई मिल स्थापित नहीं की जायेगी और अम्बर चर्खा चालू किया जायेगा ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : कुछ समय पूर्व सरकार ने निश्चित कर लिया है कि नये स्थापित किये जाने वाले तकुओं की कुल संख्या के सम्बन्ध में एक सीमा निर्धारित कर दी जायेगी । उसी सिलसिले में, चालू अनुज्ञप्तियों के रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाले तकुओं की संख्या को ध्यान में रखा गया है । और साथ ही, नये अनुमति योग्य तकुओं की अतिरिक्त कुल उपलब्ध संख्या का बंटवारा इस प्रकार किया जायेगा कि जिससे वह सबसे अधिक समन्यायय रहे और सहकारी कताई इकाइयों के उद्देश्य को पूरा करने का साधन बन सके ।

## चलती चलचित्र प्रदर्शन गाडियां

†*१०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक पेप्सू के सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों को कितनी चलती चलचित्र प्रदर्शन गाडियां दी गई हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : छः ।

## मशीनों के क्रयाविक्रय की योजना

†*११. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय छोटे उद्योग निगम द्वारा स्वीकृत की गई मशीनों के क्रयावक्रय की योजना से अभी तक किन-किन छोटे पैमाने के उद्योगों ने लाभ उठाया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २**]

†**श्री झूलन सिंह** : क्या योजना के कार्य संचालन में कोई रुकावट है जिसके कारण अभी तक केवल १५ एककही इस योजना से लाभ उठा सके हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : नहीं । उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । वस्तुतः अब तक १५ मामलों ने माल दे दिया हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री झूलन सिंह** : इस योजना के अन्तर्गत कितने एककों ने सहायता की मांग की है ?

†**श्री म० म० शाह** : कलकत्ता में ६३, मद्रास में २२२, बंबई में ६६, और दिल्ली में ९४ आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं ।

†**श्री बंसल** : यह आवेदन पत्र कितनी देर से मंत्रालय में निर्णय किये जाने के लिये पड़े हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : मैं ठीक ठीक समय तो नहीं बता सकता । परन्तु मेरा अनुमान है कि चार मास से अधिक समय नहीं हुआ है ।

## त्रिपुरा में बाढ़

†*१२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में अगरतला नगर में आई बाढ़ के कारण कितने विस्थापित व्यक्ति मर गये;

(ख) जो मकान बह गये थे उनमें से कितने सरकार से सहायता अथवा ऋण लेकर बनाये गये थे;

(ग) क्या त्रिपुरा के बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों को कोई विशेष सहायता दी गयी है; और

(घ) इसके सम्बन्धि किस प्रकार की सहायता की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) समाचार मिला है कि बाढ़ के कारण अगरतला में ११ व्यक्ति मरे हैं उनमें से जिन दो व्यक्तियों को पहचाना जा सका था वे विस्थापित व्यक्ति नहीं थे ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) और (घ). बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये राज्य सरकार को एक लाख रुपया दिया गया था ।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व सरकार द्वारा बाढ़ में बह गये मकानों और मिट्टी की जांच की जा रही है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न पुनः पूछें ।

†**श्री बीरेन दत्त** : अगरतला नगर के लगभग ९० प्रतिशत मकान बह गये हैं परन्तु मंत्रालय का उत्तर नकारात्मक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से कोई मकान नहीं बनाया गया है ।

†**श्री बीरेन दत्त** : बहुत से विस्थापित व्यक्तियों के मकान और उनकी मिट्टी बह गई है । क्या सरकार ने वास्तव में इस प्रश्न के बारे में कोई जांच की है ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने बताया कि कोई मकान नहीं बहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । विवाद तथ्यों के बारे में है ।

## स्ट्रेप्टोमाइसिन का कारखाना

†*१४. **श्री मु० ला० अग्रवाल** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिम्परी के पैनिसिलीन कारखाने में स्ट्रैप्टोमाइसिन संयंत्र को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) स्टैप्टोमाइसिन के उत्पादन की प्रारम्भिक योजनायें तैयार कर ली गई हैं, इस योजना से प्रति वर्ष १५,००० से २०,००० किलोग्राम स्टैप्टोमाइसिन का उत्पादन किये जाने की आशा है । कई बड़े बड़े सार्थो से वे शर्तें पूछी गई हैं जिनपर कि वे इस परियोजना में सम्मिलित होने के लिये तैयार होंगे ।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : संयन्त्र पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : अनुमान लगाया गया है कि इस योजना पर लगभग १११ लाख रुपये लागत आयेगी ।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल** : प्रविधिक कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे विचार से इस समय प्रविधिक कर्मचारी प्राप्त करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा रही है । योजना के स्वीकृत किये जाने पर और प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर उस समय हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : इस कारखाने का प्रशासनिक नियन्त्रण किसके हाथ में होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के या उत्पादन मंत्रालय के ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : कौन सा कारखाना ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : स्टैप्टोमाइसिन फैक्टरी ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह पिम्परी के पैंनिसिलीन कारखाने का एक महत्वपूर्ण अंग होगा, जो कि उत्पादन मंत्रालय के अधीन है ?

†**डा० रामा राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने बहुत बढ़िया किस्म की पैंनिसिलीन का उत्पादन करके इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि गत कई मास से मंत्री महोदय इस स्टैप्टोमाइसिन के कारखाने के खोले जाने का वचन देते रहे हैं, सरकार ने अन्य ऐंटीबायोटिक्स का, जिनकी संख्या बाजार में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उत्पादन करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस विषय में भेषजीय जांच समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं । ऐंटी-बायोटिक्स उद्योग और औषधि उद्योग के विकास के सम्बन्ध में एक समिति अनुसन्धान कर रही है । कुछ रूसी विशेषज्ञों ने, जिन्हें इस प्रयोजन के लिये आमंत्रित किया गया था, एक योजना प्रस्तुत की है । इस समूचा मामला विचाराधीन है ।

## कपड़े के कारखाने

† *१५. **श्री बोगावत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कपड़े के कारखानें में कितने तकुये चालू हैं ;

(ख) १९५५–५६ और १९५६ में अब तक कितने नये तकुओं के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार १९५६–५७ में और तकुओं के लिये अनुज्ञप्तियां देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उन की संख्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) १–१–१९५६ को उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में सूती कपड़े के कारखानों में कुल १२०·५ लाख तकुये चालू थे।

(ख) १९५५–५६ में १४७३,००७ अनुज्ञप्तियां दी गई, १९५६–५७ में अभी तक कोई अनुज्ञप्तियां नहीं दी गई हैं।

(ग) जी हां, परन्तु २१ लाख तकुओं से अधिक नहीं, इनमें वह १९ लाख तकुये भी सम्मिलित हैं जिनके लिये अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं परन्तु जिनको अभी लगाया नहीं गया है।

(घ) वास्तव में और कितने तकुओं के लिये अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी इस प्रश्न पर ये विचार किया जा रहा है।

†**श्री बोगावत** : क्या और तकुये लगाना हाथ करघा कताई उद्योग और विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये हानिकर नहीं होगा ?

†**श्री म० म० शाह** : नहीं, श्रीमान्।

†**श्री बोगावत** : क्या यह सच नहीं है कि हाथकरघा और ग्राम उद्योग बोर्ड ने नये तकुये लगाने के विचार के स्थगित किये जाने के लिये आग्रह किया है ?

†**श्री म० म० शाह** : हाथकरघा बोर्ड ने ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं किया है। इस पर उस समय विचार किया गया है जब कि १९ लाख तकुओं की अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी थीं। शेष तकुओं की संख्या केवल दो लाख हैं।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या कपड़े के कारखानों में अधिक तकुओं की स्वीकृति दिये जाने से हाथ-करघा उद्योग को अत्यधिक हानि नहीं पहुंचेगी और उसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : वस्तुतः ३००० लाख गज अम्बर चरखे के लिये रक्षित कर दिया गया है, इसलिये इस उद्योग और अम्बर चरखे में कोई संघर्ष नहीं है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : इन नये तकुओं का बंटवारा किस आधार पर किया गया है ? क्या यह विभिन्न चालू कारखानों की क्षमता के आधार पर किया गया है या कि आवेदन पत्रों के आधार पर ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : प्रति व्यक्ति १८.५ गज कपड़ा उत्पादन करने की गणना लेखे के आधार पर आवंटन किया गया था।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : जैसा कि पहले डर था क्या बाद के वर्ष में तकुओं के लिये अनुज्ञप्तियों दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से तकुओं में कोई चोर बाजारी हुई है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मुझे यही बताया गया है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : इन निर्बंधों के लागू किये जाने से पूर्व तथा अब जो मूल्य हैं उनकी तुलना में इन तकुओं के मूल्य की स्थिति क्या है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : तकुओं के मूल्यों में चोर बाजारी मामले के उस पहलू के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे अपने माननीय मित्र जैसे व्यक्तियों से ज्ञात हुआ है कि कुछ चोर बाजारी होती है, याने कहना चाहिये कि लाइसेंसों के मूल्य यहां वहां कुछ हजार रुपये बढ़ गये हैं। किन्तु मैं उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकता हूं। फिर भी यदि मुझे किसी किसी बात का पता लगा है तो स्वाभाविक है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या मैं जान सकता हूं कि नये लाइसेंस देने से पूर्व क्या हाथकरघा बोर्ड की राय ली जायेगी ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : हाथकरघा बोर्ड से इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री बोगावत** : क्या यह सच नहीं है कि नये तकुओं की स्थापना के बारे में ग्रामोद्योग बोर्ड शिकायत कर रहा है और सरकार ने उन्हें इस आशय का वचन दिया है कि १९५८ में कोई नये तकुए स्थापित नहीं किये जायेंगे ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : मुझे तो माननीय सदस्य से ही यह ज्ञात हुआ है ।

## अपहृत स्त्रियों कि पुनः प्राप्ति

†*१६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक भारत और पाकिस्तान में पुनः प्राप्त की गई अपहृत महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि में भारत और पाकिस्तान को लौटा दी गई महिलाओं की कुल संख्या कितनी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ३१ मई, १९५६ तक भारत में ३१ मुसलमान अपहृत व्यक्ति तथा पाकिस्तान में १५६ हिन्दू अपहृत व्यक्ति पुनः प्राप्त किये गये;

(ख) उक्त अवधि में पुनः प्राप्त किये गये १२८ मुसलमानों को उनके सम्बन्धियों के पास भेजे जाने के लिये पाकिस्तान स्थानान्तरित किया गया और ५५ अपहृत हिन्दुओं को भारत वापिस लाया गया ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि लाहौर के मार्गस्थ कैम्प में इस समय ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने लाहौर स्थित उक्त कैम्प को बन्द करने का सुझाव दिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं, ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है ।

†**श्री टेकचंद** : क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त मार्गस्थ कैम्प में ऐसी कितनी कथित अपहृत महिलायें हैं जिनके मामले को अन्तिम रूप से निबटाया जाना बाकी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पाकिस्तान के बारे में मैं पहले ही यह उत्तर दे चुका हूं कि जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री टेकचंद** : भारत में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : भारत में यह संख्या अधिक तो नहीं होगी, किन्तु मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री टेकचंद** : भारत में जो मार्गस्थ कैम्प हैं उनमें ऐसी महिलाओं के बच्चों की संख्या कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वयं महिलाओं की ही संख्या विदित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री टेकचंद** : मेरा ख्याल था कि शब्द "व्यक्ति" में बच्चे भी आ जाते हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जो संयुक्त भारत-पाक आयोग नियुक्त किया गया था उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और यदि हो, तो क्या उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जो आयोग नियुक्त किया गया था उसने मतभेद होने के कारण कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। यह सुझाव दिया गया है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि एक सभा में मिलें और अब तक विलम्बित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। किन्तु इस प्रकार की किसी सभा की कोई अन्तिम तिथि अब तक निश्चित नहीं की गई है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : एक देश से किसी व्यक्ति को पुनः प्राप्त करके उसे दूसरे देश में स्थानान्तरित करने की यह जो योजना है उसके दोनों सरकारों द्वारा कब तक जारी रखे जाने की प्रस्थापना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित करना अत्यधिक कठिन है। किन्तु यह स्पष्ट है कि यदि यह प्रश्न बना रहा और ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें कि पुनः प्राप्त किया जाना है तथा जो अपने सम्बन्धियों के पास जाना चाहते हैं, तो इस संगठन को बन्द करना अत्यधिक कठिन होगा।

## अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्युत शक्ति कांग्रेस

†*१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रायटर के २० जून १९५६ के एक समाचार की ओर, जो भारतीय समाचार पत्रों म २१ जून को प्रकाशित हुआ और जिसमें वियना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० हान्स थिरिंग ने वियना में ५ वीं अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्युत् शक्ति कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए ब्रह्मपुत्रा की संभाव्य विद्युतशक्ति जनन क्षमता का वर्णन किया है, आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना करती है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि उन्होंने वियना सम्मेलन में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से बिजली बनाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिया था ?

**श्री हाथी** : उन्होंने कहा था कि चाइना में (संभावित क्षमता) पोटेंशल है, जिसमें से काफी बिजली उत्पन्न की जाती है।

**डा० राम सुभग सिंह** : इस पर भारत सरकार क्यों विचार नहीं करती ?

**श्री हाथी** : क्योंकि हमारे पास अभी इतना पोटेंशल है कि उसमें से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और जब तक हमारे देश में काफी पानी है, तब तक हम परदेश में नहीं जाना चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रह्मपुत्र का जितना उपयोग हम अपने देश में कर सकते हैं, उस पर चीन या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बांधने के लिये जो भी स्कीमें (योजनायें) हैं और प्रोजेक्ट (परियोजनायें) हैं, उनका क्या असर पड़ेगा, और उस असर को समझते हुए क्या गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) ने चाइना (चीन) की सरकार से या किसी और से बात-चीत करने की कोशिश की है ?

**श्री हाथी** : अभी चीन की सरकार ने कोई प्राजेक्ट बनाई ही नहीं है, वहां पर तो अभी (सर्वेक्षण) सर्वे हो रही है ।

**श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जहां पानी बहुत काफी है वहां हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट (जलविद्युत परियोजना) हो सकता है । आज भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में गंगोत्री के निकट हरसिल जैसे स्थान, जहां पानी काफी है और जहां पर प्राजेक्टस बन सकते हैं, तो क्या मैं जान सकती हूं कि विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच कराई जायेगी कि वे स्थान अच्छे हैं या नहीं ?

**श्री हाथी** : हां, जहां पानी काफी है और बिजली उत्पन्न करने के लिये (स्थान) साइट्स हैं, उन स्थानों का जरूर उपयोग किया जायेगा ।

## सीमेंट

*१८. **श्री रा० न० सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट पर नियंत्रण लगाने के बाद से उसकी मांग बढ़ गई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जब सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया गया था, तो सीमेंट विक्रेताओं के पास सीमेंट का स्टाक काफी दिनों तक पड़ा रहता था ?

**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख) जी, नहीं ।

†**डा० रामा राव** : मद्रास में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा दिये गये भाषण का मैं निर्देश कर रहा था जो **हिंदू** में प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमेन्ट में जो थोड़ी बहुत चोर बाजारी होती है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं । इसलिये क्या उसे देखते हुए सरकार सीमेन्ट का उत्पादन करने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि समाचार पत्रों द्वारा जो भी समाचार प्रकाशित किये जाते हैं वे सभी सत्य होते हैं ।

†**श्री कामत** : यह समाचार गलत है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : सरकारी कार्यों के लिये जितना सीमेन्ट दिया जाता है उसका सदुपयोग किया जाता है या नहीं, इसको देखने के लिये क्या सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जायेगी?

**श्री करमरकर** : सीमेन्ट तो कन्स्ट्रक्शन (निर्माण) के ही काम में आता है किसी दूसरे काम में नही आता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मेरा प्रश्न यह था कि नदी घाटी परियोजनाओं अथवा सामूहिक परियोजना क्षेत्रों आदि में निर्माण कार्यों के लिये सरकार द्वारा जो सीमेन्ट दिया गया है उसका उचित उपयोग किया जाता है या नहीं, और यदि नहीं तो क्या इस बात की जांच करने के लिये कि सीमेंट का उचित उपयोग किया जाता है या नहीं सरकार कोई व्यवस्था करने का इरादा रखती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० रामा राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बताया जाता है कि माननीय मंत्री ने यह कहा था कि सीमेन्ट में थोड़ी बहुत चोर बाजारी होना अवश्यम्भावी है, क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में जो फैक्टरियां हैं उनके अतिरिक्त और सीमेन्ट फैक्टरियों स्थापित करने का इरादा रखती है ?

†**श्री करमरकर** : चोर बाजारी के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि हमें ऐसी कोई जानकारी दी गई है तो अपराधियों को हम निश्चय ही कड़ा दंड देंगे।

†**श्री रघुरामय्या** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रस्तावित नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत भविष्य में अभिकरणों की नियुक्ति तथा उनके व्यवहार का किसी सरकारी अभिकरण द्वारा नियमन विचाराधीन है अथवा क्या उसे पहले की तरह ही सीमेन्ट निर्माताओं पर छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य से मैं एक अधिसूचना का निर्देश कर दूं जो कि २५ जून, १९५६ के भारत सरकार गजट असाधारण में प्रकाशित की गई है और जिसमें सभी संगत बातें दी गई हैं।

**श्री प० ला० बारुपाल** : क्या यह सही है कि राजस्थान में काफी मात्रा में सीमेंट न मिलने के कारण वहां पर जल कष्ट निवारण आदि कार्य रुके हुये हैं ?

**श्री करमरकर** : आजकल कुछ दिक्कत सीमेंट मिलने के बारे में थी, इसलिये हमने कुछ सीमेंट इम्पोर्ट (आयात) करने का इन्तजाम किया है, और मैं आशा करता हूं कि उससे हाल ठीक हो जायेगी।

†**श्री कृष्णमाचारी** : सरकारी अभिकरणों को दिये गये सिमेन्ट का उचित उपयोग किया जाता है या नहीं यह देखना सम्बन्धित मंत्रालय अथवा राज्य सरकार का दायित्व है। निश्चय ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी सरकारी अभिकरणों, केन्द्र और राज्य के समग्र पर्यवेक्षण की शक्ति अपने आपको प्रदान नहीं कर सकता है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सीमेन्ट की डिमांड (मांग) बढ़ी नहीं है। मुझे मालूम है कि देहातों में लोगों को सीमेन्ट मिल नहीं रहा है और लोग चाहते हैं कि उनको सीमेन्ट मिले। क्या सरकार ने देहातों में सीमेन्ट के बटवारे के बारे में कोई उपाय सोचा है और जो डिमांड बढ़ती जा रही है, उसको मीट (पूरा) करने के लिये कोई तरीका निकाला है ?

**श्री करमरकर** : मैंने कहा था कि नियंत्रण होने के बाद डिमांड नहीं बढ़ी है। यह तो पहले से ही बढ़ती आई है। देहातों के बारे में कोई पार्शियलिटी (पक्षपात) नहीं बरती जाती है और जिसको सीमेन्ट चाहिये दिया जाता है। अगर माननीय सदस्य के पास देहातों के बारे में कोई शिकायत है, तो वह उसे मेरे नोटिस में लायें और मैं उस तरफ खास तौर से ध्यान दूंगा।

## राज्यों में विकास आयुक्त

†*१९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाग 'क' और 'ख' राज्यों में विकास आयुक्त, विकास सचिवों के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य में विकास आयुक्त और विकास सचिव के काम दो भिन्न पदाधिकारियों द्वारा किये जाते हैं और इस कारण वहां पर विकास कार्यों को गति देने में कई प्रकार की कठिनाइयां और बाधायें आ रही हैं; और

(ग) क्या सरकार विकास कार्यों के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) बहुत से राज्यों में योजना विभाग के सचिव का काम, और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक परियोजनाओं के प्रभारी योजना आयुक्त का काम एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में तथ्यों का सुनिश्चिय किया जा रहा है और अपेक्षित उत्तर देते हुये एक विवरण यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मनीपुर का उपायुक्त विकास आयुक्त भी है; और क्या सरकार उस राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए एक अनुभवी तथा प्रवीण अधिकारी को, और जहां तक हो सके वहां के स्थानीय व्यक्ति को, नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : जैसा मैंने उत्तर में बताया है, हम इस विषय में यह सुनिश्चय कर रहे हैं कि क्या दोनों पदाधिकारियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ है। यदि हमें यह पता लगा कि दोनों में कोई अच्छे सम्बन्ध नहीं है, तब हम निश्चय ही उन्हें उचित परामर्श देंगे।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५५-५६ के वर्ष के लिये मनीपुर के आदिम जातिय क्षेत्रों के विकास के लिये मंजूर किये गये १५ लाख रुपये में से लगभग १२ लाख रुपये व्यपगत हो गये हैं और इस बड़ी राशि के व्यपगत होने का मुख्य कारण यह समझा जाता है कि उपायुक्त विकास कार्य के लिये उपयुक्त समय तथा शक्ति लगाने में असफल रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे कोई लाभ नहीं होगा। माननीय मंत्री ने कहा कि इस बात की पूछताछ की जा रही है कि क्या वास्तव में ये दोनों काम इकट्टे नहीं चल सकते, और यदि ऐसा अनुभव किया गया कि ये दोनों इकट्टे नहीं चल सकते तो निश्चय ही उन्हें अलग कर दिया जायेगा। माननीय सदस्य केवल कुछ तथ्य बता रहे हैं। वे उन्हें मंत्री महोदय के पास भेज दें।

†**श्री श० व० ल० नरसिंहम्** : प्रश्न यह है कि राशि व्यपगत हो गयी है या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने राशि का व्यपगत होना एक कारण बताया है।

†**श्री श० व० ल० नरसिंहम्** : अनुपूरक प्रश्न यह था कि क्या राशि व्यपगत हो गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्होंने प्रश्न पूछा था या जानकारी दी थी ? मैं समझता हूं कि उन्होंने इसे जानकारी के रूप में इस बात के आधार के लिये दिया है कि इन दोनों विभागों को अलग कर दिया जाये।

†**श्री श० व० ल० नरसिंहम्** : उन्होंने जानकारी मांगी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि १५ लाख में से १२ लाख रुपये व्यपगत हो गये हैं ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं, और जैसा आपने कहा है यह मुख्य प्रश्न से दूर की चीज है।

## कपड़े का उत्पादन

†*२०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है; और

(ख) हाथकरघे तथा अम्बर चरखे के कपड़े की कितने प्रतिशत मांग पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि योजना काल में देश की आन्तरिक मांगो तथा निर्यात हेतु बाहिरी मांगों को पूरा करने के लिये सभी क्षेत्रों में सूती कपड़े के उद्योग का विस्तार करने की अनुमति दे दी जाये ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिस १७,००० लाख गज के अतिरिक्त कपड़े की जरूरत है, उसमें से ७,००० लाख गज कपड़ा मिल के धागे से हाथकरघा उद्योग के द्वारा तैयार किया जायेगा और ३,००० लाख गज कपड़ा अम्बर चरखे के धागे से हथाकरघा उद्योग के द्वारा तैयार किया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : कपड़े की शेष मांग को कैसे पूरा किया जायेगा ?

†**श्री म० म० शाह** : २,००० लाख गज कपड़ा विद्युत करघों से और ३,५०० लाख गज कपड़ा स्वचालित करघों से उत्पादित किया जायेगा ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या स्वचालित करघों से कपड़ा तैयार करने से पूर्व सरकार ने अच्छी प्रकार से सुनिश्चित कर लिया है कि वे आवश्यक धागा संभरित कर सकेंगे ?

†**वणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : सरकार ने इस बारे में अच्छी प्रकार से अपने को संतुष्ट कर लिया है और उसी के आधार पर निर्णय किया है ।

†**श्री डाभी** : अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की उस प्रस्थापना का क्या हुआ जिसमें लगभग १५,००० लाख गज धागा संभरित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५ लाख चरखे लगाये जाने की अपेक्षा थी ? सरकार ने उसके बारे में क्या निर्णय किया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : यह प्रश्न उत्पादन मंत्री से पूछना चाहिये ।

†**श्री डाभी** : मैंने सुना नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि यह प्रश्न अन्य मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या मिलों में बहुत सी शक्ति व्यर्थ में जा रही है और उस शक्ति का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मैं इस धारणा को स्वीकार नहीं करता ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : कुछ और विद्युत करघों के लिये नये लायसेन्स देने के बाद विद्युत विहीन हाथकरघों की हो रही प्रगति पर और उनके उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा ? क्या उसकी प्रगति कम हो जायेगी अथवा वह उसी स्थिति में रहेगा जिसमें वह इस समय है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : यह पर्याप्त सीमा तक प्रगति हुयी है ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या सरकार ने यह निर्णय करते समय अम्बर चरखे की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तरित प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : जहां तक इस निर्णय में उसकी आवश्यकता थी, हमने उसका विचार किया है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार अभी भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५ लाख अम्बर चरखे संभरित करने की नीति की राज सहायता देने का विचार रखती है अथवा क्या सरकार अम्बर चरखों की संख्या कम करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : जैसा मैंने कहा, यह प्रश्न दूसरे मंत्री से पूछना चाहिये ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : विदेशों से कितना कपड़ा मंगाया जाता है और क्या हम उस मांग को भारतीय कपड़े से पूरा नहीं कर सकते ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : हो सकता है कि हम लगभग १२० लाख गज कपड़ा विदेशों से आयात कर रहे हैं परन्तु हमें यह भी आशा है हम लगभग १०,००० लाख गज कपड़ा निर्यात कर सकेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जनता की इच्छाओं के विरुद्ध स्वचालित करघे चलाने के बारे में सरकार ने जो यकायक निर्णय किया है उसका देश में नौकरी दिलाने के काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : इससे लोगों को अधिक काम-काज मिलेगा ।

## इंडियन ज्यूट मिल्स एसोसिएशन

† *२१. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने पटसन मिलों में २ १/२ प्रतिशत करघों को बन्द कर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार से परामर्श लिया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप लगभग कितने व्यक्तियों को फालतू घोषित करना पड़ेगा और उन्हें वैकल्पिक काम देने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) इस बात की संभावना नहीं है कि इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों में कोई छंटनी करनी पड़ेगी ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : यह कैसे हो सकता है कि २ १/२ प्रतिशत करघे बन्द करने पर भी मजदूर फालतू न बचेंगे ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : जैसा मेरे माननीय मित्र जानते हैं, पटसन की मिलों में मजदूरों की नौकरी के बारे में सदा ही गुंजाइश रहती है । हमारे पास बदलियों की एक योजना है जिसके अनुसार मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है और हमने अभी तक इस बात का प्रभावांकन नहीं किया है जो इन करघों को बन्द करने से इन मजदूरों पर होगा । परन्तु उक्त एसोसियेशन ने हमें बताया है कि मजदूरों की नौकरी पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : तो भी, जब यह एक छंटनी का प्रश्न है, क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि कितने मजदूर काम से अलग हो जायेंगे ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : सरकार ने इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी मांगी है । उसने एक अस्थायी उत्तर ही भेजा है । यदि कुछ समय बाद पूरी जानकारी प्राप्त हुई और यह प्रश्न दोबारा पूछा गया तो उसका उत्तर अवश्य दिया जायेगा ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : करघों को बन्द कर देने की अनुमति देने का क्या कारण है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : कारण यह है कि उत्पादन बहुत बढ़ गया है और स्टाक इकट्ठा हो गया है और उसके परिणामस्वरूप कीमतें घट रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री तुषार चटर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पटसन उद्योग में स्टाक में उतार-चढ़ाव होता रहता है क्या यह उचित नही हैं सरकार यह सिद्धान्त लागू करें कि करघों को बन्द नहीं किया जाये ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मैं इस कल्पनात्मक धारणा को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं कि स्टाकों का जमा होना एक सामान्य बात है। मैं समझता हूं कि जमा हुई मात्रा अपनी सामान्य सीमाओं से बढ़ गयी है।

## राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड मंत्रणा समितियां

† *२३. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडो की खंड मंत्रणा समिति की बैठकें राजस्थान में विभिन्न गांवों में होती हैं ;

(ख) यदि (क) भाग का उत्तर हां में है तो क्या बैठकों के स्थानों तक पहुंचने के लिये सदस्यों को परिवाहन सम्बन्धी कोई सुविधा प्रदान की जाती है; और

(ग) उन गैर सरकारी सदस्यों को, जो न तो विधान सभाओं के सदस्य हैं और न ही संसद सदस्य है, क्या किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता दिया जाता है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडो की खंड मंत्रणा समितियों की बैठकों के केन्द्र स्थानों को छोड़कर प्रायः गांवों में होती हैं ।

(ख) मंत्रणा समितियों की बैठकों में सम्मिलित होने के लिये, जहां कहीं संभव हो, सदस्यों को परीवहन संबंधी सुविधायें दी जाती हैं।

(ग) खंड आय व्ययकों में से गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। पंचायतों के प्रतिनिधि पंचायत निधियों में से अपना वास्तविक खर्च पाने के अधिकारी हैं।

†**श्री भीखा भाई** : क्या यह सच है कि दूरस्थ स्थानों पर बैठकें की जाती हैं और बैठक के स्थान तक सदस्यों को पहुंचाने के लिये खंडो द्वारा प्रबन्ध नहीं किया जाता है ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : हमारी जानकारी यह है कि गावों में बैठकों में भाग लेने के लिये सदस्यों को परीवहन संबंधी सुविधा प्रदान की जाती है। जहां तक दूरस्थ स्थानों पर बैठकें होने का प्रश्न है, मैं इस सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कह सकता हूं।

†**श्री भीखा भाई** : प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की पुछताछ की है कि पंचायत निधियों में से यात्राभत्ता तथा मंगाई भत्ता कितना दिया जाता है ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : राजस्थान सरकार ने हमें बताया है कि पंचायतों के प्रतिनिधि पंचायत निधियों में अपना वास्तविक खर्च पाने के अधिकारी हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के विभिन्न भागों में कार्यों के निरक्षण के लिये क्या सदस्यों का परिवहन संबंधी सुविधायें भी दी जाती है ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : जहां तक मुझे माननीय सदस्यों से मालूम हो सका है मेरे विचारमें उनका अनुभव तो ऐसा ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

**डा० राम सुभग सिंह** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि नान-आफिशियल मेम्बर्ज़ को कोई टी० ए० या डी० ए० नहीं दिया जाता है। क्या में यह जान सकता हूं कि जो आफ़िसर्ज़ एन० ई० एस० की मीटिंग्ज़ को अटेंड करने जाते हैं, उन को टी० ए० या डी० ए० दिया जाता है या नहीं और यदि दिया जाता है, तो क्यों ?

**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस विषय में कायदे बने हुए हैं, जिनके मुताबिक अफ़सरान को टी० ए० और डी० ए० मिलते हैं। लेकिन हम ने अपने तरफ़ से राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि जहां तक हो सके, उन्हें नान-आफ़िशियल मेम्बर्ज़ को रीज़नेबल आउट-आफ़-पाकेट एलाउंस देना चाहिये और कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा प्रबन्ध किया भी है, लेकिन सभी राज्य सरकारों ने ऐसा प्रबन्ध नहीं किया है।

**डा० राम सुभग सिंह** : सन् १९५२ से कम्युनिटि प्रोजेक्ट खुली हुई है और एन० ई० एस० ब्लाक भी करीब डेढ़ वर्ष से खुले हुए हैं। अब तक प्लानिंग मिनिस्ट्री ने इस तरह की हरकत क्यों होने दी कि बड़े बड़े अफसरों को तो डी० ए० और टी० ए० दिया जाता है लेकिन अगर कोई छोटा किसान इन मिटिंग्स को अटेंड करने आवे तो उसको नहीं दिया जाता। क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता की यही निशानी है ?

**श्री श्या० नं० मिश्र** : जो बातें अभी माननीय सदस्य ने कही हैं उन्हीं पर पंचवर्षीय योजना की सफलता मुनहसिर करती है ऐसा तो मैं नहीं समझता। लेकिन पहले हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कि इस से लोगों को कठिनाइयां हो रही है। जब हम को यह जानकारी मिली तो हम ने इस विषय में राज्य सरकारों को परामर्श दिया और कुछ राज्य सरकारों ने हमारे परामर्श के अनुसार कार्य भी किया। मुमकिन है कि बहुत से कार्यकर्ता जो आते हैं वे डी० ए० और टी० ए० तलब भी नहीं करते हों क्योंकि वे सेवा भावना से प्रेरित होते हैं। माननीय सदस्य को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये।

**डा० राम सुभग सिंह** : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि मुमकिन है कि वे सेवा भावना से प्रेरित हो कर जाते होंगे। तो क्या कारण है कि प्लानिंग मिनिस्टर ने उन सेवा भावना से प्रेरित होने वाले किसानों को इन कमिटियों का चैयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं बनाया। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि हम लोगों को इस बात का पूरा पूरा पता न था। क्यों वह इस बात का पूरा पूरा पता नहीं लगाते। मेरी जानकारी है कि यह प्रश्न यहां भी रखा गया था।

**श्री श्या० नं० मिश्र** : जहां तक हमारी जानकारी का जरिया है, उस में माननीय सदस्य भी आते हैं, और जब माननीय सदस्यों ने इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया तो हमारा ध्यान इस ओर गया। इस विषय में यहां एक प्रस्ताव आया था उस पर बहस भी हुई थी। हम ने बतलाया कि हमने राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया है। लेकिन जहां तक चेयरमैन आदि बनाने का सवाल है, यह एक अलग प्रश्न है और इस पर इस सभा में काफी विचार हो चुका है।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परीयोजना क्षेत्रों के लिये मंत्रणा बोर्ड निर्मित करने के मामले में सरकार की नीति को नवीकृत करने के लिये क्या योजना आयोग को वार्धा के गांव तथा कुटीर उद्योग के संगठन कर्ताओं से विशेषतया ज० च० कुमारप्पा से, कोई विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ह, और क्या उस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस प्रश्न से इस बात का कोई संबंध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का संबंध दूरस्थ स्थानों पर बैठकें बुलाने और सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता देने से है, नीति से इसका संबंध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

## इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति

†*२४. **श्री बहादूर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिविल मैकेनीकल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरींग के प्रशिक्षण के लिये क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त इंजीनियरींग कर्मचारी समिति ने १५ नये इंजीनियरींग कालिज तथा ६२ स्कूल खोलने का सुझाव दिया है ;

(ख) पंजाब में ऐसे कितने कालिज और स्कूल खोले जायेंगे ;

(ग) विभिन्न राज्यों में जो इंजीनियरी कालिज और टेकनिकल स्कूल कार्य कर रहे हैं उनमें इंजीनियरींग कर्मचारीयों की कमी को देखते हुये, जो कि द्वितीय योजना में उपबन्धित प्रशिक्षण सुविधायों के बावजूद भी सम्भवतः रहेगी । क्या इंजीनियरींग कर्मचारी समिति ने इन कालिजों तथा स्कूलों को किसी प्रकार की विशेष वित्तीय सहायता देने की सिफ़ारीश की है ; और

(घ) पंजाब में सरकारी टेकनीकल स्कूलों तथा इंजीनियरींग कालिजों के अतिरिक्त अन्य इंजीनियरींग कालिजों तथा टेकनिकल स्कूलों के लिये इस समिति द्वारा क्या किसी विशेष वित्तीय सहायता की सिफ़ारिश की गई है?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) समिति ने १८ कालिज तथा ६२ स्कूल खोलने का सुझाव दिया है ।

(ख) उत्तरी प्रदेश के लिये जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर पैप्सू दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा तथा हिमाचल प्रदेश सम्मिलित है; समिति ने ४ कालिज तथा १७ स्कूल स्थापित करने की सिफ़ारिश की है । पंजाब राज्य के लिये संस्थाओं के संबंध में समिति ने कोई संख्या नहीं बतायी है ।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का इस प्रसंग में "विशेष वित्तीय सहायता" से क्या अभिप्राय है । सम्भवतः उनका अभिप्राय वर्तमान संस्थाओं की क्षमता के विस्तार के लिये वित्तीय सहायता से है । यद्यपि समिति ने वर्तमान संस्थाओं में क्षमता के विस्तार की सिफ़ारिश की है, तथापि इस के लिये पृथक रुप से वित्तीय सहायता का अभी तक जिक्र नहीं किया गया है । वर्तमान संस्थाओं की क्षमता के विस्तार पर तथा इसके साथ ही १८ कालिज और ६२ स्कूल स्थापित करने पर कुल खर्च का प्राक्कलन १६ करोड़ रुपये के लगभग है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री बहादूर सिंह** : जिन विभिन्न इंजीनियरींग कालिजों तथा टेकनिकल स्कूलों को इस समय सहायता की आवश्यकता है क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी ? मैं यह प्रश्न इस लिये पूछ रहा हूं कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि समिति ने किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की सिफ़ारिश नहीं की है ।

†**श्री इया० नं० मिश्र** : मैंने यह नहीं कहा है कि इंजीनियरींग कर्मचारी समिति ने वर्तमान सुविधायों के विस्तार के लिये किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की सिफ़ारिश नहीं की है । जिस ढंग से प्रश्न पूछा गया है मैं ने केवल उस के संबंध में अपना संदेह प्रकट किया था । मैं यह नहीं समझ सका हूं कि माननीय सदस्य का विशेष वित्तीय सहायता से आशय क्या हैं । वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधायों के विस्तार के लिये निःसन्देह हमने १६ करोड़ रुपयों में सुविधाओं को भी शामिल किया है, अब इसका ब्योरा तैयार करना है ।

†**श्री जोकीम आलवा** : क्या सरकार को मालूम है कि अगले कुछ वर्षों में रुस में चालीस लाख इंजीनियर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और पश्चिमी क्षेत्रों में इस पर यह चिन्ता प्रकट की गयी है कि प्रतियोगी सह-अस्तित्व प्रबल हो रहा है ? भारत में और अधिक विज्ञान तथा इंजीनियरींग कालिज खोलने और इंजीनियरींग स्नातिकों को नौकरियां देने के लिये क्या सरकार कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री इया० नं० मिश्र :** समाचार पत्रों में छपने वाले ऐसे समाचारों के कारण नहीं, बल्कि द्वितीय योजना में और अगल पन्द्रह वर्षों में अपने आवश्यकताओं के कारण हम इस दिशा में कदम उठायेंगे ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : इस बात को देखते हुये भी सैंकड़ों इंजीनियरों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम लिखवाया है, म यह जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरों का अधिक्य है या उनकी सेवाओं के उपयोग के लिये सरकार के पास कोई उपयुक्त योजना नहीं है ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : वास्तव में यह एक ऐसी बात है जिसका कुछ स्पष्टीकरण अपेक्षित से जब कुछ रिक्त स्थानों की घोषणा की जाती है और कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं तो इस से यह निष्कर्ष निकालने की प्रवृति होती है कि उम्मीदवारों का अधिक्य है । परन्तु ऐसी बात नहीं है अपने विश्लेषण से हमें मालूम हुआ है कि इन में से ९५ प्रतिशत आवेदन इस समय जिन पदों पर कार्य कर रहे है उस से अधिक ऊँचे पद चाहते हैं और इस लिये वे अपना नाम दर्ज करवाते हैं ।

†**श्री तिम्मय्या :** द्वितीय योजना के अर्न्तगत अपनी आवश्यकताओं को देखते हुये राज्यों म विभिन्न प्रविधिक संस्थाओं में दाखिल किये जाने के लिये विद्यार्थियों की संख्या के संबंध म क्या सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है ?

†**श्री इया० न० मिश्र** : प्रविधिक सुविधायों का विस्तार सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों यथासम्भव जो कार्यवाहियां कर रही हैं हम उन से सन्तुष्ट हैं । विभिन्न संस्थाओं में वृद्धि के संबंध में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†**सरदार एकबाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पैप्सू में और पंजाब में हाल ही मे कुछ संस्थायें स्थापित की गई हैं । इस योजना के अधीन क्या सरकार उन्हें सहायता देने की बात पर विचार करेगी ?

†**श्री इया० नं० मिश्र :** यह एक प्रकार का सुझाव है । परन्तु लागू होने वाली सहायता की योजना के अर्न्तगत यदि वे संस्थायें आयेंगी तो पैप्सू के मामले पर निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

†**लाला अचित राम :** यह कहा गया था कि इंजीनियर अधिक ऊँचे पद चाहते हैं । इंजीनियर को न्यूनतम वेतन कितना दिया जाता है ?

†**श्री इया० नं० मिश्र :** इस संबंध में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री अ० म० थामस :** विभिन्न इंजीनियरींग संस्थाओं को प्रारम्भ करने के लिये क्या कोई प्रावस्था होगी और इन संस्थाओं को चलाने के लिये क्या सरकार आवश्यक कर्मचारी ढूंढ़ सकेगी ?

†**श्री इया० नं० मिश्र** : उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के अनुसार निश्चय ही प्रावस्था भी की जायेगी । जहां तक कर्मचारीयों का संबंध है यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस पर उचित ध्यान दिया जायेगा ।

## नागार्जुनसागर बांध

†***२५. डा० रामा राव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनसागर बांध के बारे में श्री स्लोकम की सिफ़ारिशों और प्रस्तावों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई तीन विशेषज्ञों की समिति ने क्या अपनी राय और सिफारिशें भेज दी हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय किया हैं कि बांध पत्थर का बनाया जायेगा अथवा कंकरीट का और क्या बड़ पैमाने पर मशीनरी का आयात तथा प्रयोग किया जायेगा?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी )** : (क) जी, नहीं ।

(ख) समिति की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण कोई अंतिम निश्चय नहीं किया गया है ।

†**डा० रामा राव** : यह विषय कई वर्षों से विचाराधीन है और अब इस पर पुनः विचार किया जा रहा है । क्या सरकार को पता है कि आंध्र की जनता बांध के बारे में अंतिम निश्यच के लिये कितनी आतुर है ? वास्तव में इस का निश्चय प्रविधिकों द्वारा किया जाना चाहिये ।

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य को विदित है कि श्री स्लोकम ने बांध के स्थान को अप्रेल, १९५६ में देखा था और उन्होंने सुझाव दिया था कि कंकरीट का बांध ज्यादा अच्छा रहेगा । इंजीनियरों की समिति ने कहा है कि बांध कुछ अंश में कंकरीट का और कुछ अंश में पत्थर का अच्छा रहेगा । इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए इस समिति की बैठक अगस्त में होगी और शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा ।

## जिला विकास संगठन

*२७. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (संक्षेप) के अध्याय ७ में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जिला विकास व्यवस्था के संबंध में जिस विशेष जांच के करने का उल्लेख किया गया है, क्या उसके बारे में कार्यवाही शुरू हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हो चुकी है और जिला विकास संगठन की नई रुपरेखा कब तक तैयार हो जायेगी और जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा ?

**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** :(क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होने वाली विशेष जांच किस प्रकार की जाय, इस विषय पर योजना आयोग विचार कर रही है ।

**श्री ख० चं० सोधिया** : यह विचार कब तक पूरा होगा ?

**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस काम को यथासम्भव शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा ।

**श्री खू० चं० सोधिया** : आजकल जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनी हुई हैं और आंगे जो कमेटियां बनने वाली है उनमें क्या फर्क होगा ?

**श्री श्या० नं० मिश्र** : सारे जिले के प्रशासन का जहां तक विकास कार्यों से संबंध है, वह कैसे अच्छी तरह से चले और ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग मिले इन सारी बातों पर उस कमेटी को विचार करना है । लेकिन कमेटी किन किन खास बातों में जायेगी इसका निर्णय उसके काम करने की लाईन निर्धारित होने के समय किया जायेगा ।

## आयात लाईसेन्स

*†२९. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात और निर्यात के नई दिल्ली स्थित प्रमुख नियंत्रक ने सोडा-ऐश और साईकिल के पूर्जों के आयात-लाइसेन्स देने के लिये कलकत्ते की दो फर्मों को अस्वीकृति दे दी क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन के लिये जाली कागज़ भेजे थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन के खिलाफ़ और क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, पिछले वर्ष साईकिल के पूर्जों के बारे में ऐसा हुआ था। किन्तु सोडा-ऐश के बारे में ऐसा कोई मामला न था।

(ख) जांच पड़ताल की जा रही है।

†**श्री गिडवानी :** जिस वस्तु के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की अर्जी दी गई थी उस वस्तु का परिमाण कितना था और अनुमानतः उसका मूल्य कितना था ?

†**श्री करमरकर :** यह मामला अस्थायी कोटा प्रमाणपत्र के विषय में था और उस का मूल्य ९७,५९७ रुपये था। कस्टम विभाग से जांच करने पर पता चला कि कस्टम की रसीदें जाली थीं। तब हम ने कार्यवाही की किन्तु उन दलों का पता न चला। दूसरा मामला भी इसी प्रकार का था और उस की जांच पड़ताल की जा रही है।

†**श्री गिडवानी** : पूरी जांच पड़ताल के बाद अंतिम निश्चय कब किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : जब कि या तो उस दल का पता लगे या यह पता लगे कि उस दल का पत लगना असम्भव है ?

## अखिल भारतीय खादी बोर्ड

†*३०. **श्री झूलन सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी बोड, स्थापित होने से लेकर अब तक स्वीकृत राशी का पूरा उपयोग नहीं कर सका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस के कारण मालूम किये गये हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). जहां तक खादी का सम्बन्ध है, बोर्ड ने स्वीकृत राशियों का बहुत कुछ उपयोग किया है। इस का कारण यह है कि बोर्ड स्थापित होने से पहले ही खादी उद्योग काफी विकसित और संगठित था। किन्तु, ग्रामोद्योगों के लिये बोर्ड को काफी परिश्रम करना पड़ा और स्वीकृत राशियों को पूर्णरूपेण व्यय करना अभी संभव नहीं हो सका है।

†**श्री झूलन सिंह :** क्या यह भी एक कारण है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड अपनी संग्रहीत वस्तुओं को बेच नहीं सका है ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** मुझ पता नहीं कि माननीय सदस्य का किन वस्तुओं से अभिप्राय है। यदि वे उन की पूर्व सूचना दें तो मैं उत्तर दे दूंगा।

## भारतीय फिल्मों का निर्यात

†*३१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केनया, यूगेन्डा, टांगानिका और वेस्ट इंडीज़ में भारतीय फिल्मों की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों को १९५४, १९५५ और १९५६ में कितनी फिल्में निर्यात की गई ; और

(ग) इन देशों में अधिक भारतीय फिल्में भेजने के लिये और क्या कार्यवाही की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : हमें मालूम हुआ है कि केनिया, यूगेन्डा, टांगानिका और वेस्ट इंडीज़ में भारतीय फिल्मों की अच्छी मांग है।

(ख) समुद्री व्यापार के लेखों में फिल्म निर्यात के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते। पूर्वी अफ्रीका स्थित भारतीय व्यापार आयुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार १९५४ और १९५५ में क्रमशः ५,२०,००० रुपये और ५,३३,००० रुपये के मूल्य की फिल्में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में आयात की गई थीं। १९५६ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ की सूचना भी प्राप्त नहीं है।

(ग) निर्यात नियंत्रण विनिमय के अधीन भारतीय फिल्मों के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है और किसी निर्यात लाइसेन्स के बिना ही स्वतंत्र रुप से उन की निर्यात किया जा सकता है। फिल्म-निर्यात में प्रगति के लिये फिल्म संबंधी एक निर्यात प्रगति परिषद बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**सरदार ईकबाल सिंह** : क्या सरकार इस बात का पता लगा रही है कि इन देशों के बाजारों में भारतीय फिल्मों का क्या असर है ?

†**श्री करमरकर** : वहां पर हमारे जो प्रतिनिधी हैं उन से हमें रिपोर्टें मिलती रहती है।

†**सरदार ईकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि इन देशों में भारतीय फिल्मों की बहुत बड़ी मांग है और सरकार इन देशों के लिये निर्यात की अनुमती नहीं दे रही है ?

†**श्री करमरकर** : यह बिल्कुल असत्य है। हम जितनी चाहें उतनी फिल्मों का निर्यात कर सकते हैं।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## गिरदीह की कोयला खानें

†*२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिदीह की कोयला खानों की आर्थिक दशा के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिर्पोट की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें स्वीकार की गई है; और

(ग) क्या उन पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) विशेषज्ञ समिती की रिपोर्ट की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

(ख) सिफारिशों पर अंतिम निश्चय शीघ्र ही किया जायेगा।

(ग) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## चंदन का तेल

†*९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में देश में प्रति वर्ष कितने चन्दन के तेल की खपत हुई और उस का मूल्य कितना है ; और

(ख) इस तेल का उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) चन्दन के तेल की वर्ष वार खपत के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। पिछले पांच वर्षों में इस की औसत वार्षिक खपत ६८,००० पौंड है। इस का मूल ३० रुपये से ५० रुपमे प्रति पौंड तक रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है और वह अपना माल निर्यात करने के लिये स्वतंत्र है। अभी तक सहायता के लिये उसने कोई विशेष आवेदन नहीं किया है ।

## दूसरा शिपयार्ड

*१३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे शिपयार्ड की स्थापना के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो काम कब से आरम्भ होगा ?

**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) तथा (ख) . भविष्य में दूसरे शिपयार्ड की स्थापना करने के उद्देश्य से, टेक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा उपयुक्त स्थान चुनने आदि के प्रारम्भिक-कार्य के लिये, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रुपया रखा गया है। निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा, इस बारे में इस समय कुछ भी कहना कठिन है।

## निवेली लिगनाईट परियोजना

†*२२. **श्री सै० वें० रामस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री निवेली लिगनाइट परियोजना की नवीनतम स्थिती बताने की कृपा करेंगे ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : प्रारम्भिक खोज—जिनका उद्देश्य यह था कि क्या लिगनाइट की पेटी के नीचे के भूमिगत जल का पम्पिग करके नियंत्रण किया जा सकता है—अंतिम स्थिति पर पंहुच गया है। २९ नलों से २६,००० गैलन जल प्रति मिनट निकाल कर, पूरी शक्ति से पानी निकालने के परीक्षण किये गये थे। परीक्षण के दोरान में ज्ञात हुआ कि झर्झर क्षेत्र में लगभग सभी स्थानों पर लिगनाइट की सतह के नीचे जल का तल गिर गया। किन्तु पांच भूमिगत नलों के बन्द हो जाने से पानी को पम्पिग करके बाहर निकालने में बाधा हुई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। तथा आवश्यक होने पर परीक्षण पुनः प्रारम्भ किये जायेंगे।

इसी बीच समूची परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जिससे कि जल निकालने के परीक्षण सफल होने पर लिगनाइट के खनन, विद्युत उत्पादन और उर्वरक इत्यादि के उत्पादन का कार्य तुरंत प्रारम्भ किया जा सके।

## नदी घाटी परियोजनायें

†*२८. **श्री त० ब० विठ्ठल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा आयोग की इस सिफारिश को, कि नदी घाटी परियोजनाओं में भी प्रशासनिक लेखा परीक्षा पद्धती जारी की जाय, कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) लोक लेख आयोग की इच्छानुसार, सरकार ने केन्द्र द्वारा वित्त पोषित बहु-प्रयोजनियो परियोजनाओं के प्राधिकारियों से इन परियोजनाओं में प्रशासनिक लेखा परिक्षा जारी करने के सम्बन्ध में मत मांगा था। मुख्यतः प्राधिकारियों, तथा जहां पर आवश्यक हो, केन्द्रिय बोर्ड के द्वारा पुस्तकों के विस्तृत परीक्षण करने इत्यादि के कारण उत्तर भेजने में कुछ समय लगा। पर अब केवल एक उत्तर आना बाकी है तथा इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि बिना किसी विलम्ब के सरकार उनके नतीजों को लोन लेखा सचित को सोंप दे।

## राज्य पुनर्वास योजनायें

†*३२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३–५४ में पुनर्वास को योजनायों के लिये भाग क, ख और ग राज्यों को दिये गये ऋण वसूल किये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशी वसूल हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). किसी विशेष वित्तीय वर्ष की वसूली के आंकड़े, जिन्हें विभिन्न महा लेखा पाल रखते हैं, तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

## खरादों का उत्पादन

†*३३. **श्री भीखा भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) मैसर्स ओर्लिकोन्स लिमिटेड के साथ हुए करार में खरादों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है :

(ख) वस्तुतः कितना उत्पादन होता है;

(ग) खरादें के निर्माण में विलम्ब और अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(घ) करार के अनुसार भारत सरकार ने भत्तों को देने के लिये कहां तक वचन दिया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) प्रतिवर्ष १,२०० खरादें बनाने का प्रस्ताव था। किन्तु स्वीकृत योजना में अन्तर्गत केवल ४०० खरादें के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। १९५६ में ५० खरादों के निर्माण से आरम्भ हो कर ५ वर्षों में ४०० खरादों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

(ख) आयात किये हुए फुटकर भागों को मिला कर बारह खरादें बनाई गई हैं और ५ खरादों कारखाने में निर्मित पुर्जा से बनाई गई है। पांच खरादें परीक्षाधीन हैं, २० खरादें कारखाने में बने हुए पुर्जों से जिनको जोड़ा जा रहा है बनी है।

(ग) वास्तविक उत्पादन अल्पाधिक संशोधित अनुसूची के अनुसार है।

(घ) इस करार में मैसर्स ओर्लिकोन्स को कोई भत्ता देना तय नहीं हुआ हैं। किन्तु करार में ओर्लिकोन्स को कम्पनी के पांच प्रतिशत शेयर निशुल्क देने और कारखाने के उत्पादों की वास्तविक विक्री पर रायल्टी देने के सन्बध में संशोधन किया गया है।

## पाकिस्तानी कपास

†*३४. **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपूरी** :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ फरवारी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५३ के उत्तर के सम्बण्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत पाकिस्तान व्यापार करार १९५५ ५६ के अन्तर्गत किस परिमाण में पाकिस्तानी कपास का आयात हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : बिलकुल नहीं ।

## पेप्सू में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१.**श्री राम कृष्ण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू राज्य में अबतक कितने व्यक्तियों को पुनर्वासित किया गया है; और

(ख) अभी कितने व्यक्तियों को वहां और बसाना है;

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और वस्तुत: इस जानकारी को एकत्र करने में जो श्रम और समय व्यय होगा वह परिणाम के अनुपात में नहीं होगा ।

## छोटी और मध्यम परियोजनायें

†२.**श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये पंजाब तथा पेप्सू राज्य सरकारों ने कितनी छोटी और मध्यम परियोजनाओं की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सभी योजनाएं द्वितीय पंचवर्षीय परियोजनाओं में शामिल कर ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या वया हैं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया; और

(घ) उनकी लागत का अनुमान क्या है और उनमें से प्रत्येक परियोजना से कितनी भूमि में सिंचाई होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## राज्य योजना बोर्ड

†३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री ऐसे राज्यों का नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने योजना बोर्ड बना लिये है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : इस प्रश्न का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है । राज्य योजना बोर्ड, जिनमें कुछ प्रसिद्ध गैर-सरकारी व्यक्ति भी शामिल हैं, कुछ राज्यों में बन गये हैं । यदि राज्य स्तर पर योजना की व्यवस्था जानना अभिप्रेत है तो स्थिति इस प्रकार है :

"राज्यों के प्रमुख कार्यालयों में, विभिन्न विकास विभागों के प्रभारी सचिवों की एक उत्तर विभागीय समिति द्वारा यह समन्वय किया जाता है । इस समिति का अध्यक्ष प्रधान सचिव अथवा योजना का प्रभारी सचिव होता है । सामान्यत: आयोजन के समन्वय और जिले के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य एक ही पदाधिकारी का होता है जिसे सामान्यत: विकास आयुक्त कहते हैं । नियमानुसार मुख्य मंत्री के अधीन, मंत्रालय की एक समिति इस दिशा में पथ प्रदर्शन करती है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

**केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग**

†४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधीक्षक इंजीनियर के अधीन विभागों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत उपविभागीय कार्यालयों के प्रधान कार्यालयोंका नाम; और

(ग) प्रत्येक उपविभाग में कितने कार्य स्थान हैं तथा प्रत्येक कार्य स्थान में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत कार्य प्रभारी कर्मचारीयों की संख्या कितनी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३**]

(ग) जानकारी प्रदान करना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रत्येक कार्य स्थान तथा प्रत्येक कार्य-स्थान में किसी विशेष श्रेणी के अन्तर्गत कार्यप्रणाली कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। कार्य स्थानों में भी अधिकतर परिवर्तन होता रहता है।

**केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग**

†५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कलकत्ता केन्द्रीय सर्कल संख्या २ के अधीन कौन से विभाग हैं;

(ख) प्रत्येक विभाग के अधीन उप-विभागीय कार्यालयों के कितने मुख्य कार्यालय हैं; और

(ग) प्रत्येक उप-विभाग के अधीन कितने कार्य-स्थान हैं तथा प्रत्येक कार्य-स्थान पर प्रत्येक श्रेणी के पदानुसार काम पर अस्थाई रूप से रखे गये कितने कर्मचारी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पु० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) यह जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि कार्य-स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक कार्य-स्थान पर प्रत्येक श्रेणी के पदानुसार कार्य पर अस्थाई रूप से रखे गये कर्मचारियों की संख्या बदलती रहती है और कार्य-स्थानों के भी प्राय: बदलने की संभावना रहती है।

**केन्द्रीय-लोक निर्माण विभाग**

†६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कलकत्ता केन्द्रीय सर्कल संख्या १ के अधीन कौन से विभाग है;

(ख) प्रत्येक विभाग के अधीन उप-विभागीय कार्यालयों के कितने मुख्य कार्यालय हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) प्रत्येक उप-विभाग के अधीन कार्य-स्थान कितने हैं तथा प्रत्येक कार्य-स्थान पर, प्रत्येक श्रेणी के पदानुसार, काम पर अस्थाई रूप से रखे गये कितने कर्मचारी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नारकर)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५**]

(ग) यह जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि कार्य-स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक कार्य स्थान पर प्रत्येक श्रेणी के पदानुसार कार्य पर अस्थाई रूप से रखे गये कर्मचारियों की संख्या बदलती रहती है और कार्य-स्थानों को भी प्राय: बदलने की संभावना रहती है।

## भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन

†७. **श्री मु० ला० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** १३ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार नें सितम्बर/अक्तूबर १९५३ के भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन में किये गये निर्णयों का अनुसमर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसमर्थित निर्णयों की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी;

(ग) क्या १९५४ में, कोई और भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो कब, कहां और उसके क्या परिणाम निकले थे ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## भारत-पाकिस्तान पारपत्र दृष्टांक योजना

†८. **श्री मु० ला० अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत-पाकिस्तान पारपत्र तथा योजना सम्बन्धी भारत सरकार के संशोधित प्रारुप पत्र, जो उसे मई १९५५ में भेजा गया था, सहमति प्रकट की है; और

(ख) क्या सरकार संशोधित योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) अभी नहीं।

(ख) इस समय संशोधित योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखना संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान सरकार अभी उस पर विचार कर रही है।

## कुटीर उद्योग

९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर उद्योग के विकास के लिये वर्ष १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कितना ऋण तथा कितना अनुदान दिया था; और

(ख) क्या ऋण और अनुदानों की इन राशियों को निश्चित अवधि के भीतर खर्च किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

**उत्पादन मंत्री (क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). खादी व ग्राम उद्योग, सेरिकलचर उद्योग व हस्तशिल्पों के लिये, १९५३–५४ १९५४–५५ और १९५५–५६ में निम्नलिखित अनुदान व ऋण राज्य सरकारों को दिये गये :—

| क्रम संख्या | उद्योग का नाम | स्वीकृत राशि | |
|---|---|---|---|
| | | अनुदान | ऋण |
| | | १९५३–५४ | |
| | | रु० | रु० |
| १. | ग्राम उद्योग . | ८,७७३ | .. |
| २. | सेरिकल्चर . | ११,३२,५४५ | .. |
| ३. | हस्तशिल्प . | ८,८८,८१७ | २,४२,६७० |
| ४. | खादी . | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| | योग | २०,३०,१३५ | २,४२,६७० |
| | | १९५४–५५ | |
| १. | ग्राम उद्योग . . | ६,७१,६५४ | १,१४,८८० |
| २. | सेरिकल्चर . . | १९,०६,४९६ | .. |
| ३. | हस्तशिल्प . | ९,३०,५६१ | ८,३३,४४५ |
| ४. | खादी . | .. | ४,००० |
| | योग | ३५,०८,७११ | ९,५२,३२५ |
| | | १९५५–५६ | |
| १. | ग्राम उद्योग | २८,२६,८६३ | १९,४३,८१२ |
| २. | सेरिकल्चर | २२,२२,६०७ | .. |
| ३. | हस्तशिल्प | ९,८३,६६९ | ८,७८,३०० |
| ४. | खादी | .. | १०,७६,३०० |
| | योग . . . | ६०,३३,१३९ | ३८,९८,४१२ |

अनुदानों व ऋणों की राशियों को निश्चित अवधि के भीतर पूर्णतया प्रयुक्त नहीं किया गया।

†मूल अंग्रेजी में।

## चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास

१०. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास का प्रबन्ध करने में कहां तक प्रगति हुई है; और

(ख) पिछले दस वर्षों में कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) १९५५-५६ तक चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिये जितने मकान बनाये गये या बनाने की मन्जूरी दी गई, उनकी तादाद इस समय की मांग का लगभग ६८ प्रतिशत है ।

(ख) ३६१४ ।

## गोल्ड कोस्ट में भारतीय

११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्ड कोस्ट में कितने भारतीय हैं; और

(ख) उनके पेशे क्या हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). गोल्ड कोस्ट में लगभग ३०० भारतीय हैं। इनमें से अधिकांश स्वामी, प्रबन्धक अथवा लिपिक के रूप में व्यापार का काम करते हैं ।

## पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान के उन शरणार्थियों की कुल अनुमानित संख्या क्या है, जिन्हें अब तक भारत में बसाया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : लगभग पांच लाख परिवारों को पुनर्वास की सुविधायें दी गई हैं ।

## प्रलेखीय चलचित्र

†१३. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन किन निजी अभिकरणों को प्रलेखीय चलचित्र बनाने का काम सौंपा गया है;

(ख) उन्होंने कितने प्रलेखीय चलचित्र बनाये है;

(ग) क्या ऐसे स्वीकृत निर्माताओं की कोई सूची रखी जाती है; और

(घ) विभाग द्वारा बनाये गये चलचित्रों की तुलना में ऐसे चलचित्रों पर कितनी लागत आती है और ये किस दर्जे के होते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) १. अमा लिमिटेड, बम्बई

२. नेशनल एज्युकेशन एण्ड इन्फरमेंशन्स फिल्मस् लिमिटेड, बम्बई

३. सिंह ब्रदर्ज, नई दिल्ली

४. न्यू थियेटर्स, कलकत्ता

५. ईस्टर्न मूवीज, नई दिल्ली

६. विनय प्रोडक्शन्स, पूना

७. सिने यूनिट आफ इंडिया, पूना

८. नेशनल फिल्म कार्पोरेशन, बम्बई

९. आर्ट फिल्मस् आफ एशिया, बम्बई

१०. एजरा मीर, बम्बई

११. ई० आर० कूपर, बम्बई

१२. पी० वी० पथी, मद्रास

१३. इन्फरमेशन्स फिल्मस्, दिल्ली

१४. के० सुब्रह्मण्यम, मद्रास

१५. न्यू शोरी प्रलेखीय चलचित्र, मेरठ

१६. फिल्म सीर्वसिज, कलकत्ता

१७. हरी एस० दासगुप्त, बम्बई

१८. होमी पी० लेथना, बम्बई

१९. विद्या विकास फिल्मस्, बम्बई

२०. एस० एल० बदामी, बम्बई

२१. पटेल इंडिया लिमिटेड, बम्बई

२२. राजकमल कला मन्दिर लिमिटेड, बम्बई

२३. हितेन चौधरी प्रोडक्शन्स, बम्बई

२४. फेक्ट फिल्म्ज, बम्बई

२५. सौभ्य मुकर्जी, कलकत्ता

२६. अशोक प्रोडक्शन्स, नई दिल्ली

२७. रेलवेमेन्स फाइन आर्ट सोसाइटी, मद्रास

२८. विश्राम बेदेकर, बम्बई

२९. विमल राय प्रोडक्शन्स, बम्बई

३०. आरोरा फिल्म कार्पोरेशन, कलकत्ता

(ख) १७ फिल्में बनाई जा चुकी हैं और ३७ फिल्में बन रही हैं, इसके अतिरिक्त निजी निर्माताओं ने २५ फिल्में अपने खर्च से अथवा अन्य पुरस्कर्ताओं के लिये बनाई हैं और उन्हें सरकार ने खरीद लिया है अथवा वितरण के लिये ले लिया है।

(ग) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(घ) जैसा कि श्री बी० डी० शास्त्री के २५ नवम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ और चौधरी मुहम्मद शफी के २१ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर में बताया जा चुका है, फिल्म्स डिवीजन प्रलेखीय चलचित्रों के निर्माण पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का व्यय करता है। किन्तु चूंकि फिल्म डिवीजन में लागत लेखा प्रणाली अभी तक नियमित रूप से जारी नहीं हुई, इसलिये यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता कि किसी प्रलेखीय चलचित्र पर कुल कितनी लागत आती है।

निजी निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों के गुणों का निर्णय फिल्म परामर्शदाता बोर्ड द्वारा किया जाता है। जब तक कोई फिल्म अपेक्षित न्यूनतम स्तर की नहीं होती तब तक वह उसे अनुमोदित नहीं करता। कुछ फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया है। उनका निर्णय करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि फिल्म डिवीजन की भांति कोई भी निजी निर्माता एकमात्र इसी काम में नहीं लगा हुआ है जो कि कई प्रकार से एक विशेष कला है। फिल्म्ज़ डिवीजन के प्रलेखीय चलचित्रों को बहुत से राष्ट्रीय तथा अतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।

## अग्रिम औद्योगिक योजना

†१४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अग्रिम औद्योगिक योजना के लिये सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों को चुनने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) चुने गये क्षेत्रों की एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

## आवास के लिये आवंटन

†१५. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के लिये न्यून, आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आवंटन किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई उस वितरित की गई राशियों के राज्यवार आंकड़े क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

## केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मचारी

†१६. **डा० रामा राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में काम के लिये अस्थायी रुप से रखे गये कर्मचारियों के कौन-कौन से वर्ग हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इनमें से कौन-कौन से वर्गों का निम्नलिखित ढंग से वर्गीकरण किया गया :

(१) अप्रवीण,

(२) अप्रवीण अधीक्षक और अर्ध-प्रवीण,

(३) प्रवीण,

(४) अति-प्रवीण और प्रवीण अधीक्षक, और

(५) क्लर्क।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों के वर्गों के सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ख) अस्थायी रुप से काम कर रहे कर्मचारियों के सभी वर्गों का उनके कर्तव्यों तथा प्रवीणता को ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पर निरीक्षण किया गया था। उनके लिये निश्चित वेतन-क्रम से उनके कर्तव्यों तथा उनकी प्रवीणता का पता चलता है। वेतन-क्रम उक्त विवरण में दिये गये हैं।

## केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मचारी

†**१७. डा० रामा राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लिफ्टमेन मिस्त्री तथा कुछ अन्य वर्गों के कर्मचारियों को नियमित और अस्थायी रुप से रखे गये कर्मचारियों की स्थापनाओं में काम पर लगाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके कर्तव्यों में क्या अन्तर है जिसके कारण एक ही वर्ग के कर्मचारियों को दो भिन्न स्थापनाओं में रखने की आवश्यकता पड़ती है।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पु० शें० नास्कर) :** (क) जी, हां।

(ख) एक ही वर्ग के नियमित तथा अस्थायी रुप से काम पर लगाये गये कर्मचारियों के काम में कोई अन्तर नही है। किसी विशेष निर्माण कार्य अथवा किसी विशिष्ट परियोजना के उपनिर्माण कार्यों के सम्पादन पर जो कि सामान्य पर्यवेक्षण से भिन्न हैं अथवा विभागीय श्रमिकों और ऐसे निर्माण-कार्य अथवा उप-निर्माणकार्यो से सम्बन्धित उपकरण तथा मशीनरी के पर्यवेक्षण के आधार पर, सामान्य तथा जो व्यक्ति सेवायुक्त किये जाते हैं और जिनके वेतन का भुगतान परिणामतः कार्य के अनुमान से किया जाता हैं उन्हें काम के आधार पर निर्मित कर्मचारी वर्ग में रखा जाता है जब कि अन्य व्यक्तियों को नियमित कर्मचारी वर्ग में रखा जाता हैं।

## केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये पास-बूकें

†**१८ डा०.रामा राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये लोक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों को पास-बुकें दी जाती हैं जो अपने वेतन में से अंशदान भविष्य निधि में रुपया कटवाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सामान्यत: इस निधि के लिये रुपया कटवाने वालों को पास-बुकें नहीं दी जातीं। निधि लेखों को रखने से सम्बन्धित कार्य के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खास कार्यालयों को हस्तांतरण के परिणामस्वरुप सरकार ने काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये उन कर्मचारियों को पास-बुकें देने का निर्णय किया है जो कर्मचारियों की अंशदारी भविष्य निधि में रुपया कटवाते हैं और साथ ही सरकार ने उतनी पास-बुकें छपवाने के लिये कार्यवाही की है। शीघ्र ही ये पास-बुकें उन्हें दे दी जायेंगी।

## विद्युत उत्पादन की लागत

†१९. **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाये गये विभिन्न बिजली घरों में तैयार की जाने वाली बिजली की प्रति युनिट कितनी लागत आती है ;

(ख) विभिन्न बिजली घरों में प्रति युनिट लागत में अन्तर के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) यह लागत उन बिजली घरों की दरों की तुलना में कैसी है जो पंचवर्षीय योजना से पहले बनवाये गये थे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सरकार के पास विभिन्न बिजली घरों में तैयार की जाने वाली बिजली की वास्तविक लागत के आंकड़े नहीं हैं। ऐसी लागतों के प्राक्कलनों पर आधारित एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९**]

## मिट्टी खोदने की मशीनों सम्बंधी समिति

†२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी खोदने की मशीनों सम्बन्धी समिति ने कब से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(क) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिसें क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## घानी के तेल का उत्पादन

†२१. **सरदार इकबाल सिंह** :
**सरदार अकरपुरी**:

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घानी के तेल के उत्पादन का विकास करने के लिये पंजाब और पेप्सू में क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) ऐसे तेल का उत्पादन तेलियों की कितनी सहकारी समितियां कर रही हैं।

(ग) ऐसी समितियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रविधिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई जिसके परिणामस्वरूप वे कार्य नहीं कर रही हैं ;

(घ) क्या तेलियों की निष्क्रिय सहकारी समितियों को चलाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो क्या ; और

(ङ) ऐसे तेल का भाव मिल के तेल के भाव की तुलना में कैसा है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: जहां तक पंजाब का संबंध है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। पेप्सू राज्य संबंधी जानकारी निम्न प्रकार से है :—

(क) घानी से तेल निकालने के उद्योग के विकास के लिये निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये हैं :—

(१) धूरी सामुदायिक परियोजना में तेलियों की तीन सहकारी समितियों का संगठन किया गया है। उन्नत प्रकार के कोल्हू और तिलहन खरीदने के लिये वित्तीय सहायता दी गई है तथा उन्हें प्रविधिक सहायता भी दी गई है।

(२) उन्नत कोल्हुओं को चलाने में तेलियों को प्रशिक्षिण देने के लिये मालेरकोटला में नमूने का तेल प्रदर्शन केन्द्र खोला गया है। तेल केन्द्र खोलने के लिये सरकारी सहायता और ऋण देने के अलावा समितियों को निकाले गये तेल पर १ रुपया प्रति सेर के हिसाब से सरकारी सहायता दी जाती है।

(ख) तीन।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) घानी और मिल के तेल का भाव लगभग समान ही है।

## उर्वरक

†२२. **सरदार इकबाल सिंह :**
**सरदार अकरपुरी :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अबतक कुल कितनी मात्रा में उर्वरक तैयार किये गये हैं ;

(ख) इसी काल में कुल कितने उर्वरकों का आयात और निर्यात किया गया ; और

(ग) राज्यों को कितनी मात्रा दी गई और उसका आधार क्या था ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ग) उर्वरक भंडार के द्वारा राज्यों को केवल नाइट्रोजन वाले उर्वरक अवंटित किये जाते हैं। जनवरी से जून १९५६ तक निम्न प्रकार आवंटन किये गये थे :—

| | टनों में मात्रा |
|---|---|
| अमोनिया सल्फेट . | ३३८,००० |
| यूरिया . . . | ६,६०० |
| अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . . . . . | ५,७०० |

†मूल अंग्रेजी में।

आवंटन राज्यों द्वारा प्रतिमास बताई जाने वाली आवश्यकता और उपलब्ध उर्वरक के आधार पर किये जाते हैं।

## उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली

†२४. **श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम के अनुसार बिजली पहुंचाई गई है।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है। यह जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठि की जा रहीं है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## चाय की खेती

२५. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में कितनी भूमि में चाय की खेती की गयी थी और इस समय कितनी भूमि में चाय की खेती की गयी है;

(ख) प्रति एकड़ चाय के उत्पादन में वर्ष १९५२-५३ की अपेक्षा १९५५-५६ में क्या कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ; और

(ग) वर्ष १९५२–५३ में देश में कितनी चाय की खपत होती थी और इस समय कितनी खपत होती है ।

**वाणिज्य और उद्योग तथा लौहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** :

(क) १९५२-५३ ७,८७,३७८ एकड़

१९५४-५५ ७,८९,४७१ एकड़

(ख) जी हां, १९५२ की अपेक्षा १९५४ में लगभग ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**(ग)** १९५२-५३ १७.५ करोड़ पौण्ड

१९५४-५५ १८.३ करोड़ पौण्ड

---

†मूल अंग्रेजी में ।

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . | १ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| | **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** . . . | १–२४ |
| १. | पाकिस्तान से जिप्सम . . | १–२ |
| ३. | त्रावनकोर-कोचीन राज्य क परियोजना क्षेत्र | २–३ |
| ४. | औद्योगिक आवास योजना . . . . | ३ |
| ५. | पश्चिमी पाकिस्तान में निष्क्रान्त—सम्पत्ति से सम्बन्धी विधि . | ३–५ |
| ६. | फिल्म निर्माण ब्यूरो . . | ५ |
| ७. | बीड़ी बनाने की मशीनें . . | ५–६ |
| ८. | उत्तर बिहार में कताई मिल . | ६–७ |
| १०. | चलती चलचित्र प्रदर्शन गाड़ियां . | ७ |
| ११. | मशीनों के क्रयावक्रय की योजना | ७–८ |
| १२. | त्रिपुरा में बाढ़ . | ८ |
| १४. | स्टेप्टोमाइसिन का कारखाना | ८–९ |
| १५. | कपड़े के कारखाने . | ९–११ |
| १६ | अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति . | ११–१२ |
| १७ | अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विद्युत शक्ति कांग्रेस . | १२–१३ |
| १८ | सीमेन्ट . . | १३–१४ |
| १९ | राज्यों में विकास आयुक्त | १४–१५ |
| २०. | कपड़े का उत्पादन . . . . | १५–१७ |
| २१. | इंडियन ज्यूट मिल्स एसोसिएशन . | १७–१८ |
| २३. | राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड मंत्रणा समितियां | १८–१९ |
| २४. | इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति . | २०–२१ |
| २५. | नागार्जुनसागर बांध . | २१–२२ |
| २७. | जिला विकास संगठन . . . . . | २२ |
| २९. | आयात लाइसेन्स . . . . | २२–२३ |
| ३०. | अखिल भारतीय खादी बोर्ड . . . . | २३ |
| ३१. | भारतीय फिल्मों का निर्यात . . . . | २३–२४ |

| तारांकित | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्न संख्या** | | |
| | **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | २४–३७ |
| २. | गिरिदीह की कोयला खानें | २४ |
| ९. | चन्दन का तेल | २४–२५ |
| १३. | दूसरा शिपयार्ड | २५ |
| २२. | निवेली लिगनाईट परियोजना | २५ |
| २८. | नदी घाटी परियोजनायें | २५–२६ |
| ३२. | राज्य पुनर्वास योजनायें | २६ |
| ३३. | खरादों का उत्पादन | २६ |
| ३४. | पाकिस्तानी कपास | २६–२७ |
| **अतारांकित** | | |
| **प्रश्न संख्या** | | |
| १. | पैप्सू में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास | २७ |
| २. | छोटी और मध्यम परियोजनायें | २७ |
| ३. | राज्य योजना बोर्ड | २७ |
| ४. | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग | २८ |
| ५. | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग | २८ |
| ६. | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग | २८–२९ |
| ७. | भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन | २९ |
| ८. | भारत-पाकिस्तान पारपत्र दृष्टांक योजना | २९ |
| ९. | कुटीर उद्योग | २९–३० |
| १०. | चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये आवास | ३१ |
| ११. | गोल्डकोस्ट में भारतीय | ३१ |
| १२. | पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास | ३१ |
| १३. | प्रलेखीय चलचित्र | ३१–३३ |
| १४. | अग्रिम औद्योगिक योजना | ३३ |
| १५. | आवास के लिये आवंटन | ३३ |
| १६. | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मचारी | ३३–३४ |
| १७. | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मचारी | ३४ |
| १८. | केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये पास-बुकें | ३४–३५ |
| १९. | विद्युत उत्पादन की लागत | ३५ |
| २०. | मिट्टी खोदने की मशीनों सम्बन्धी समिति | ३५ |
| २१. | घानी के तेल का उत्पादन | ३५–३६ |
| २२. | उर्वरक | ३६–३७ |
| २४. | उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली | ३७ |
| २५. | चाय की खेती | ३७ |


भा. स. मु. ना,—वि. ३—१६९ लोकसभा/५६—६-६-५७—१९०

सोमवार
16 जुलाई 1956

# लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

# विषय सूची

## भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६


**अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें . . . . . १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक . . . . ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . . . ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . . . . ७, ८–१९

सभा का कार्य . . . . . ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५–४७

**अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६**

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . . . . ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

**अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन . . . . . ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२१

**अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य . . . . . १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन . . . . . १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प . . . . . १६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६५–६६

**अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६**

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . . . १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . . . १६८–६९

सभा का कार्य . . . . . १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २०६–०७

**अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६** पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

**अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन . . . . २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प . . . . . २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

**अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६**

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका . . . . . ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३७९

| अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६ | पृष्ठ |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध . . . . | ३८१ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . | ३८१–८२ |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति— | |
| सोलहवां प्रतिवेदन . . . . . | ३८२ |
| राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन) | |
| विधेयक के बारे में याचिकायें . . . . . | ३८२–८३ |
| सभा का कार्य . . . . . | ३८३ |
| राज्य पुनर्गठन विधेयक | |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . | ३८३, ३८३–४०० |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— | |
| छप्पनवां प्रतिवेदन . . . . . | ४००–०३ |
| साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . . | ४०४ |
| भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . . | ४०४–०८ |
| भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . | ४०८–१०, ४११–१२ |
| संसद् भवन के पास प्रदर्शन . . . . . | ४१०–११ |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . . | ४१२–१३ |
| खण्ड २, ३ और १ . . . . | ४१३–१४ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . | ४१४ |
| भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— | |
| विचार करने का प्रस्ताव . . . . . | ४१५ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ४१८-२० |
| **अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६** | |
| लोक लेखा समिति— | |
| सत्रहवां प्रतिवेदन . . . . | ४२१ |
| सभा का कार्य . . . . . | ४२१ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . | ४२२ |
| राज्य पुनर्गठन विधेयक— | |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . | ४२२–५७ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ४५८ |

**अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६** — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति . . . . . ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . . . . ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . . . ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

**अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश . . . . . ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५५३

**अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६**

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश . . . . . ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . . . . ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक . . . . . ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६०१–०२

| अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः | पृष्ठ |
|---|---|
| राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में | ६०३–४५ |
| खंड २ से १५ . . . . . | ६०३–३५ |
| खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३ . . . . | ६३५–४५ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ६४६ |
| **अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६** | |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . | ६४७ |
| सभा का कार्य . . . . . | ६४८ |
| राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . | ६४८–७४ |
| खंड १६ से ४९ . . . . . | ६४८–७४ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— | |
| सत्तावनवां प्रतिवेदन . . . . . | ६७५ |
| संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प . . . . . | ६७५–९२ |
| चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प . . . . . | ६९२ |
| दैनिक संक्षेपिका . . . . . | ६९३ |
| अनुक्रमणिका . . . . . | (१–४३) |


भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

# लोक-सभा

## सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

### अ

**अकरपुरी,** सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)

**अग्रवाल,** श्री मुकुन्द लाल (ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली पूर्व)

**अग्रवाल,** श्री होती लाल (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर)

**अचल सिंह,** सेठ (ज़िला आगरा पश्चिम)

**अचलू,** श्री सुकम (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

**अंचित राम,** लाला (हिसार)

**अच्युतन,** श्री क० त० (त्रेगन्नूर)

**अजित सिंह,** श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

**अजित सिंह जी,** जनरल (सिरोही-पाली)

**अनिरुद्ध सिंह** श्री (दरभंगा पूर्व)

**अन्सारी** डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

**अब्दुल्ला भाई,** मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

**अब्दुस्सत्तार,** श्री (कलना-कटवा)

**अमजद अली,** श्री (ग्वालापाड़ा-गारोपहाड़ियां)

**अमीन,** डा० इन्दुभाई ब० (बड़ौदा-पश्चिम)

**अमृत कौर,** राजकुमारी (मंडी महासू)

**अय्यांगार,** श्री म०अनन्तशयनम (तिरुपति)

**अय्यूण्णि,** श्री क० र० (त्रिचूर)

**अलगेशन,** श्री ओ० वि० (चिंगलपट)

**अस्थाना,** श्री सीताराम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

### आ

**आज़ाद,** मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली—पश्चिम)

**आज़ाद,** श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)

**आनन्द चन्द,** श्री (बिलासपुर)

**आल्तेकर,** श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

**आल्वा,** श्री जोकीम (कनारा)

### इ

**इकबाल सिंह,** सरदार (फाज़िलका-सिरसा)

**इब्राहीम,** श्री अ० (रांची उत्तर पूर्व)

इ–(क्रमशः)

**इलयापेरुमल,** श्री ल० (कड्लूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**इस्लामुद्दीन,** श्री मुहम्मद (पूर्णिया-उत्तर पूर्व)

**ईयाचरण,** श्री इय्यानी (पोन्नानी रक्षित-अनुसूचित जातियां)

उ

**उइके,** श्री मं० ग० (मंडला-जबलपुर दक्षिण-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

**उपाध्याय,** पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़––पूर्व)

**उपाध्याय,** श्री शिवदत्त (सतना)

**उपाध्याय,** श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व जिला फतहपुर)

ए

**एन्थनी,** श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित––आंग्ल भारतीय)

**एबिनज़िर,** डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

**कंदस्वामी,** श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगौड)

**कक्कन,** श्री पु० (मदुराई––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**कथम,** श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल––रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

**कमल,** सिंह, श्री (शाहाबाद––उत्तर-पश्चिम)

**कमाल,** श्री पारेशनाथ (बसिरहाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**करमरकर,** श्री द० प० (धारवाड़––उत्तर)

**कर्णीसिंह जी,** हिज़ हाईनेस महाराजा बीकानेर (बीकानेर चूरू)

**कास्लीवाल,** श्री नेमीचन्द्र (कोटा झाला-वाड़)

**काचिरॉयर,** श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)

**काज़मी,** श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर––उत्तर व जिला फ़ैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)

**काजरोलकार,** श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर––उत्तर––रक्षित––अनुसूचित-जातियां)

**काटजू,** डा० कैलाश नाथ (मुन्दसौर)

**कानूनगो,** श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

**कामत,** श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

**कमाले,** डा० देव राव नामदेवराव पाथ्रीकर (नान्देड़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**काले,** श्रीमती अनुसूया बाई (नागपुर)

**किरोलीकर,** श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

**कुरील,** श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगड़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व––रक्षित अनुसूचित जातियां)

**कुरील,** श्री तालिब प्यारेलाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

**कृपलानी,** आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)

**कृष्ण,** श्री म० रं० (करीमनगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

क–(क्रमशः)

**कृष्णचन्द्र,** श्री (जिला मथुरा––पश्चिम)
**कृष्णप्पा,** श्री मो० वे० (कोलार)
**कृष्णमाचारी,** श्री (मद्रास)
**कृष्णास्वामी,** डा० (कांचीपुरम)
**केलप्पन,** श्री क० (पोन्नानी)
**केशवअय्यंगार,** श्री न० (बंगलौर उत्तर)
**केसकर,** डा० ब० वि० (ज़िला सुल्तानपुर––दक्षिण)
**कोले,** श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
**कोट्टकपल्ली,** श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

**खरे,** डा० न० भ० (ग्वालियर)
**खर्डेकर,** श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सातारा )
**खां,** श्री शाहनवाज़ (जिला मेरठ––उत्तर पूर्व)
**खां,** श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
**खुदा बख्श,** श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
**खेड़कर,** श्री गोपालराव बाजीराव (बुडनाला-अकोला)
**खोंगमेंन,** श्रीमती बो० (स्वायत ज़िले––रक्षित––अनुसूचित जन जातियां)

ग

**गंगादेवी,** श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बारा-बंकी––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**गर्ग,** श्री राम प्रताप (पटियाला)
**गणपति राम,** श्री (ज़िला जौनपुर––पूर्व––रक्षित –अनुसूचित जातियां)
**गांधी,** श्री फीरोज़ (ज़िला प्रताप गढ़-पश्चिम व ज़िला राय बरेली––पूर्व)
**गांधी,** श्री मानिकलाल मगन लाल (पंच महल व बड़ोदा पूर्व)
**गांधी,** श्री व० बा० (बम्बई नगर––उत्तर)
**गाडगील,** श्री नरहरी विष्णु (पूना मध्य)
**गार्डलिंगन,** गौड, श्री (करनूल)
**गाम,** मल्लूदोरा श्री (विशाखापटनम्––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
**गिडवानी,** श्री चोइथराम प्रताबराय (थाना)
**गिरधारी,** भोई, श्री (कालाहांडी-बोलनगिरि––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
**गिरी,** श्री ब० वे० (पातपटनम्)
**गुप्त,** श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी––पूर्व)
**गुप्त,** श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता––दक्षिण––पूर्व)
**गुरुपादस्वामी,** श्री म० शि० (मैसूर)
**गुलाम कादिर,** श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
**गुह,** श्री अरुन चन्द्र (शान्ति पूर)

## ग–(क्रमशः)

**गोपालन,** श्री अ० क० (कन्ननूर)
**गोपीराम,** श्री (मंडी-महासू––रक्षित–अनुसूचित जातियां)
**गोविन्ददास,** सेठ (मंडला जबलपुर––दक्षिण)
**गोहिन,** श्री चौखामून (नाम निर्देशित––आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
**गोतम,** श्री (बालाघाट)
**गोंडर,** श्री कु० पैरियास्वामी (इरोड)
**गोंडर,** श्री कु० शक्ति वाडिवेल (पैरिया कुलम)

### घ

**घोष,** श्री अतुल्य (बर्दवान)
**घोष,** श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

### च

**चक्रवर्ती,** श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
**चटर्जी,** श्री नि० च० ( हुगली )
**चटर्जी,** श्री तुषार (श्री रामपुर)
**चटर्जी,** डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
**चट्टोपाध्याय,** श्री हरिन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
**चतुर्वेदी,** श्री रोहन लाल (ज़िला एटा––मध्य)
**चन्दा,** श्री अनिल कुमार (बीरभूमि)
**चन्द्र शेखर,** श्रीमती म० (तिरुबल्लूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**चांडक,** श्री भी० ल० (बेतूल)
**चांडक,** ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
**चालिहा,** श्री विमला प्रसाद (शिवसागर––उत्तर लखीमपुर)
**चावदा,** श्री अकबर (बनसकंठा)
**चेट्टियार,** श्री ति० सु०, अबिनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
**चेट्टियार,** श्री नागप्पा (रामानाथपुरम्)
**चौधरी,** श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहां पुर उत्तर व खीरी पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**चौधरी,** श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
**चौधरी,** श्री निकुंजबिहारी (घाटल)
**चौधरी,** श्री मुहम्मद शफी (जम्मू तथा काश्मीर)
**चौधरी,** श्री च० रा० (नरसरावपेट)

### ज

**जगजीवन राम,** श्री (शाहाबाद दक्षिण––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**जजवाड़े,** श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग)
**जयपाल सिंह,** श्री (रांची पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

ज–(क्रमशः)

**जयरामन,** श्री (टिंडीवनम––रक्षित-अनुसूचित जातियां)
**जयश्री रायजी,** श्रीमती (बम्बई––उपनगर)
**जयसूर्य,** डा० न० म० (मेदक)
**जांगड़े,** श्री रेशम लाल (बिलासपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**जाटववीर,** डा० मानिक चन्द (भरतपुर-सवाई माधोपुर ब––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**जेठन,** श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग व रांची––रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
**जेना,** श्री कान्हुचरण (बालासोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**जेना,** श्री निरंजन (ढेंकनाल––पश्चिम कटक––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**जेना,** श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर-क्योंझर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**जैदी,** कर्नल व० ड० ज़िला (हरदोई––उत्तर पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद––पूर्व व जिला शाहजहांपुर दक्षिण)
**जैन,** श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर––पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरनगर––उत्तर)
**जैन,** श्री नेमी शरन (ज़िला बिजनौर––दक्षिण)
**जोगेन्द्र,** सिंह, सरदार (ज़िला बहराइच––पश्चिम)
**जोशी,** श्री आनंद चन्द्र (शाहडोल––सीधी)
**जोशी,** श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
**जोशी,** श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
**जोशी,** श्री नन्द लाल (इन्दौर)
**जोशी,** श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)
**जोशी,** श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)
**जोशी,** श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
**ज्वाला प्रसाद,** श्री (अजमेर उत्तर)

झ

**झुनझुनवाला,** श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

**टंडन,** श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद-पश्चिम)
**टेक चन्द,** श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

**डाभी,** श्री फूल सिंहजी भ० (कैरा–वा उत्तर)
**डामर,** श्री अमर सिंह सबाजी (झबुआ––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

त

**तिम्मय्या,** श्री डोडा (कोलार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**तिवारी,** पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)
**तिवारी,** पंडित ब० ला० (नीमाड़)
**तिवारी,** सरदार राज भानू सिंह (रीवा)

## त–(क्रमशः)

**तिवारी,** श्री राम सहाय (छत्तरपुर––दतिया टीकमगढ़)

**तिवारी,** श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर––उत्तर व ज़िला फ़रुखाबाद––दक्षिण)

**तुलसीदास,** किलाचंदजी (मेहसना पश्चिम)

**तेलकीकर,** श्री शंकर राव (नान्देड़)

**त्यागी,** श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर––उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर पश्चिम)

**त्रिपाठी,** श्री कामाख्या प्रसाद (दर्रांग)

**त्रिपाठी,** श्री वश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली–पश्चिम व ज़िला हरदोई-दक्षिण-पूर्व)

**त्रिपाठी,** श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फरनगर––दक्षिण)

**त्रिवेदी,** श्री उम्माशंकर मूलजी भाई (चित्तौड़)

## थ

**थिरानी,** श्री (बारगढ़)

**थामस,** श्री अ० म० (एरणाकुलम)

**थामस,** श्री अ० व० (श्री वैकुंठम्)

## द

**दत्त,** श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम)

**दत्त,** श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

**दशर्थ देव,** श्री (त्रिपुरा पूर्व)

**दामोदरन,** श्री नेत्तूर प० (तेलिचरी)

**दामोदरन,** श्री गो० रं० (पोल्लाची)

**दातार,** श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव उत्तर)

**दास,** श्री कमल कृष्ण (बीरभूम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**दास,** श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**दास,** श्री बसंत कुमार (कंटाई)

**दास,** श्री ब० (जाजपुर––क्योंझर)

**दास,** श्री बेलिराम (बारपेटा)

**दास,** डा० मन मोहन (बर्दवान––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**दास,** श्री राम धनी (गया पूर्व––रक्षित–अनुसूचित जातियां)

**दास,** श्री रामानन्द (बैरकपुर)

**दास,** श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

**दास,** श्री सारंगधर (ढेंकनाल-पश्चिम कटक)

**दास,** श्री श्रीनारायण (दरभंगा मध्य)

**दिगम्बर सिंह,** श्री (ज़िला एटा-पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम––व ज़िला मथुरा पुर्व)

**दीवान,** श्री राघवेन्द्र राव श्री निवास राव (उस्मानाबाद)

द–(क्रमशः)

**दुबे,** श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती-उत्तर)
**दुबे,** श्री मूलचन्द (ज़िला फरुखाबाद उत्तर)
**दुबे,** श्री राजाराम गिरधर लाल (बीजापुर—उत्तर)
**देव,** श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
**देव,** हिज़ हाईनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिरि)
**देवगम,** श्री कान्हूराम (चायबसा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
**देशपांडे,** श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
**देशपांडे,** श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
**देशमुख,** श्री कृ० गु० (अमरावती पश्चिम)
**देशमुख,** श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
**देशमुख,** डा० पंजाब राव श० (अमरावती-पूर्व)
**देसाई,** श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
**देसाई,** श्री खंडभाई कासनजी (हालर)
**द्विवेदी,** श्री म० ला० (ज़िला हमीरपुर)
**द्विवेदी,** श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर मध्य)

ध

**धुलेकर,** श्री र० वि० (ज़िला झांसी-दक्षिण)
**धुसिया,** श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**धोलकिया,** श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ–पूर्व)

न

**नन्दा,** श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
**नटराजन,** श्री श० श० (श्री विल्ली पुत्तूर)
**नटवाडकर,** श्री जयन्तराव गणपति (पश्चिम खानदेश–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
**नटेशन,** श्री पी० (तिरुवल्लूर)
**नथवानी,** श्री नरेन्द्र प्रा० (सोरठ)
**नथानी,** श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
**नम्बियार,** श्री क० आनन्द (मयूरम)
**नरसिंहन,** श्री च० रा० (कृष्णागिरी)
**नरसिंहम,** श्री श० ब० ल० (गुटूर)
**नास्कर,** श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**नानादास,** श्री मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**नायडू,** श्री नाला रेड्डी (राजामंडी)
**नायर,** श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावे-लिक्करा)
**नायर,** श्री वे० प० (चिरनीयकील)

**न–**(क्रमशः)

**नायर,** श्री च० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

**निजलिंगप्पा,** श्री (चितलद्रुग)

**नेवटिया,** श्री ए० प्र० (ज़िला शाहजहांपुर––उत्तर व खेरी-पूर्व)

**नेसवी,** श्री ति० रू० (धारवाड़––दक्षिण)

**नेसामनी,** श्री अ० (नागर कोइल)

**नेहरू,** श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी––पश्चिम)

**नेहरू,** श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद––पूर्व व ज़िला जौनपुर––पश्चिम)

**नेहरू,** श्रीमती शिवराजवती (ज़िला लखनऊ––मध्य)

**प**

**पटनायक,** श्री उमाचरण (घुमसूर)

**पटेरिया,** श्री सुशील कुमार (जबलपुर––उत्तर)

**पटेल,** श्री बहादुर भाई कुंठाभाई (सूरत––रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

**पटेल,** श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा––दक्षिण)

**पटेल,** श्री राजेश्वर (मुज़फ्फरपुर व दरभंगा)

**पन्नालाल,** (श्री ज़िला फ़ैजाबाद––उत्तर––पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**परमार,** श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व––रक्षित–अनुसूचित आदिमजातियां)

**परांजपे,** श्री (भीर)

**परागी लाल,** चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**पवार,** श्री वेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

**पाण्डे,** डा० नटवर (सम्बलपुर)

**पाण्डे,** श्री च० द० (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा–दक्षिण पश्चिम व ज़िला–बरेली उत्तर)

**पाण्डे,** श्री बद्रीदत्त (ज़िला अलमोड़ा उत्तर-पूर्व)

**पाटस्कर,** श्री हरि विनायक (जलगांव)

**पाटिल,** श्री स० का० (बम्बई नगर दक्षिण)

**पाटिल,** श्री पं० रा० कानावाडे (अहमदाबाद––उत्तर)

**पाटिल,** श्री शंकरगौड़ बीरनगौड़ (बेलगाम दक्षिण)

**पारिख,** डा० जयंती लाल नरवरम् (झालावाड़)

**पारिख,** श्री शांतिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना––पूर्व)

**पालचौधरी,** श्रीमती इला (नवद्वीप)

**पिल्ले,** श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)

**पुनूस,** श्री (आलप्पि)

**पोकर साहेब,** श्री (मलपुरम)

**प्रभाकर,** श्री नवल (बाह्य दिल्ली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**फ**

**फोतेदार,** पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

**ब**

**बंसल**, श्री घमंडी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
**बंसीलाल**, श्री (जयपुर)
**बदन सिंह**, चौधरी (जिला बदायुं—पश्चिम)
**बर्मन**, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**बरूआ**, श्री देवकान्त (नौगांव)
**बलदेव सिंह**, सरदार (नवांशहर)
**बसु**, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
**बसु**, श्री कमल कुमार, (ड़ायमंड-हार्बर)
**बहादुर सिंह**, श्री (फ़िरोजपुर-लुधियाना—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
**बागडी**, श्री मगन लाल (महासमूंद)
**बाबूनाथ सिंह**, श्री (सरगुजा-रायगड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**बारूपाल**, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू–रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**बालकृष्णन**, श्री स० चि० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**बालसुब्राहमण्यम्**, श्री यु० (मदुरै)
**बाल्मीकी**, श्री कन्हैयालाल (जिला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**बासप्पा**, श्री चि० रे० (तमकुर)
**बिदारी**, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
**बीरबल सिंह**, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व)
**बीरेन दत्त**, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
**बुच्चिकोटैया**, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
**बूबराघस्वामी**, श्री वै० (पैराम्बलूर)
**बैनर्जी**, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़—ग्राम)
**बैरो**, श्री ए० ग्र० था० (नाम निर्देशित—ग्रांग्ल भारतीय)
**बोगावत**, श्री उ० रा० (ग्रहमदनगर—दक्षिण)
**बोरकर**, श्रीमती—ग्रनुसूयाबाई भाउराव (भंडारा—रक्षित—ग्रनुसूचित जातियां)
**बोस**, श्री (मानभूम-उत्तर)
**ब्रजेश्वर प्रसाद**, श्री (गया पूर्व)
**ब्रह्मचौधरी**, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—ग्रनुसूचित—ग्रादिम जातियां)

**भ**

**भंडारी**, श्री दौलतमल (जयपुर)
**भक्त दर्शन**, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व)
**भगत**, श्री बा० रा० (पटना व शाहाबाद)
**भटकर**, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना ग्रकोला—रक्षित—ग्रनुसूचित–जातियां)
**भट्ट**, श्री चन्द्र शेखर (भड़ौच)

भ–(क्रमशः)

**भवनजी अ० खेमजी,** श्री (कच्छ-पश्चिम)
**भवानी सिंह,** श्री (बाड़मेर-जालोर)
**भार्गव,** पण्डित ठाकुरदास (गुड़गांव)
**भार्गव,** पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर—दक्षिण)
**भारती,** श्री गोस्वामी राजा सहदेव (युवतमाल)
**भारतीय,** श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
**भीखाभाई,** श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
**भोंसले,** श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी—उत्तर)

म

**मंडल,** डा० पशुपति (बांकुंडा—रक्षित—अनुसुचित जातियां)
**मजीठियां,** सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
**मथुरम्,** डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
**मल्लय्या,** श्री ड० श्रीनिवास (दक्षिण कनड़—उत्तर)
**मसूरिया दीन,** श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
**मसूदी,** मौलाना मुहम्मद शईद (जम्मू तथा काश्मीर)
**महता,** श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)
**महाता,** श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
**महापात्र,** श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
**महोदय,** श्री बेजनाथ (निमार)
**माझी,** श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम–जातियां)
**माझी,** श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धाल-भूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
**मातन,** श्री (तिरुवल्ला)
**मादिया गौडा,** श्री (बंगलौर—दक्षिण)
**मायदेव,** श्रीमती इन्दिरा अ० (पूना—दक्षिण)
**मालवीय,** श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)
**मालवीय,** श्री मोतीलाल (छत्तरपुर-दतिया टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**मालवीय,** श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**मालवीय,** पंडित चतुरनारायण (रायसेन)
**मावलंकर,** श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
**मिनीमाता,** श्रीमती (बिलासपुर-दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**मिश्र,** श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग—रायपुर)
**मिश्र,** श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर उत्तर-पश्चिम)
**मिश्र,** श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्द शहर)
**मिश्र,** श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
**मिश्र,** पंडित लिंगराज (खुर्दा)

म–(क्रमशः)

**मिश्र,** श्री लोकनाथ (पुरी)
**मिश्र,** श्री विज्ञेश्वर (गया उत्तर)
**मिश्र,** श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
**मिश्र,** श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)
**मिश्र,** श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया––दक्षिण)
**मिश्र,** पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व)
**मुकर्जी,** श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––उत्तर––पूर्व)
**मुक्णे** श्री प० मा० (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
**मुचाकी कोसा,** श्री (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
**मुत्तुकृष्णन,** श्री मु० (वेल्लूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**मुदलियार,** श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
**मुनिस्वामी अवर्गल थिरूकुरलार,** श्री (तिंडीवनम्)
**मुनिस्वामी,** श्री न० रा० (वान्दिवाश)
**मुरली मनोहर,** श्री (ज़िला बलिया––पूर्व)
**मुरारका,** श्री राधेश्यान राम कुमार (गंगानगर––झुंझनू)
**मुसहर,** श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**मुसाफिर,** श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
**मुहम्मद अकबर,** सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
**मुहीउद्दीन,** श्री अहमद (हैदराबाद नगर)
**मूर्ती,** श्री ब० स० (एलुरु)
**मेनन,** श्री दामोदर (कोजिकोडे)
**मेहता,** श्री अशोक (भंडारा)
**मेहता,** श्री जसवन्त राव (जोधपुर)
**मेहता,** श्री बलवंतराय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
**मैथ्यू,** श्री (कोट्टयम्)
**मैत्र,** श्री मोहित कुमार (कलकत्ता––उत्तर-पूर्व)
**मैस्करीन,** कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
**मोरे,** श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**मोरे,** श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

र

**रघुरामैय्या,** श्री कोत्ता (तेनालि)
**रघुनाथ सिंह,** श्री (ज़िला बनारस––मध्य)
**रघुवीर सहाय,** श्री (ज़िला एटा––उत्तर––पूर्व व ज़िला बदायूं––पूर्व)
**रघुवीर सिंह,** चौधरी (ज़िला आगरा––पूर्व)
**रजमी,** श्री सायदुल्ला खां (सिहोर)
**रणजीत सिंह,** श्री (संगरूर)

## र–(क्रमशः)

**रघुवीर सिंह,** चौ० (जिला आगरा—पूर्व)
**रजमी,** श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
**रणजीत सिंह,** श्री (संगरुर)
**रनदमन सिंह,** श्री (शाहडोल-सीधी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
**रणवीर सिंह,** चौ० (रोहतक)
**रहमान,** श्री मु० हिफ्जुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)
**राउत,** श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**राघवाचारी,** श्री (पेनुकोंडा)
**राघवैया,** श्री पशुपति वेंकट (ओंगोल)
**राचय्या,** श्री न० (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**राज बहादुर,** श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
**राजभोज,** श्री पा० ना० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**राधा रमण,** श्री (दिल्ली नगर)
**राने,** श्री शिवराम रांगो (भूसावल)
**रामकृष्ण,** श्री (महेन्द्र गढ़)
**रामचन्द,** डा० दो० (वेल्लोर)
**राम दास,** श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**रामनारायण सिंह,** बाबू (हजारीबाग पश्चिम)
**राम शंकर लाल,** श्री (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम)
**राम शरण,** श्री (जिला मुरादाबाद—पश्चिम)
**रामशेषय्या,** श्री न० (पार्वतीपुरम)
**राम सुभग सिंह,** डा० (शाहबाद—दक्षिण)
**रामस्वामी,** श्री० म० दो० (अर्रुपुक्कोटायी)
**रामस्वामी,** श्री सै० वे० (सैलम)
**रामस्वामी,** श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**रामानन्द तीर्थ,** स्वामी (गुलबर्गा)
**रामानन्द शास्त्री,** स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**राय,** श्री विश्व नाथ (जिला देवरिया—पश्चिम)
**राय,** डा० सत्यवान (उलुबेरिया)
**राव,** श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाडा)
**राव,** श्री कनेटी मोहन (राजमंद्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**राव,** श्री कोंदू सुब्बा (एलुरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
**राव,** श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)
**राव,** श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
**राव,** श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)

## र–(क्रमशः)

**राव,** जी० बो० राजगोपाल (श्री काकुलम)

**राव,** श्री वें० शिवा (दक्षिण कन्नड़––दक्षिण)

**राव,** श्री रायासन शेषगिरि (नन्दयाल)

**राव,** डा० चे० वे० रामा (काकिनाडा)

**रिचर्डसन,** बिशप जान (नाम निर्देशित––अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)

**रिशांग किशिंग,** श्री (बाह्य मनीपुर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

**रुपनारायण,** श्री (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस––पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**रे,** श्री बीरकिशोर (कटक)

**रेड्डी,** श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

**रेड्डी,** श्री विश्वनाथ (चित्तूर)

**रेड्डी,** श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)

**रेड्डी,** श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)

**रेड्डी,** श्री रविनारायण (नलगोंडा)

**रेड्डी,** श्री ईश्वर (कड़पा)

**रेड्डी,** श्री माधव (आदिलाबाद)

## ल

**लंकासुदरम,** डा० (विशाखापटनम्)

**लक्ष्मय्या,** श्री पेडी (अनन्तपुर)

**ललनजी,** श्री (जिला फैजाबाद–उत्तर पश्चिम)

**लाल सिंह,** सरदार (फीरोजपुर-लुधियाना)

**लाश्कर,** श्री निवारण चन्द्र (कचार––लुशाई पहाड़ियां––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**लिंगम,** श्री न० मा० (कोयम्बटूर)

**लोटन राम,** श्री (जिला जालोन व जिला इटावा–पश्चिम व जिला झांसी––उत्तर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

## व

**वर्मा,** श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई––उत्तर––पश्चिम व जिला फ़रुखाबाद––पूर्व व जिला शाहजहांपुर––दक्षिण––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

**वर्मा,** श्री वि० बि० (चम्पारन उत्तर)

**वर्मा,** श्री माणिक्य लाल (टोंक)

**वर्मा,** श्री रामजी (जिला देवरिया––पूर्व)

**वालाथरास,** श्री क० मु० (पुदुकोटै)

**वाघमारे** श्री नारायणराव (परभणी)

**विद्यालंकार,** श्री अमर नाथ (जालंधर)

**विलसन,** श्री जा० न० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस–पश्चिम)

व–(क्रमशः)

**विश्वनाथ प्रसाद,** श्री (जिला आजमगढ़––पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**वीरस्वामी,** श्री वा० (मयूरम्––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**वेंकटरामन,** श्री र० (तंजोर)
**वेलायुधन,** श्री र० (क्विलोन व मावे लिक्करा––रक्षित––अनुसूचित––जातियां)
**वैश्य,** श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**वैष्णव,** श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
**बोडयार,** श्री कृ० गु० (शिमोगा)
**व्यास,** श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

**शंकरपाडियन,** श्री मा० (शंकरनायिनार कोविल)
**शकुन्तला नायर,** श्रीमती (जिला गोंडा–पश्चिम)
**शर्मा,** पंडित कृष्ण चन्द्र (जिला मेरठ दक्षिण)
**शर्मा,** श्री खुशीराम (जिला मेराठ–पश्चिम)
**शर्मा,** श्री दीवान चन्द्र (होशियारपुर)
**शर्मा,** श्री नन्द लाल (सीकर)
**शर्मा,** पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व जिला इटावा–पुर्व)
**शर्मा,** श्री राधा चरण (मुरैना––भिंड)
**शास्त्री,** पंडित अलगू राय (जिला आजमगढ़––पूर्व व जिला बलिया––पश्चिम)
**शास्त्री,** श्री राजा राम (जिला कानपुर–– मध्य)
**शाह,** हर हाइनस राजमाता कमलेन्दुमति (जिलः गढ़वाल––पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर––उत्तर)
**शाह,** श्री चिमनलाल चाकूभाई गोहिलवाड़ (सोरठ)
**शाह,** श्री रायचन्द भाई न० (छिदवाड़ा)
**शिव,** डा० गंगाधर (चित्तूर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**शिवनंजप्पा,** श्री (मंडया)
**शुक्ल,** पंडित भगवती चरण (दुर्ग-बस्तर)
**शोभाराम,** श्री (अलवर)
**श्री मन्नारायण,** श्री (वर्धा)

स

**सगण्णा,** श्री (रायगढ़ फूलबानी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
**सक्सेना,** श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
**सक्सेना,** श्री शिब्बनलाल (जिला गोरखपुर––उत्तर)
**सत्यवादी,** डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**सतीश चन्द्र,** श्री (जिला बरेली––दक्षिण)
**सर्मा,** श्री देवेन्द्र नाथ (गौहाटी)

स–(क्रमशः)

**सर्मा,** श्री देवेश्वर (गोलाघाट-जोरहाट)
**सहगल,** सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
**सहाय,** श्री श्यामनन्दन (मुज़फ्फरपुर मध्य)
**सामन्त,** श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
**साहू,** श्री भागवत (बालासौर)
**साहू,** श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**सिंघल,** श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
**सिंह,** श्री गिरिराज शरण सिंह (भरतपुर सवाई माधोपुर)
**सिंह,** श्री चडिकेश्वर शरण सिंहजू (सरगुजा-रायगढ़)
**सिंह,** श्री झूलन (सारन उत्तर)
**सिंह,** श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस––पूर्व)
**सिंह,** श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर––उत्तर पूर्व)
**सिंह,** श्री दिनेश प्रताप (ज़िला बहराइच––पूर्व)
**सिंह,** श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर––सदर व जमुई)
**सिंह,** श्री महेन्द्र नाथ (सारन मध्य)
**सिंह,** ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरपुर––उत्तर-पश्चिम)
**सिंह,** श्री राम नगीना (ज़िला गाजीपुर पूर्व व ज़िला बलिया––दक्षिण पश्चिम)
**सिंह,** श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतारिक मनीपुर)
**सिंह,** डा० सत्यनारायण (सारन––पूर्व)
**सिंह,** श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर––पूर्व)
**सिंह,** श्री सत्येन्द्र नारायण (गया-पश्चिम)
**सिंह,** श्री हर प्रसाद (ज़िला––गाज़ीपुर––पश्चिम)
**सिंहासन सिंह,** श्री (ज़िला गोरखपुर––दक्षिण)
**सिद्धनंजप्पा,** श्री ह० (हसन चिकमगलूर)
**सिन्हा,** श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर––पूर्व)
**सिन्हा,** श्री स० (पाटलिपुत्र)
**सिन्हा,** श्री कैलाश पति (पटना––मध्य)
**सिन्हा,** श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारीबाग व रांची)
**सिन्हा,** श्रीमती तारकेश्वरी (पटना––पूर्व)
**सिन्हा,** श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग––पूर्व)
**सुंदरलाल,** श्री (ज़िला सहारनपुर––पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरनगर––उत्तर––रक्षित ––अनुसूचित जातियां)
**सुब्रह्मण्य,** श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
**सुब्रह्मण्यम्,** श्री कांडला (विजय नगरम्)
**सुब्रह्मण्यम्,** श्री टेकूर (बेल्लारी)

स–(क्रमशः)

**सुरेश चन्द्र,** डा० (औरंगाबाद)
**सुर्य प्रसाद,** श्री (मुरना––भिंड––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**सेन,** श्री फनीगोपाल (पूर्णिया मध्य)
**सेन,** श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
**सेन,** श्रीमती सुषमा (भागलपुर-दक्षिण)
**सेवल,** श्री अ० रा० (चम्बा-सिरमूर)
**सय्यद महमूद,** डा० (चम्पारन––पूर्व)
**सोधिया,** श्री खूब चन्द (सागर)
**सोमना,** श्री न० (कुर्ग)
**सोमानी,** श्री ग० ध० (नागौर-पाली)
**स्नातक,** श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़––रक्षित–अनुसूचित जातियां)
**स्वामी,** श्री शिवमूर्ति (कुष्टगो)
**स्वामीनाथन,** श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

**हंसदा,** श्री बेंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
**हजारिका,** श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
**हरि मोहन,** डा (मानभूम उत्तर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
**हासदा,** श्री सुबोध (मिदनापूर––झाड़ग्राम–रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियाँ)
**हुक्मसिंह,** सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
**हेडा,** श्री (निजामाबाद)
**हेमब्रोम,** श्री लाल (संथाल परगना व हजारी बाग–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियाँ)
**हेम राज,** श्री (काँगड़ा)
**हैदर हुसेन,** चौधरी (जिला गौंडा––उत्तर)

———

# लोकसभा

**अध्यक्ष**

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

**उपाध्यक्ष**

सरदार हुक्म सिंह

**सभापति तालिका**

पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्री कृ० सु० राघवाचारी
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सूषमा सेन

**सचिव**

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-लॉ

**कार्य मंत्रणा समिति**

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देवकान्त बरुआ
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री ब० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

**विशेषाधिकार समिति**

सरदार हुक्म सिंह (**सभापति**)
श्री हरि विनायक पाटस्कर

**विशेषाधिकार समिति**—(क्रमशः)

श्री सत्यनारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देवकान्त बरुआ
श्री वेंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
आचार्य कृपलानी
श्री शं० शां० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमी शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

**सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबधी समिति**

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर **(सभापति)**
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्रनाथ सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री फूल सिंह जी ब० डाभी
श्री भागवत झा आजाद
श्री रामदास
श्री उ० मू० त्रिवेदी
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री क० म० वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

**आश्वासनों सम्बंधी समिति**

श्री कृ० सु० राघवाचारी **(सभापति)**
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री दामोदर मेनन
श्री ए० अ० था० बैरो

**आश्वासनों सम्बन्धी समिति**—(क्रमशः)

श्री अनिरुद्ध सिन्हा
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसंत कुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वैंकट रामन
पंडित लिंगराज मिश्र

**लाभ पदों सम्बन्धी समिति**

**लोक-सभा**

पंडित ठाकुर दास भार्गव **(सभापति)**
श्री व० बा० गांधी
श्री से० वें० रामास्वामी
श्री रघुरामैया
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री घुलेकर
श्री अनिरुद्ध सिन्हा
श्री शं० शा० मोरे
श्री कमलकुमार बसु
श्री न० रामशेषय्या

**राज्य सभा**

श्री म० गोविन्द रेड्डी
काज़ी करीमुद्दीन
श्री अमोलक चन्द
प्रोफेसर ग० रंगा
श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

**याचिका समिति**

श्री कोता रघु रामैया
श्री शिवदत्त (उपाध्याय)
श्री क० ते० अच्युतन
श्री सोहन लाल जुसिया
श्री सु० चं० देव

**याचिका समिति**—(क्रमशः)

श्री लीला धर जोशी
श्री उ० रा० बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री राम राज जजवाड़े
श्री रमेश लाल जांगड़े
श्री पां० ना० राजभोज
श्री पो० सुब्बा राव
श्री आनन्द चन्द
डा० च० व० रामाराव
श्री राम जी वर्मा

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति**

सरदार हुक्म सिंह **(सभापति)**
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प्रा० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इलापाल चौधरी
श्री न० राचय्या
श्री नटवर पांडे
श्री भवानी सिंह
श्री त० व० विट्ठल राव
श्री माधव रेड्डी
श्री नी० श्रीकान्तन नायर
श्री रायसाम शेषगिरि राव

**अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति**

श्री नि० चं० चटर्जी **(सभापति)**
श्री से० वें० रामस्वामी
श्री न० मा० लिंगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्त राव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्द लाल जोशी

**अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति**—(क्रमशः)

श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेम राज
श्री ह० सिद्धवैजप्पा
डा० कृश्णास्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

**प्राक्कलन समिति**

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता **(सभापति)**
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती खोंगमेन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० रं० कृष्ण
श्री जेठावाल हरिकृष्ण जोशी
श्री भवानी सिंह
श्री पो० सुब्बा राव
श्री पां० ना० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री च० रा० नरसिंहन्
श्री रघुवीर सहाय
पंडित अलगूराय शास्त्री
श्री अब्दुसत्तार
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क
श्री न० राचैया
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगल गिरि नानादास
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री गाडलिंगन् गौड़

**प्राक्कलन समिति**—(क्रमशः)

श्री जसवन्तराज मेहता
श्री ए० अ० था० बैरो
श्री चौइथराम परताबराय गिडवानी

**सामान्य प्रयोजन समिति**

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार **(सभापति)**
सरदार हुक्मसिंह
पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रेंक एन्थोनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुशमा सेन
श्री कृ० सु० राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० बा० गांधी
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोता रघुरामैया
श्री आल्तेकर
श्री उ० श्री मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
आचार्य कृपलानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० कृष्णास्वामी

**आंवास समिति**

श्री उ० श्रीनिवास मल्ल्य्या **(सभापति)**
श्री बीरबल सिंह
श्री राधाचरण शर्मा
श्री जार्ज थामस कौट्टुकपल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना
श्री भूपेन्द्रनाथ मिश्र
श्री न० दो० गोविन्दस्वामी काचिरोयर
श्री राज चन्द्र सेन

**आवास समिति—(क्रमशः)**

श्री नम्बियार
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

**संसद् सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति**

**लोक सभा**

श्री सत्यनारायण सिंह **(सभापति)**
श्री भागवत झा आजाद
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कोले
श्री गो० ह० देशपांडे
श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

**राज्य-सभा**

श्री ह० च० दासप्पा
श्री द० नारायण
श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री वें० कृ० दागे

**पुस्तकालय समिति**

**लोक सभा**

सरदार हुक्म सिंह **(सभापति)**
श्री वें० ना० तिवारी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री उ० च० पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री ही० ना० मुकर्जी

**राज्य सभा**

श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'
श्री थ्यौडोर बोद्रा
श्रीमती लीलावती मुंशी

## लोक लेखा समिति

### लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (**सभापति**)
श्री कृ० गु० देशमुख
श्री उ० श्री मल्लय्या
श्री दीवान चन्द्र शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री क० कु० बसु
श्री बूबराघस्वामी
डा० इन्दुभाई ब० अमीन
श्री निवारण चन्द्र लाश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधेलाल ब्यास
श्री मात्तन
आचार्य कृपलानी
श्रीमती शकुन्तला नायर

### राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री रा० मा० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्यामधर मिश्र
श्री प्रे० था० ल्यूवा
श्री बि० कु० घोष
श्री वल्लभराव

## नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् आयंगार (**सभापति**)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री न० केशव अय्यंगार
श्री शिवराम रांगो राने
श्री घमंडी लाल बंसल
श्री खुशीराम शर्मा
श्री कोता रघुरामैया

**नियम समिति**—(क्रमशः)

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

डा० जयसूर्य

श्री नि० चं० चटर्जी

श्री भवानी सिंह

श्री कमल कुमार बसु

श्री कृ० सु० राघवाचारी

## भारत सरकार

### मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री, और आणविक शक्ति विभाग के भी प्रभारी—श्री जवाहर-लाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

गृह-कार्य मंत्री—पंडित गोविन्द वल्लभ पंत

संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृतकौर

वित्त मंत्री—श्री चि० द्वा० देशमुख

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा

प्रतिरक्षा मंत्री—डा० काटजू

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री—श्री कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री चो० चं० विश्वास

रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री ला० ब० शास्त्री

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—सरदार स्वर्णसिंह

उत्पादन—मंत्री श्री क० च० रेड्डी

खाद्य और कृषि मंत्री—श्री अ० प्र० जैन

श्रम मंत्री—श्री खण्डू भाई देसाई

बिना विभाग के मंत्री—श्री कृष्ण मेनन

**मंत्रिमंडल की कोटी के सदस्य (किन्तू मंत्रीमंडल क सदस्य नहीं)**

**संसद्-कार्य मंत्री**—श्री सत्यनारायण सिंह

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

व्यापार मंत्री—श्री करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पं० शा० देशमुख

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सैयद महमूद

विधि कार्य मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर

प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० दे० मालवीय

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री म० च० शाह

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुह

**मंत्रीमंडल के सदस्य**—(क्रमशः)

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चंद खन्ना
उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानून गो
संचार मंत्रालय मे मंत्री—श्री राजबहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री—श्री दातार
भारी उद्योग मंत्री—श्री म० म० शाह

**उप मंत्री**

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सु० सिं० मजीठिया
श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री—श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती म० चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य और कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
शिक्षा उपमंत्री—श्री म० मो० दास

**सभा-सचिव**

वैदेशिक विभाग मंत्री के सभा सचिव—श्रीमती लक्ष्मी न ० मेनन
रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव—श्री शाहनवाज़ खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जोगेन्द्र नाथ हज़ारिका
उत्पादन मंत्री के सभा सचिव—श्री राजा राम गिरिधारी लाल दूबे
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा सचिव—श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

## लोक-सभा

सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

---

(लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय (श्री म० अनंतशयनम् अय्यंगार )** पीठासीन हुये]

## प्रश्नोत्तर

**(देखिये भाग १)**

**१२ बजे मध्यान्ह**

---

## स्थगत--प्रस्ताव

### देश में बाढ़ें

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री शि० ला० सक्सेना से "देश के सभी भागों में और विशेष रूपसे उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम की नदियों में आई बाढ़ परिणामस्वरूप हुए विनाश और योजना मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के आश्वासन के बावजूद, कि बाढ का प्रश्न "सर्वाधिक महत्व पूर्ण माना जायेगा तथा उसे "सामरिक आधार" पर हल किया जायेगा किसी प्रकारकी ठोसर कार्यवाही है करने में सरकार की असफलता" इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है यह आज सुबह प्राप्त हुई। श्री शिवमूर्ति स्वामी और श्री अ० क० गोपालन ने क्रमश: १० और १३ जुलाई को एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी जिसका सम्बन्ध समस्त देश में आई बाढों से और प्रभावित जनता से था और उन्होंने इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में भी पूछा था। मैंने ईस प्रश्नों को माननीय मंत्री को प्रेषित कर दिया है ताकि मुझे यह ज्ञात हो सके कि वह उन्हें अल्प सूचना प्रश्न मान लेने और कोई विशिष्ट तारीख निश्चित कर देने के लिये तैयार है अथवा उनका उत्तर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दिया जायगा। यदि माननीय मंत्री अभी कोई वक्तव्य देने की स्थिति में हैं तो वह दे सकते हैं, अन्यथा यदि उन्हें समय की आवश्यकता हो तो वह इस का विस्तृत उत्तर प्रश्नों के साथ दे सकते हैं।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)**: जी हां। जैसा कि आपने सुझाव दिया है, सर्वोत्तम उपाय यह होगा कि आवश्यक जानकारी एकत्रित करके उसे शीघ्रातिशीघ्र सदन के समक्ष रखने के लिये मुझे कुछ समय दिया जाये। मेरा ख्याल है कि मैं इसे अगले दो या तीन दिनों में कर लूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात को देखते हुए कि माननीय मंत्री इस मामले के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य देने जा रहे हैं, मै इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

### संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री म० शि० गुरुपादस्वामी से "रविवार दिनांक १५ जुलाई को दिल्ली के जिलाधीश द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसके द्वारा संसद् भवन और चर्च रोड, नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, डलहौज़ रोड और ग्रेट प्लेस के समीपस्थ क्षेत्रों मे प्रदर्शन अथवा सभाएं आयोजित करने और जलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया है" के सम्बन्ध मे एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। यह विधि के अन्तगत है। मुझे स्मरण है कि इससे पहले एक अवसर पर श्री साधन गुप्त ने महाराष्ट्र के कुछ सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी के बारे में यह कहते हुए कि वह शांत सत्याग्रही थे, एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैंने उसे यह कर, अस्वीकृत कर दिया था कि संसद्-भवन की सीमाओं के अन्दर सत्याग्रह या ऐसी ही कोई अन्य बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि संसद् के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। किन्तु मैं उस सम्बन्ध में जांच करूंगा। मैं इसे अभी ही नहीं निबटा रहा हूं। मैं सभी सम्बन्धित पत्रादि को देखूंगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस भवन की प्रसीमाओं को सुरक्षित रखना और जहां तक हमारे कार्य का सम्बन्ध है उसे प्रत्येक प्रकार की बाधा से चाना चाहते हैं। यह कहां तक उल्लंघन है यही बात तय की जानी है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : यह बात क्षेत्राधिकार से बाहर है ; यही हमारी शिकायत है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब तक हुई सभी प्रक्रियाओं को देख कर यह निश्चय करूंगा कि इसे कहां तक सीमित किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं अपने माननीय मित्रों को बुला लूंगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि आप से परामर्श लिये बिना स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आदेश न दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस बात पर अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य मुझे राज्य का कार्यपालिका प्रधान बनाना चाहते हैं।

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? जहां तक प्रसीमाओं का सम्बन्ध हैं वे आपके नियंत्रण मे हैं। ऐसी स्थिति में क्या पुलिस अधिकारियों को धारा १४४ के अन्तर्गत कोई उद्घोषणा जारी करने की शक्ति है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक प्रसीमाओं का सम्बन्ध है मेरे अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय इसके लिय मैं यथाशक्य कार्यवाही करूंगा। शांति और व्यवस्था बनी रहे इस बात में सदन के सभी वर्गों को दिलचस्पी होगी।

†**श्री शं० शां० मोरे :** क्या मैं जान सकता हूं कि जब पुलिस अधिकारियों ने उक्त आदेश जारी किये तो क्या उससे पहले उन्होंने आपसे विचार विमर्श किया था अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह इस समय बताने में असमर्थ हूं। मैं उस मामले के सम्बन्ध में भी जांच करूंगा।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** श्रीमान मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत एक अधिसूचना संख्या ए आर १९३७ (१७), दिनांक ७ अप्रैल, १९५६ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पनी के साथ लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–२३०/५६]**

---

†मूल अंग्रेजी में।

## कैल्शियम कार्बाइड उद्योग को संरक्षण दिये जाने के संबंध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : श्रीमान्, मैं तटकर आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत इन पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं, अर्थात्

(१) कैल्शियम कार्बाइड उद्योग को संरक्षण और/अथवा सहायता दिये जाने के सम्बन्ध मे प्रशल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९५६ ।

(२) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ३७ (१)–टी बी। ५६, दिनांक ३० जून, १९५६ ।

(३) तटकर आयोग अधिनियम की धारा १६(२) के परन्तुक के अनुसार एक विवरण जिसमे यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त (१) और (२) में निर्देश पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति विहित अवधि में सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२३१।५६]**

## चाय नियमों का संशोधन

†**श्री कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं चाय अधिनियम, १९५१ की धारा ४९ की उपधारा (३) के अनुसार चाय नियम १९५४ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली एक अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४७६, दिनांक ३० जून, १९५६, की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२३२।५६]**

## अचल सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : श्रीमान्, मैं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम १९५२ की धारा १७ की उपधारा (१) के अनुसार एक अधिसूचना संख्या इ वी-११ (६)।५६, दिनांक १८ जनवरी १९५६, की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२३३।५६]**

## संसद् पदाधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, मैं संसद् पदाधिकारी वेतन तथा भत्ता अधिनियम १९५३ की धारा ११ की उपधारा (२) के अनुसार संसद् पदाधिकारी (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, १९५६, की जो कि संसद् कार्य विभाग अधिसूचना संख्या० एस० आर० ओ० १३५६, दिनांक १६ जून, १९५६ में प्रकाशित हुई, एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२३४।५६]**

## फल उत्पाद आदेश का संशोधन

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : श्रीमान्, मैं अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अनुसार फल उत्पाद आदेश, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली एक अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १२५०, दिनांक १९ मई १९५६ की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-२३५।५६]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत मामलों में की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण**

†**राजस्व और असैनिक व्यर्थ मंत्री (श्री म० च० शाह)**: श्रीमान्, मैं भारतीय आयकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर चर्चा के दौरान में १८ सितम्बर, १९५४ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसार भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ३४(१क) के अन्तगत ३१ मई, १९५६ तक मामलों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रगति को बताने वाले विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११**]

**भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्ति-प्राप्त सार्थों की सूची**

†**श्री म० च० शाह** : श्रीमान्, वित्त विधेयक, १९५३ पर चर्चा के समय दिनांक १८ अप्रैल, १९५३ को दिये गये एक आश्वासन के अनुसार जिन सार्थों को भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६(क) के अन्तर्गत उन्मुक्ति दी गई है उनकी सूची की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं।

सूची

मेसर्स धरंगधरा केमिकल वर्क्स लिमिटेड, बम्बई।

**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : श्रीमान्, मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत इन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या ३—सी ई आर।५६, दिनांक १९ मई, १९५६।
(२) अधिसूचना संख्या ४—सी ई आर।५६, दिनांक २ जून, १९५६।
(३) अधिसूचना संख्या ५—सी ई आर।५६, दिनांक ९ जून, १९५६।
(४) अधिसूचना संख्या ६—सी ई आर।५६, दिनांक ९ जून, १९५६।
(५) अधिसूचना संख्या ७—सी ई आर।५६, दिनांक १६ जून, १९५६।

[**पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एस—२३८।५६**]

**मद्रास चावल मिल अनुज्ञापन आदेश में संशोधन**

†**डा० पं० श० देशमुख** : श्रीमान्, श्री मो० वें० कृष्णप्पा की ओर से मैं अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अनुसार मद्रास चावल मिल अनुज्ञापन आदेश १९५५ म कुछ संशोधन करने वाली एक अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३२६, दिनांक३१मई १९५६ की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२३९।५६**]

---

**विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति**

†**सचिव** : मझे सभी को यह सूचना देनी है कि सदन में २८ मई, १९५६ के बाद से, जब कि गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, निम्न विधेयकों को, जो कि संसद् के सदनों द्वारा पारित किये जा चुक हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई है :

१. संसदीय प्रक्रिया ( प्रकाशन का संरक्षण ) विधेयक, १९५५।
२. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक, १९५५।
३. भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक

४. लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५५।
५. कृषि उत्पाद (विकास तथा भांडागार व्यवस्था) निगम विधेयक, १९५६।
६. त्रावनकोर-कोचीन राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५६।
७. हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५४।
८. जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६।

---

**राज्य पुनर्गठन विधेयक**

## संयुक्त समिति का प्रतिवेदन*

†**गृह-कार्य मंत्री (पं० गो० व० पन्त)** : श्रीमान्, मैं भारत के राज्यों का पुनर्गठन करने और उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक के बारे में संयक्त समिति के प्रतिवेदन* को उपस्थापित करता हूं।

**संविधान (नवां संशोधन) विधेयक**

## संयुक्त समिति का प्रतिवेदन**

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : श्रीमान्, मैं भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन* को उपस्थापि करता हूं।

---

## बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक***

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : श्रीमान्, मेरा प्रस्ताव है कि बिहार से पश्चिम बंगाल को कुछ क्षेत्रों का हस्तान्तरण और उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने के लिये एक विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

> "कि बिहार से पश्चिम बंगाल को कुछ राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण और उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक को उसी संयुक्त समिति को निदशित किया जायेगा या किसी नई संयुक्त समिति को ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन संयुक्त समिति ने आज प्रस्तुत किया है उसे इसके साथ ही किसी विशिष्ट तारीख को लिया जायेगा या उसके सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जायगी ? दूसरे म यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल और बिहार विधान सभाओं नें जो कार्यवाही की है क्या उसके प्रतिवेदन संसद् सदस्यों को उपलब्ध होंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक संयुक्त समिति का सम्बन्ध है जब भी कोई संयुक्त समिति नियुक्त की जाती है तो उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ही वह **समाप्त कृत्य** हो जाती है जब तक कि हम विधेयक को एक पृथक् प्रस्ताव द्वारा उसी संयुक्त समिति को निर्देशित न करें। उसी संयुक्त समिति के बजाय उन्हीं सदस्यों को इस विधेयक का निर्देश करने वाला एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। समिति में वही सदस्य हो सकते हैं जो कि पहली समिति में थे किन्तु पारिभाषिक दृष्टि से वह एक भिन्न समिति होगी। जो अन्य बाते उठाई गई हैं उनके सम्बन्ध में संभवत: माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

*भारत के सूचना पत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १६ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित। देखिये पृष्ठ ४५९–५८३

**भारत के सूचना पत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १६ जुलाई, १९५६ में प्रकाशित। देखिये पृष्ठ ५८४–६१६

***भारत के सूचना पत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १६ जुलाई १९५६ में प्रकाशित। देखिये पृष्ठ ४४१–४५७

†**पंडित गो० व० पन्त :** इस विधेयक के पुर: स्थापन के लिये अनुमति प्राप्त करने के हेतु प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव का विरोध श्री कामत करना चाहते हैं या नहीं यह मुझें ज्ञात नहीं है।

†**श्री कामत :** माननीय मंत्री को गलतफहमी हुई है।

†**पंडित गो० व० पन्त :** अनुमति के लिये मेरे द्वारा प्रस्ताव किये जाने के बाद और विधेयक के पुर: स्थापन से पहले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था। मेरा ख्याल है कि उनको स्वयं अपने निश्चय के बारे में संदेह था।

जहां तक कि दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक का निर्देश लोक–सभा और राज्य सभा द्वारा भी किसी संयुक्त समिति को किया जाय। मैं इस सम्बन्ध मे केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता हूं किन्तु इसका निर्देश संयुक्त समिति से किया जाये अथवा नहीं इस का निर्णय दोनों सदनों को ही करना है। म चाहता हूं कि अब गठित की जाने वाली समिति में पिछली समिति के जितने अधिक सदस्य सम्मिलित किय जा सकते हों उतने किये जाये। किन्तु इस विधेयक के बारे मे कायवाही करनें के लिये उतने ही सदस्य पर्याप्त होंगे या नहीं यह मैं नही कह सकता, क्योंकि इस विधेयक का सम्बन्ध केवल दो राज्यों से है। संभव है कि उक्त दोनों राज्यों की यह इच्छा हो कि अब जो समिति गठित की जायगी उसमें पहले की अपेक्षा उन्हें और अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। किन्तु इसका निर्णय सदन द्वारा ही किया जाना है।

†**श्री कामत :** क्या इस विधेयक के सम्बन्ध में बिहार और पश्चिमी बंगाल विधान सभाओं में हुए वाद-विवाद की प्रतियां हमें दी जायेंगी ?

†**पंडित गो० व० पन्त :** जी हां, मैं प्रयत्न करूंगा कि प्रत्येक सदस्य को अथवा कम से कम श्री कामत को अवश्य दी जायें।

†**श्री कामत :** क्या यह विधेयक और बड़ा विधेयक एक साथ लिये जायेंगे या अलग अलग ?

†**पंडित गो० व० पन्त :** कोई भी विधेयक एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं, प्रत्येक विधेयक पर सम्बन्धित समिति को विचार करना होता है।

†**श्री कामत :** क्या उन्हें एक ही दिन नहीं लिया जा सकता ?

†**पंडित गो० व० पन्त :** जब तक सभा के नियमों में परिवर्तन न किया जाये उन्हें एक साथ नहीं लिया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों विधेयक एक साथ नहीं लिये जा सकते।

प्रश्न यह है —

"कि बिहार से पश्चिमी बंगाल को कुछ राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण और उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**पंडित गो० व० पन्त :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

———

†मूल अंग्रेजी में।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

## प्रतिलिप्यधिकार विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा अब राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश पर सहमति प्रकट करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। उपमंत्री ने यह प्रस्ताव १६ मार्च, १९५६ को लोक-सभा के समक्ष रखा था "कि यह सभा, राज्य-सभा की १६ फरवरी, १९५६ की बैठक में स्वीकृत तथा इस सभा को २१ फरवरी, १९५६ को संसूचित प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा प्रतिलिप्यधिकार संबंधी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक के बारे में दोनों सदनों की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक सभा के ये सदस्य नामनिर्देशित किये जायें अर्थात् श्री ब० स० मूर्ति, श्री नि०च० लाश्कर, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री फूलसिंहजी ब० डाभी, श्री जोकीम आल्वा, श्री ति० स० अविनाशिलिंगम् चेट्टियार, श्री से० वें० रामस्वामी, श्री बीरकिशोर रे, श्री दी० चं० शर्मा, श्री स० चं० सामन्त, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री मु० हिफजुर रहमान, डा० सुरेश चन्द्र, श्री मथ्यू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, सेठ गोविन्द दास, श्री रोहन लाल चतुर्वेदी, श्री बासप्पा, डा० लंका सुन्दरम्, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री वि० घ० देशपांडे, श्री नि० वि० चौधरी, श्री सावन चन्द्र गुप्त, श्री बहादुर सिंह, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी, श्री वीरस्वामी, डा० मन मोहन दास और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।"

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि प्रस्ताव में "Shrimati Sucheta Kripalani" ["श्रीमती सुचेता कृपालानी"] के स्थान पर "Shri Ramji Verma" ["श्री रामजी वर्मा"] रखा जाये।

(२) कि प्रस्ताव के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"This house also recommends to the Rajya Sabha that the said Joint Committee be instructed to report on or before the 16th August, 1956."

["यह सभा राज्य सभा से यह भी सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति को १६ अगस्त, १९५६ को या इस से पूर्व प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"]

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

---

## सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैंने आप को इस सत्र के कार्यक्रम के बारे में एक पत्र लिखा है। इस सप्ताह का कार्यक्रम जो लोक सभा के समक्ष रखा गया है इस आधार पर तयार किया गया है कि इस सप्ताह से लोक-सभा से छः घंटे की बजाये सात घंटे तक बैठने के लिये निवेदन किया जाये। कार्य बहुत पड़ा हुआ है और यदि हम समूचे सत्र काल में अधिक समय नहीं देंगे तो हम सारे कार्य को समाप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये यह ठीक होगा कि हम प्रत्येक दिन आठ घंटे अथवा कम से कम सात घंटे बैठें—१०–३० से ५–३० अथवा ११ बजे से ६ बजे तक जैसा कि लोक सभा ठीक समझे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सप्ताह में बैठकें ११ से ५ बजे तक होंगी और अगले सप्ताह ११ से ६ बजे तक।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : पिछली बार आपने कहा था कि यदि किसी सप्ताह में एक छुट्टी हो तो शनिवार को बैठक करके उस कमी को पूरा कर लिया जायेगा। यदि किसी सप्ताह में दो छट्टियां हों तब वह कमी कैसे पूरी की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक सप्ताह में दो शनिवार तो होते नहीं अतः छुट्टियों की कमी को पूरा करने के लिये केवल शनिवार को ही बैठक की जा सकती है।

---

## प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—(क्रमशः)

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस का अभिप्राय लेखकों और पढ़ने वाली जनता दोनों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। विधेयक में बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें मुझे विश्वास है संयुक्त समिति दूर कर देगी। प्रतिलिप्यधिकार से प्रकाशकों को ही लाभ होता है क्योंकि निर्धन लेखक थोड़े से मूल्य पर अपना प्रतिलिप्यधिकार बेच देते हैं जैसा कि प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरत चन्द्र चटर्जी ने किया था।

लेखकों के अधिकारों को तब तक सुरक्षित नहीं किया जा सकता है जब तक कि सरकार कोई साहसपूर्ण कार्यवाही नहीं करती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है इसलिये पुस्तकों के प्रकाशन का काम केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इससे लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा और जनता की भी सुविधा होगी। अब पुराने नरेशों का स्थान सरकार ने ले लिया है इसलिये मुझे आशा है कि सरकार लेखकों की दशा को सुधारने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करेगी।

हमारा पुस्तक उद्योग इस समय अच्छी अवस्था में नहीं है। इसको अच्छी तरह संगठित किया जाना चाहिये। सरकारी प्रकाशन यदि वाणिज्य स्तर पर किये जायें तो इस से काफी सहायता मिलेगी। तेलगू भाषाको ही ले लीजिये। इसमें बालकों तथा प्रौढ़ों आदि की पुस्तकों की बड़ी कमी है। सरकार को प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लेकर अच्छी पुस्तकें कम दामों पर उपलब्ध करनी चाहियें। स्कूलों तथा कालिजों की सब पाठ्यक्रम पुस्तकें राज्य सरकार के एकाधिकार में होनी चाहियें। लेखक को थोडे से पैसे देकर पुस्तक प्रकाशित करना और उसे अधिक मूल्यपर बेचना तो एक साधारण बात बन गई है।.सरकार को चाहिये कि वह पुस्तकों का प्रकाशन अपने हाथ में लेने के लिये राज्य सरकारों को निदेश दे। यदि सरकारी कर्मचारी भी पुस्तकें लिखते हैं तो उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिये।

अधिकार शुल्कों और लेखकों के अन्य हितों का निर्णय भी सरकार को ही करना चाहिये। इससे लेखकों को अन्त में लाभ ही रहेगा।

अध्याय ५ खंड २० में प्रतिलिप्यधिकार को लेखक की मृत्यु के २५ वर्ष बाद तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसे कम करके पुस्तक के प्रकाशन के बाद २५ वर्ष तक सीमित किया जाना चाहिये, और यदि किसी सार्वजनिक संस्था को इससे लाभ पहुंचता हो तो यह प्रतिबन्ध उस पर लागू नहीं किया जाना चाहिये, जैसे वीरसालिंगन पन्तुलु द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में प्रतिलिप्यधिकार से कई संस्थायें चल रही हैं जिनको इस समय सीमा के लगाये जाने से हानि पहुंचेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार का अभिप्राय इन संस्थाओं को इस लाभ से वंचित करना नहीं है। इसलिये सार्वजनकि संस्थाओं को इससे मुक्त कर देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खंड ३१ अनुवाद के लिये दिये जाने वाले शुल्क के बारे में है। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि १००० प्रतियों के प्रस्तावित मूल्य का १० प्रतिशत जमा कराया जाना चाहिये, परन्तु अनुवाद के लिये १००० रुपये जमा कराना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना अनुवादक के लिये बहुत कठिन होगा। दुर्भाग्यवश इस समय पुस्तकें बहुत कम बिकती हैं अत: समिति इस पर विचार करके इस ग़लती को दूर करेगी इसका मुझे विश्वास है।

मैं उस खंड की सराहना करता हूं जिसके द्वारा सरकार को उस पुस्तक को जिसका विक्रय पहले रोका जा चुका हो पुन: प्रकाशित करने की आज्ञा देने का अधिकार दिया गया है।

सामान्यत: मैं विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु जब तक सरकार पाठ्य पुस्तकों और साधारण पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम अपने हाथ में नहीं लेती लेखक को अधिक लाभ नहीं होगा। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी वर्तमान विधि समयानुकूल नहीं है। यह तो वस्तुत: १९११ का इम्पीरियल प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम ही है। बड़े खेद की बात है कि भारत में गत चार दशकों में इस विधि को आधुनिक प्रविधिक और वैज्ञानिक विकास के अनुकूल बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। बड़ी विचित्र बात है कि हमें एक ब्रिटिश सविधि द्वारा प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करना पड़ता है। वास्तव में देखा जाये तो धारा १ की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत के गणराज्य में जो भी पुस्तक प्रकाशित की जाये उसे प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता है जब कि २६ जनवरी, १९५० से पूर्व प्रकाशित होने पर उसे प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण प्राप्त हो सकता था। इस असंगतता पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था पर अब इसे समाप्त कर देना चाहिये।

भारत का गणराज्य ब्रिटिश अधिराज्य में नहीं है और यदि कोई लेखक अपनी किसी अप्रकाशित पुस्तक के सम्बन्ध में प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी होना चाहिये जो अंग्रेजों के कब्जें में है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह असंगतता अब समाप्त की जा रही है।

इसके कुछ एक पहलू तो बहुत अच्छे हैं, विशेषकर संरक्षण अवधि को कम करना बहुत अच्छा होगा। पहले यह अवधि लेखक के जीवन के पश्चात् ५० वर्ष थी अब उसे २५ वर्ष किया जा रहा है।

अनुवाद के सम्बन्ध में विधि में जो परिवर्तन किया गया है उसका मैं स्वगात करता हूं और मैं अपने मित्र के सुझाव से सहमत हूं कि अनुवाद करने की अनुज्ञप्ति के लिये १००० रुपये की मांग करना उचित नहीं होगा।

यदि आप यह विधान लेखकों को संरक्षण देने के लिये बना रहे हैं तो यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि इसका एक उपबन्ध लेखकों को संरक्षण देने में अड़चन पैदा करेगा। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कुछ वाक्य प्रतिलिप्यधिकार विधि के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। उसमें लिखा है कि :

"प्रतिलिप्यधिकार के पंजीयन को प्रोत्साहन देने के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन सम्बन्धी कोई कार्यवाही तब तक चालू नहीं की जायेगी जब तक कि प्रतिलिप्यधिकार प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में पंजीबद्ध न करा लिया गया हो।

यह बड़ा एक विचित्र उपबन्ध है। इस पर संसद् को विचार करना चाहिये। यह कोई एकस्व (पैटेन्ट) तो है नहीं जिसका पंजीयन कराया जाये। ज्ञान और विचारों पर किसी का एकाधिकार

---

†मूल अंग्रेजी में।

नहीं हो सकता है। मान लीजिये कि कोई १५० या २०० रुपये मासिक वेतन पाने वाला प्राध्यापक मद्रास अथवा मैसूर में अर्थशास्त्र पर कोई पुस्तक प्रकाशित कराता है और दिल्ली, कलकत्ता या बंबई का कोई धनी प्रकाशन समवाय उसे चोरी से प्रकाशित करता है तो वह बेचारा न्यायलय में मुकदमा नहीं चला सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रतिलिप्यधिकार का क्या अर्थ है? क्या उनका पंजीयन नहीं होता?

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** प्रत्येक लेखक को अपनी पुस्तक के लिये प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त होता है और यदि उसकी पुस्तक को कोई चुरा लेता है तो वह मुकदमा कर सकता है, परन्तु अब वह ऐसा नहीं कर सकेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण की व्यवस्था भले ही कर दी जाये परन्तु मेरे विचार से पंजीयन की शर्त अनिवार्य नहीं होनी चाहिये। इस समय यदि किसी लेखक की कोई पुस्तक अथवा लेख चुराया जाता है तो वह क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। खंड ६५ (२) में जो उपबन्ध है वह इस अधिकार को समाप्त कर देगा और लेखकों को बड़ी कठिनाई होगी। इसके अनुसार यदि प्रतिलिप्यधिकार का पंजीयन न किया गया हो तो कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और कोई कार्यवाही नही की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड ६५ उपखंड (१) में "मुकदमा या अन्य कार्यवाही" का अर्थ उस मुकदमे या कार्यवाही से है जो इस अध्याय के अधीन किया जा सकता है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** खंड ५७ में यह कहा गया है कि यदि किसी प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो यदि अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो तो प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी उसके लिये क्षतिपूर्ति आदि की मांग कर सकता है। खंड ६५ में यह व्यवस्था की गई है कि प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन संबंधी कार्यवाही जिला न्यायालय में की जायेगी। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि जब तक प्रतिलिप्यधिकार का पंजीयन न किया गया हो तब तक इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा अथवा कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

पृष्ठ ३७ पर खंड ४६ से ५२ में पहले यह कहा गया है कि प्रतिलिप्यधिकार के वैकल्पिक पंजीयन की व्यवस्था की गई है और बाद में कहा गया है कि पंजीयन के बिना कोई कार्यवाही अथवा मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। तो यह दोनों बातें एक दूसरे के प्रतिकूल हैं और शब्द वैकल्पिक का कोई अर्थ ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रारूपित संविधि के रचनाकारों का उद्देश्य यहीं मालूम पड़ता है कि पंजीबद्ध होने पर तो उसके लिये एक विशेष तरीका अपनाया जायेगा और पंजीबद्ध न होने पर सामान्य विधि ही लागू होगी।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** यह इतना आपत्तिजनक न होता; लेकिन उनका उद्देश्य तो यही मालूम पड़ता है कि पंजीयन अनिवार्य है और उसे कराये बिना, कोई भी लेखक न्यायलय की शरण नहीं ले सकेगा।

"प्रतिलिप्यधिकार विधि के सम्बन्ध में कोपिंगर के विचार" नामक पुस्तिका में बताया गया है कि पहले इंग्लैंड में भी यही विधि थी, लेकिन अब उसे दकियानूसी करार दे दिया गया है और अब नयी विधि के अनुसार न्याय की शरण लेने के लिये लेखक के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले से अपनी पुस्तक का नाम पंजीयन कराये और, यह उचित भी है। हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिये, अन्यथा लेखकों की कठिनाइयां और भी बढ़ जायेंगी।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : क्या यह सुझाव नहीं दिया जा सकता कि यदि लेखक चाहे तो कोई भी अधिकार प्राप्त न करे? उसके न्यायलय की शरण लेने का प्रश्न तो तभी उठता है जब उसे अपनी रचना क प्रकाशन पर आपत्ति हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री चटर्जी का कहना तो यह है कि किसी भी वस्तु विशेष पर श्रम और कुशलता लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह अन्तर्विष्ट अधिकार है कि कोई भी अन्य व्यक्ति उससे लाभ न उठा सके और उसकी नकल न कर सके। वे उसके इस अधिकार के प्रयोग के लिये पंजीयन की सीमा निर्धारित नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि पंजीयन अनिवार्य नहीं होना चाहिये।

†**श्री राघवाचारी :** लेकिन यदि वह अपनी पुस्तक के प्रकाशन को सभी के लिये सुलभ बना देना चाहता है तो?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना केवल यही है कि पंजीयन न कराने पर, लेखक को उसके अधिकारों से वंचित न किया जाये। अन्य देशों में भी ऐसा ही ह।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : वह उसकी सम्पत्ति है।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** इस संरक्षणात्मक उपबन्ध का नैतिक आधार यही सिद्धान्त है कि प्रतिलिप्यधिकार लेखक की सम्पत्ति है, और यदि कोई उसकी चोरी करता है तो लेखक को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होना चाहिये और इसके लिये पुस्तक का नाम पंजी-बद्ध कराने की कोई भी शर्त नहीं लगायी जानी चाहिये। लेकिन, इस विधेयक के अन्तर्गत उसे एक आवश्यक शर्त बना दिया गया है।

इस विधेयक के खण्ड ४७ में यह उपबन्ध किया गया है कि लेखक या प्रकाशक द्वारा किसी रचना के प्रतिलिप्यधिकार के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, प्रतिलिप्यधिकार का पंजीयन अधिकारी उस रचना की उचित जांच कर लेने के बाद उसका ब्यौरा प्रतिलिप्यधिकार-पंजिका में दर्ज कर लेगा। पंजीयन-अधिकारी के स्वविवेक के लिये उस खण्ड में कोई भी मानदण्ड या शत नहीं दी गई हैं। इंगलैंड में भी सन् १८४२ में यही व्यवस्था थी, लेकिन अब उस विधि को रद्द कर दिया गया है। कनाडा में भी पंजीयन की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अन्य अधिराज्यों में भी यही स्थिति है। अपने अन्तराष्ट्रीय दायित्वों को देखते हुए हमें भी अपनी विधि का अन्य देशों की प्रथाओं के साथ मेल बैठाने के लिये ऐसा ही कुछ करना चाहिये।

मुझे आशा है कि इस विधेयक को तैयार करते समय सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं का ध्यान रखा जायेगा और उनकी भावना के अनुकूल ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार के सम्बन्धों को उचित उप-बन्धों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक में सुधार करेगी, और विशेषकर पंजीयन सम्बन्धी शर्त को हटा देगी।

†**श्री टेक चन्द :** मैं इस विधान का स्वागत करता हूं ; लेकिन मैं पिछले वक्ता की इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रतिलिप्यधिकार के अधिकारों की लेखक की मृत्यु के बाद की अवधि काफी अधिक है। मेरा विचार यह है कि प्रतिलिप्यधिकार एक प्रकार का सम्पत्ति जैसा अधिकार है। वह स्वामित्व का अधिकार है।

फिर क्या बात है कि आप अन्य साम्पत्तिक अधिकारों को तो वंशानुगत मानते हैं लेकिन एक लेखक के स्वामित्व के कष्टसाध्य अधिकार का आप उसके बच्चों को २५ वर्ष से अधिक समय उपभोग नहीं करने देते हैं? मेरा विचार है कि इस अवधि को ५० से कम कर के २५ वर्ष कर देना ठीक नहीं होगा।

लेखक कठिन श्रम करके अपनी रचना, अपनी सम्पत्ति बनाता है। उसे मान्यता भी जीवन के अन्तिम चरण में ही मिलती ह ; लेकिन तब आप चाहते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे २५ वर्षों से अधिक समय तक उसके स्वामित्व का उपभोग नहीं कर सकेंगे!

---

†मूल अंग्रेजी में।

पंजीयन विधि की शब्द-रचना कुछ इस प्रकार की है कि उससे लेखक के लिये बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायगी। पंजीयन न कराने से वह अपनी रचना, अपनी सम्पत्ति का अधिकार खो बैठेगा। इसका अथ तो यही हुआ कि किन्हीं कारणों से पंजीयन न करा सकने पर आप उसकी सम्पत्ति की चोरी भी बर्दाश्त कर लेंगे ; आप लेखक को चोरी के विरुद्ध संरक्षण नहीं दे रहे हैं।

†**डा० म० मो० दास :** लेकिन सम्पत्ति अर्जित कैसे की जाती है ?

†**श्री टेक चन्द :** प्रतिलिप्यधिकार रचना का जनक होकर प्राप्त किया जाता है। रचना लेखक के मस्तिष्क से प्रसूत मानसिक शिशु होती है। यह एक विचित्र सी स्थिति है कि यदि नाम-संस्कार न कराया जाये तो वह शिशु ही उसका नहीं रह जायेगा। आप उसे पंजीबद्ध कराने पर विवश करना चाहते हैं। यह न्याय नहीं है।

फिर, आपने न तो पंजीयन को अनिवार्य ही बनाया है और न पंजीयन करा लेने वाले लेखकों को कोई विशेष सुविधा ही दी है। आपने उनके लिये एक कठिनाई तो पैदा कर दी ह लेकिन उसके परिणाम स्वरूप लेखक को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाया है ।

इसके अतिरिक्त, हमारे देश की प्रतिलिप्यधिकार विधि में एक और कमी है। शायद उसे जानबूझ कर रखा गया है, क्योंकि वह एकदम प्रतिलिप्यधिकार विधि से सम्बद्ध नहीं है। प्रतिलिप्यधिकार विधि का उद्देश्य लेखकों को प्रोत्साहन देना और पढ़े-लिखे लोगों को पढ़ने की ओर आकर्षित करना भी होना चाहिये। इसके लिये एक ऐसा उपबन्ध भी रखा जाना आवश्यक है कि प्रत्येक लेखक अपनी रचना की छै या आठ प्रतियां केन्द्रीय सरकार को उपहार स्वरूप दे। इसके परिणामस्वरूप छै या आठ पुस्तकालयों को पुस्तकें मिल सकेंगी।

†**डा० म० मो० दास :** ऐसा एक उपबन्ध है।

†**श्री टेक चन्द :** लेकिन वह प्रभावशाली नहीं है। वे पुस्तकालय कहां हैं? वे पुस्तकें कहां हैं ? कहां है वह केन्द्रीय पुस्तकालय ? मेरा सुझाव है कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं सरकार के इस प्रयत्न का स्वागत करता हूं।

पाठ्य पुस्तकों की अनियमितता के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया। आजकल हमारी शिक्षा संस्थाओं में यही हो रहा है कि किसी विश्वविद्यालय विशेष की पाठ्य पुस्तक समिति में जिस किसी भी प्रकाशक का प्रभाव होता है उसी की पुस्तकें पाठ्यक्रम में रख दी जाती हैं, फिर चाहे वह लेखों या कविताओं का संग्रह मात्र ही हो, लेकिन उन उद्धरणों को किसी अन्य संग्रह में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसे प्रतिलिप्यधिकार मिल जाता है। इसलिये, हमें संग्रहों को प्रतिलिप्यधिकार नहीं देना चाहिये। यह अधिकार मौलिक पुस्तकों को ही दिया जाना चाहिये।

मैं इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : हमारे देश में प्रचलित वर्तमान अधिनियम इंगलैंड की सरकार द्वारा पारित किया गया अधिनियम है, जिसे हमने कुछ समय के लिये अपने यहां लागू कर लिया था। यह जो व्यापक विधान अब सामने लाया गया है, उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है।

मैं इससे सहमत नहीं हूं कि प्रतिलिप्यधिकार को ५० वर्ष की अवधि से कम कर २५ वर्षों तक की अवधि तक सीमित कर देना ठीक है। हमारे देश में अभी तक अन्य प्रकार की सम्पत्तियों की भांति बौद्धिक सम्पत्ति के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रकाशक गण लेखकों का

---

†मूल अंग्रेजी में।

बहुत शोषण करते हैं। लेखक स्वयं अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर सकने की स्थिति में नहीं है। प्रकाशक इसका लाभ उठाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि संसद् द्वारा सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को उचित संरक्षण दिया जाये, जिससे कि वे और अधिक मूल्यवान कृतियों की रचना कर सकें।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय, माननीय उपमंत्री ने भी हमें वह आधार नहीं बताया जिस पर कि वे ५० वर्ष की अवधि को घटाकर २५ वर्ष कर देना चाहते हैं। विभिन्न देशों में इसके विभिन्न मानदण्ड ह, लेकिन हमारे यहां उसका कोई बहुत दृढ़ आधार होना चाहिये क्योंकि हमारे यहां लेखकों का बहुत अधिक शोषण किया जाता है। मेरा सुझाव है कि हमें अभी इस समय इस अवधि को ज्यों की त्यों रहने देना चाहिये। कुछ समय बाद, उसे फिर घटाया जा सकता है। मैं मानता हूं कि हमारे भावी समाजवादी समाज में सम्पत्ति का समाजीकरण होगा, और उसमें साहित्यिक कृतियां भी समाज की सम्पत्ति होंगी। लेकिन अभी तो हमने अन्य सम्पत्तियों का समाजीकरण नहीं किया है, तो हमें साहित्यिक सम्पत्ति के लिये भी उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाना चाहिये।

खण्ड १८ में एक व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा लेखक को फिर से प्रतिलिप्यधिकार मिल सकता ह। लेखक सात वर्ष के बाद और दस वर्ष से पहले-पहले व्याज सहित आवश्यक भुगतानें करके इस अधिनियम के पारित होने के बाद प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त कर सकता ह। हमें यह अधिकार उन लेखकों को भी देना चाहिये जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही प्रकाशकों के साथ समझौता कर चुके हैं। उन्हें दस वर्ष बाद उस समझौते को रद्द करने का अधिकार होना चाहिये। संयुक्त समिति को इस खण्ड के उपबन्धों को भूत लक्षी प्रभाव देना चाहिये।

खण्ड १९ में उपबन्धित प्रतिलिप्यधिकार के सौंपे जाने या पुनः सौंपे जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, मेरा सुझाव यह है कि तमाम पेचीदिगयों से बचने के लिये, उसका पंजीयन आवश्यक बना दिया जाना चाहिये।

खण्ड २१ में यह व्यवस्था की गई है कि प्रथम लेखक की मृत्यु के पच्चीस वर्ष बाद प्रतिलिप्यधिकार की अवधि समाप्त हो जायेगी। इसे अन्तिम जीवित लेखक की मृत्यु के पच्चीस वर्ष बाद तक रखा जाना चाहिये।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि पंजीयन की व्यवस्था को अब अनिवार्य बनाया जा रहा है। हमें उपबन्ध ६५(२) में ऐसा रूप भेद करना चाहिये, जिससे कि पंजीयन अनिवार्य न रह जाये। इसे स्पष्ट करने के लिये भी एक उपबन्ध होना चाहिये।

मेरा विचार है कि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या चार से अधिक होनी चाहिये। विभिन्न विषयों के प्रतिनिधित्व देने के लिये, उनकी संख्या, सभापति सहित, सात रखी जानी चाहिये—एक सभापति, एक पंजीयन अधिकारी पदेन, और पांच अन्य सदस्य।

मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति मेरे इन सुझावों पर विचार करे। बौद्धिक सम्पत्ति को यथाशीघ्र संरक्षण मिलना चाहिये, जिससे कि कला और साहित्य को प्रोत्साहन मिले।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**डा० म० मो० दास :** मेरे प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये जितना भी थोड़ा समय मिला था उसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद विवाद में भाग लिया वे विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्धित होने के कारण इस सदन के परस्पर विरोधी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये बिना किसी व्याघात के भय से यह कहा जा सकता है कि उनके भाषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे प्रस्ताव के संबंध में माननीय सदस्यों के विचार क्या हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० म० मो० दास]

माननीय सदस्यों द्वारा कई महत्वपूर्ण वाद-पद उठाये गये और कई बहुत ही अमूल्य सुझाव दिये गये। मुझे यह विश्वास है कि संयुक्त समिति, जिसको कि यह विधेयक निर्दिष्ट किया जा रहा है, सदन में की गयी आलोचना और दिये गये सुझावों के प्रति विशेष रूप से ध्यान देगी। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि विचार करते समय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में दिये गये सुझावों से संयुक्त समिति का काफी मार्ग प्रदर्शन हो सकेगा, और उसका कार्य भी सरल हो जायेगा।

यह विधेयक जिसके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, बड़े महत्व का है। इसके महत्व का कारण यह है कि इसकी धाराओं का संबंध हमारे राष्ट्र के अत्यधिक प्रभावशाली वर्ग से है, अर्थात् कवियों तथा लेखकों से इसका संबंध है। लेखक, विचारक, और तत्ववेत्ता हमेशा समय से आगे की सोचते हैं और असाधारण वातावरण में राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करते हैं और राष्ट्र के बुद्धिजीवी वर्ग पर उनका विशेष प्रभाव होता है। कहते हैं कि लेखनी तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। इतिहास बताता है कि बड़ी बड़ी क्रांतियां के जन्मदाता तलवार के धनी न होकर कलम के धनी ही थे। संसार के बड़े बड़े साम्राज्यों की रचना समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ही करता आया है। उनका आधार पशुबल न होकर उन राष्ट्रों और पुरुषों की बौद्धिक और नैतिक सर्वोच्चता ही होती है। लेखकों, विचारकों और कलाकारों का मानव हृदय को प्रभावित करने का तरीका सर्वथा भिन्न होता है। कवि और लेखक बुद्धि को प्रभावित करते हैं और कलाकार संगीतज्ञ, तथा मूर्तिकार मानव हृदय की कोमल भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं। एक का प्रभाव मस्तिष्क पर और दूसरे का मन पर होता है। परन्तु राष्ट्र की प्रतिष्ठा और अन्यराष्ट्रों में उसका अधिकारयुक्त स्थान, ये लेखक, विचारक और कलाकार ही बनाते हैं। कोई भी राष्ट्र अथवा सरकार इन लेखकों और कलाकारों के अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। क्योंकि ऐसा करने से उसकी अपनी स्थिति और हितों को काफी हानि पहुंच सकती है।

प्रतिलिप्यधिकार कानूनों का उद्देश्य लेखकों और कलाकारों के अधिकारों की रक्षा करना है। उस संयुक्त समिति को, जिसे कि इस विधेयक को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है, एक बहुत कठिन और जटिल कार्य करना है। संयुक्त समिति को कठिनाई दो कारणों से होगी। प्रथम यह कि यह विधेयक देश की सीमा में ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्युत देश के बाहर भी इसका महत्व है। विधेयक के उपबन्ध न केवल इस देश के लेखकों और कलाकारों से ही सम्बन्धित हैं अपितु उनका संबंध विदेशी लेखक और कलाकारों से भी है। प्रत्येक वर्ष हम कोई एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें बाहर से मंगवाते हैं। गत वर्ष हमने ११,४००,००० रुपये के मूल्य की पुस्तकें विदेशों से आयात की थीं। इन पुस्तकों के लेखकों को विदेशी होते हुए भी इस प्रतिलिप्यधिकार विधि में, जिस को हम पारित करने जा रहे हैं, बहुत रुचि है। आधारभूत रूप में उनका इस विधान से संबंध है। दूसरी कठिनाई जो संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत होगी वह विधेयक की प्रविधिक जटिलता के कारण उत्पन्न होगी क्योंकि गत वर्षों में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में प्रविधिक क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। प्रतिलिप्यधिकार विधान का क्षेत्र और विस्तार कई गुणा बढ़ गया है। प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार विधि को प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी सभी विभिन्न क्षेत्रों को समाविष्ट करना चाहिये। प्रतिलिप्यधिकार की आवश्यकता सर्वप्रथम मुद्रण कला के आविष्कार के साथ ही अनुभव होने लगी थी। प्रतिलिप्यधिकार विधियों लिखित अर्थात् छपे हुए मैटर पर ही लागू होता था, परन्तु प्रविधिक क्षेत्र में हुए विकास के कारण, इन विधियों को अब अन्य क्षेत्रों जैसे रेडियो, टैलीवीजन, ग्रामोफोन रिकार्ड और यांत्रिक प्रतिरूपण के अन्य अनेक साधनों पर भी लागू किया जाता है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र, श्री चटर्जी ने कहा, प्रतिलिप्यधिकार विधि दो आधारभूत सिद्धांन्तों पर आधारित है। एक की तो पूरी व्याख्या स्वय चटर्जी ने कर दी है। उसका सार यह है कि 'तू किसी की सम्पत्ति को नहीं चुरायेगा'। इस के अतिरिक्त एक अन्य आधारभूत सिद्धान्त है जिस पर कि प्रतिलिप्यधिकार विधि आधारित है, और वह मनुष्य की बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार करता है।

साहित्य अथवा कलाकृति उसके लेखक के बौद्धिक परिश्रम का परिणाम होती है, और राज्य को यह देखना चाहिये कि कलाकार या लेखक को उसके परिश्रम के लाभ से अनुचित रीति से वंचित

न कर दिया जाय। मैं यहां एक खास बात का उल्लेख कर दूं। प्रतिलिप्यधिकार विचारों के सम्बन्ध म नहीं परन्तु उनकी अभिव्यक्ति के लिये होता है। विचारों के लिये कोई प्रतिलिप्यधिकार नहीं है, परन्तु शब्दों की रचना और उन विचारों को जिस निश्चित भाषा और ढंग से अभिव्यक्ति किया जाता है उस पर लेखक का प्रतिलिप्यधिकार होता है। दूसरे शब्दों में, विचार चुराए जा सकते परन्तु उसकी भाषा, शब्द रचना और लखक की अभिव्यक्ति को चुराया नहीं जा सकता है।

मैं इस सम्मानित सदन को उन कठिनाइयों को बताने का प्रयत्न कर रहा था जिनका कि इस विधेयक की विभिन्न धाराओं पर विचार करते समय संयुक्त समिति को सामना करना पड़ेगा। मैंने बताया कि गत कुछ वर्षों में प्रविधिक क्षेत्र में विकास होने के कारण प्रतिलिप्यधिकार विधियों का क्षेत्र और विस्तार कई गुना बढ़ गया है। प्रतिलिप्यधिकार विधि का आरम्भ केवल पुस्तकों की नकल किये जाने को रोकने के लिये किया गया था, परन्तु अब तो यह दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू होती है। किताबों और छपे हुए मैटर के अतिरिक्त अब प्रतिलिप्यधिकार लेखकों की कृतियों के सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने, जैसे कि कविता पाठ किये जाने अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी नाटक के खेले जाने अथवा किसी खुशी के अवसर पर आम जनता के मनोरंजन के लिये संगीत के रिकार्डों को बजाने आदि पर भी लागू होता ह। दूसरे किसी की रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करना भी इसके अन्तर्गत आता है। तीसरे, किसी के उपन्यास को नाटक, अथवा नाटक को उपन्यास में परिवर्तन करना, चौथे किसी रचना को मूर्त रूप से, अर्थात् दृश्य अथवा श्रव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने। उदाहरण के लिये ग्रामोफोन रिकार्ड तैयार करना, किसी उपन्यास, रेडियो अथवा टैलिविजन द्वारा प्रसारित नाटक की फिल्म बनाने, पर भी लागू होता है। ये सब प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में आते हैं। यह टैलिविजन शीघ्र ही हमारे देश में भी चालू होने वाला है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : अगले वर्ष ?

†**डा० म० मो० दास** : अगले वर्ष नहीं। आगामी पंच वर्षीय योजना में इसकी व्यवस्था की गयी है। अभिव्यक्ति के विविध माध्यमों, जैसे कि मुद्रणालय अर्थात् पुस्तकें, सिनेमा, सार्वजनिक प्रदर्शन, रेडियो और टैलीविज़न इत्यादि की प्रचुरता ने, जिनके कि द्वारा किसी लेखक की कृति का परिचय जन साधारण को दिया जा सकता है आज की प्रतिलिप्यधिकार विधि ने बहुत जटिल बना दिया है, और मुझे भय है कि संयुक्त समिति को इन सभी जटिल समस्याओं को निपटाना पड़ेगा।

अब आती है संरक्षण, अवधि की जटिल समस्या। मैं देखता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों में जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया है, विधेयक में प्रस्तावित संरक्षण अवधि सम्बन्धी उपबन्ध के बारे में मतभेद है। प्रथम वक्ता, डा० रामा राव का मत है कि संरक्षण अवधि को विधेयक में इस समय प्रस्तावित अवधि से भी कम कर दिया जाना चाहिये। परन्तु अन्य वक्ता इस कमी के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि वह उसी मूल अवधि को जो कि अधिनियम में दी हुई है और जो आजकल हमारे देश में लागू है, रखना चाहते हैं। यह अवधि लेखक की मृत्यु के ५० वर्ष बाद तक की है।

मैं सदन से यह भी निवेदन कर दूं कि यह संरक्षण अवधि प्रायः निरंकुश है। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है जिससे कि हम यह निश्चित कर सकें कि किसी देश विशेष के लिये कितनी संरक्षण अवधि की आवश्यकता है। वास्तव में विभिन्न देशों में प्रतिलिप्यधिकार के अनुसार संरक्षण अवधि भी भिन्न भिन्न है। ऐसे भी संसार में देश हैं जहां आज भी प्रतिलिप्यधिकार संबंधी संरक्षण स्थायी रूप से सदैव के लिये रहता है। अर्थात् संरक्षण अवधि कभी भी समाप्त नहीं होती है।

पुर्तगाल जैसे देश में यह संरक्षण शाश्वत रहता है। यदि कालिदास पुर्तगाल में पैदा हुए होते तो उन्हें आज तक अपने नाटकों पर प्रतिलिप्यधिकार का लाभ प्राप्त होता रहता। स्पेन जैसे देश में

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[डा० म० मो० दास]

यह संरक्षण अवधि ८० वर्ष की है। यह अवधि लेखक की मृत्यु के पश्चात् आरम्भ होती है। ऐसे देश भी हैं जहां यह अवधि ६० वर्ष की है। बर्न समझौते को मानने वाले देशों में—इनमें भारत, पाकिस्तान ब्रिटेन और कुछ अन्य देश सम्मिलित हैं—यह अवधि ५० वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रतिलिप्यधिकार किसी पुस्तक के प्रथम प्रकाशन की तिथि से २८ वर्ष तक रहता है, यदि लेखक जीवित रहे तो वह इस अवधि को प्रथम अवधि की समाप्ति पर पुनः २८ वर्ष के लिये बढ़ा सकता है। ऐसे मामलों में कुल अवधि ५६ वर्ष हो जाती है। रूस में यह अवधि सबसे कम है, अर्थात लखक की मृत्यु के १५ वर्ष तक रहती है। अपने देश में हम इस अवधि को कम करके लेखक की मृत्यु के बाद ५० से २५ वर्ष करना चाहते हैं।

हमारा देश शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है, इसलिये इस काल अवधि को कम किया ही जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है लोकप्रिय पुस्तकों की कीमतें कम नहीं की जा सकती हैं। पुस्तक का मूल्य उसके उत्पादन व्यय. अधिकार शुल्क और प्रकाशक के लाभ मिला कर ही निश्चित किया जाता है। जब तक कि लेखक को प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त रहता है, उसे किसी अपने मनपसंद प्रकाशक से ही संबंध रखना होगा, और उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई दूसरा प्रकाशक नहीं हो सकता है। जहां भी प्रतिलिप्यधिकार है वहां लेखक प्रकाशक से परामर्श करके पुस्तक का मूल्य निश्चित करता है और यह मूल्य बहुत अधिक होता है। जैसे ही यह प्रतिलिप्यधिकार समाप्त हो जाता है सभी प्रकाशक एक दूसरे से होड़ करने लगते हैं। सभी प्रकाशकों को उन पुस्तकों को प्रकाशित करने का अधिकार मिल जाता है और लोकप्रिय पुस्तकों को प्रतियोगीय मूल्य पर प्राप्त करना संभव हो जाता है। यही कारण है कि सरकार का विचार इस अवधि को लेखक की मृत्यु के बाद ५० से कम करके २५ वर्ष कर देने का है।

कुछ भी हो अभी इस विधेयक के उपबन्धों पर ब्योरेवार चर्चा करना असामयिक और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होगा। क्योंकि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जा रहा है संयुक्त समिति ही इन प्रश्नों पर विचार करेगी और स्वतन्त्र रूप से निर्णय करेगी।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** माननीय मंत्री ने विभिन्न उपबन्धों की काफी व्याख्या की। 'अपराध' शीर्षक अध्याय में छै मास और तीन मास के कारावास दंड का उपबन्ध किया गया है, जब कि किसी व्यापारी के साधारण व्यापार चिन्ह के अतिलंघन के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा ४८५ और ४८६ के अन्तर्गत तीन वर्ष से पांच वर्ष तक के कारावास दंड का उपबन्ध है। पर सरकार इस संबंध में इतनी कमजोर क्यों रही है ?

†**डा० म० मो० दास :** माननीय सदस्य के मतानुसार यहां उपबन्धित दण्ड काफी नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** बिलकुल।

†**डा० म० मो० दास :** इस मामले पर संयुक्त समिति में विचार किया जा सकता है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मैं इसका कारण जानना चाहता था।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार ने संभव है कि उस उपबन्ध का निर्देश न किया हो।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** यह सम्भव है, तो हो सकता ह कि इसकी बिलकुल उपेक्षा ही कर दी गयी हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० म० मो० दास :** श्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा महत्वपूर्ण विषय पंजीयन के सम्बन्ध में है। उनका मत है कि मामले को अदालत में ले जाने के लिए पंजीयन अनिवार्य नहीं होना चाहिये। विधेयक के उपबन्धों के अनुसार पंजीयन अनिवार्य नहीं ह। यद्यपि यह वैकल्पिक है फिर भी सरकार के इच्छा है कि लेखक अपनी कृतियों का पंजीयन अवश्य कराए। इसके भी अपने लाभ हैं। पंजीयन को प्रोत्साहन देने के लिये यह उबपन्ध किया गया है कि यदि कोई अतिलंघन हुआ हो तो अपने अधिकारों को लागू कराने के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रत्येक लेखक प्रतिलिप्यधिकार पंजीयन के पास अपने अधिकारों का पंजीयन कराये। मैं समझता हूं कि पंजीयन से लेखक को कोई और कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कोई ऐसे दस्तावेज़ भी होंगे जिनसे न्यायलय की कार्यवाही सुविधापूर्वक हो सकेगी।

श्री चटर्जी ने कहा है कि कोपिन्गार जैसे लेखकों ने कहा है कि यह तो अधिकार न देने के बराबर है। वास्तव में देखा जाये तो प्रतिलिप्यधिकार का पंजीयन विश्व के अनेक देशों में जैसे चीन, अमरीका, कोलम्बिया और वेनेज़ुला आदि में अनिवार्य रूप से है। १९५२ में यूनेस्को के प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी सम्मेलन में इस पर विचार हुआ था जिसके अनुसार भी पंजीयन को अभी-तक समाप्त नहीं किया जा सका। इस सम्मेलन का उद्देश्य बर्न अभिसमय और पान अमेरीकन अभिसमयों को साथ साथ लाना है, यूनेस्को अभिसमय के अनुसार भी पंजीयन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उहोंने इसे आसान बना दिया है। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लेखक के नाम और पहले प्रकाशन के वर्ष के साथ साथ यह भी लिखना पड़ता है कि उसका प्रतिलिप्याधिकार है।

मैं सभा को बता चुका हूं कि विभिन्न देशों में विभिन्न काल के लिये संरक्षण दिया गया है, जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें उत्पन्न होती हैं। वास्तव में विद्वता से लिखी गई पुस्तक और उनमें भी विशेष कर अंग्रेजी या अमेरिका की पुस्तकों की संसार के बाजारों में बड़ी खपत रहती है। जब कि हमारे देश में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकें प्रति वर्ष विदेशों से मंगाई जाती हैं। इन कारणों से संसार के बहुत से देशों को चाहिये कि वे अपने लेखकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार दें। विश्व में आज तीन बड़े-बड़े अभिसमय हैं अर्थात बन अभिसमय पान-अमेरिकन अभिसमय और यूनेस्को का अभिसमय। इन तीनों अभिसमयों में संरक्षण का आधार भिन्न-भिन्न रहता है। संयुक्त समिति का कार्य इस बात का पता लगाना होगा कि अपने लेखकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशी लेखकों के साथ व्यवहार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।

अब मैं उस व्यवस्था का उल्लेख करूंगा जो प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी मामलों के लिये की गयी है। विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध है कि एक प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और एक प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। इस देश में ब्रिटिश संसद् का १९११ का जो अधिनियम लागू है, उसमें प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का कोई भी उपबन्ध नहीं ह। हमने इस प्रकार के उपबन्ध का अच्छा समझ कर इस विधेयक में उसे रखा है।

इस वाद विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों ने कई बातें कही हैं। श्री टेक चन्द ने एक सुझाव यह दिया था कि इस देश में जितने भी प्रकाशन होते हैं उन सबकी कुछ प्रतियां केन्द्रीय पुस्तकालयों को दी जानी चाहिये। मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र को सभी बातों का पता नहीं है। दो तीन वर्ष पहले सभा ने सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तक प्रदान विधेयक पास किया था। उसमें यह उपबन्ध है कि भारत में जो भी नयी पुस्तक प्रकाशित हो वह कलकत्ते, मद्रास, बम्बई और दिल्ली में शीघ्र स्थापित होने वाले पुस्तकालय को दी जाय। तो यह उपबन्ध तो है ही कि प्रकाशक हमारे सार्वजनिक पुस्तकालयों को मुफ्त इन पुस्तकों की प्रतियां दें। सम्भवतः १८६७ के प्रैस और पंजीयन अधिनियम में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक पुस्तक की दो तीन प्रतियां राज्य सरकारों और

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० म० मो० दास]

केन्द्रीय सरकार को दी जायं। आशा है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत संसद पुस्तकालय को भी पुस्तकों की प्रतियां मिला करेंगी। इसलिये मेरे मित्र श्री टेकचन्द ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार नए उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का सम्बन्ध है, सदस्यों ने कुछ आलोचना की है और कुछ बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है। कि यह आलोचना और सुझाव संयुक्त समिति के सामने रहेंगे और वह इन पर समुचित विचार करेगी। मेरा विचार है कि इस समय विधेयक के अलग अलग उपबन्धों पर पूरी तरह विचार नहीं करना चाहिये और ऐसा करना हानिकारक भी हो सकता है। विधेयक संयुक्त समिति के सामने जा रहा है और वह इसके सभी उपबन्धों पर ब्योरेवार विचार करेगी और स्वयं निर्णय करेगी। वह माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करेगी और मेरा विचार है कि विधेयक के विभिन्न उपबन्ध विशेष कर विवादग्रस्त उपबन्ध परिष्कृत होकर सभा के सामने आएंगे।

मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं पहले संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखंगा।

प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव में —

"Shrimati Sucheta Kripalani" ("श्रीमती सुचेता कृपलानी") के स्थान पर "Shri Ramji Verma" ["श्री रामजी वर्मा"] रखा जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है: कि प्रस्ताव के अन्त में यह अंश जोड़ दिया जाये :

"This House also recommends to the Rajya Sabha that the said Joint Committee be instrncted to report on or before the 16th August 1956"

["यह सभा राज्य सभा से यह भी सिफारिश करती है कि उक्त संयुक्त समिति को १६ अगस्त, १९५६ को या इससे पूर्व प्रतिवेदन देने का निदश दिया जाय।"]

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा की १६ फरवरी, १९५६ की बैठक में स्वीकृत तथा इस सभा को २१ फरवरी, १९५६ को संसूचित प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा प्रति-लिप्यधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक के बारे में दोनों सदनोंकी संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उस संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के ये सदस्य नाम निर्देशित किये जायें, अर्थात्, श्री ब० स० मूर्ति, श्री नि० च० लाश्कर, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री फूलसिंहजी ब० डाभी, श्री जोकीम आल्वा, श्री ति० रु० अविनाशलिंगम चेट्टियार, श्री सै० वें० रामस्वामी, श्री बीर किशोर रे, श्री दी० चं० शर्मा,

† [ ] अंग्रेजी में।

श्री स० चं० सामन्त, श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री मु० हिफजुर रहमान, डा० सुरेश चन्द्र, श्री मैथ्यू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, सेठ गोविन्द दास, श्री रोहन लाल चतुर्वेदी, श्री बासप्पा, डा० लंका सुन्दरम्, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री व० घ० देशपांडे, श्री नि० वि० चौधरी, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री बहादुर सिंह, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री रामजी वर्मा, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी, श्री वीरस्वामी, डा० मन मोहन दास और मौलाना अबुल कलाम् आजाद।

यह सभा राज्य सभा से यह भी सिफारिश करती है कि उक्त समिति को निर्देश दिया जाये कि १६ अगस्त, १९५६ को या उससे पूर्व प्रतिवेदन देने का निदेश दिया जाय।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## प्रतिभूति संविदा विनियमन विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रयाधिकार के विकल्प पर रोक लगा कर उसके व्यापार को विनियमित करं, प्रतिभूतियों के अवांछनीय लेन देन पर रोक लगाने वाले तथा उससे सम्बन्धित कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज पटल पर अन्य दिनों की भांति विधेयक की प्रतियां क्यों नहीं रखी गयीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कार्यालय से सूचना मिली है कि सदैव की भांति पत्र वहीं हैं। पता नहीं माननीय सदस्य ऐसा कैसे कह रहे हैं ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मुझे तो वहां एक भी प्रति नहीं मिली।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के लिये विधेयक की प्रति मंगवाई गई है। मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा कि पटल पर पर्याप्त प्रतियां रहा करें।

†**श्री म० च० शाह** : सभा को स्मरण होगा कि दो सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव इस सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९५५ को स्वीकृत किया गया था। राज्य सभा ने इस प्रस्ताव पर ५ दिसम्बर को सहमति दी। संयुक्त समिति ने २० दिसम्बर से सुनवाई आरम्भ कर दी और कुल सात बैठकें की। इन बैठकों में समिति ने अनेक टिप्पणियों और ज्ञापनों पर विचार किया, जो उसे प्रस्तुत किये गये थे।.उसने बम्बई शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन अहमदाबाद तथा श्रेष्ठि चत्वर, कलकत्ता के सहायक सदस्यों की समिति के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को भी सुना था। समिति के प्रतिवेदन पर २७ फरवरी, १९५६ को हस्ताक्षर किये गये थे। तत्पश्चात् उसे नियमित रूप से संसद् में प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि संयुक्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था तो भी सभा के लिये पिछले सत्र में उस प्रतिवेदन पर विचार करना संभव न हो सका। इस कार्य को हम कितना महत्वपूर्ण समझते हैं यह सभा को स्मरण होगा। यह इस विषय पर अखिल भारत के लिये विधान बनाने वाला प्रथम विधेयक है और उसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में श्रेष्ठिचत्वर के व्यवहार को एक सा करने का है। जैसा कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की चर्चा के दौरान मे कहा जा चुका है, हम विधेयक में दिये गये विस्तृत आधार पर विद्यमान श्रेष्ठि चत्वर विधियों के सुधार और प्रमापीकरण पर, नये समवाय अधिनियमके एक अनिवार्य संपूरक के रूप में विचार कर रहे हैं, जो १ अप्रैल, १९५६ से लागू किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० च० शाह]

सभा को स्मरण होगा कि विधेयक की रूपरेखा और उसमें दिये गये विनियमनकारी उबबन्धों के सामान्य ढांचे की पूरी व्याख्या विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव की चर्चा के दौरान में की जा चुकी है। मैं पुनः सभा को स्मरण करना चाहता हूं कि विधेयक में श्रेष्ठि चत्वरों के कड़े विनियमन का ही उल्लेख है। उसमें तो सामान्य प्रणाली और नियंत्रण का तरीका ही बताया गया है जिससे केन्द्रीय सरकार को श्रेष्ठि चत्वरों को प्रबन्ध निकायों के परामर्श से सामान्य रूप में अधिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो सके। जिसका प्राप्त करना सरकार या तो वैद्य व्यापार अथवा लोक हित की दृष्टि से उचित समझती है। संयुक्त समिति ने श्रेष्ठि चत्वर में सुधार करने के लिये इस ढंग का पूर्ण समर्थन किया है और विधेयक के मूल ढांचे पर स्वीकृति दी है।

विधेयक के विस्तृत उपबन्धों में समिति ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं जिनका मैं अब उल्लेख करूंगा।

समिति ने "जगह पर माल देने का संविदा" की परिभाषां में इसलिये संशोधन किया कि प्रतिभूतियों को वास्तव में देने और उसका भुगतान या तो करार के दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिन तक दे दिया जाना चाहिये। इसमें वह काल सम्मिलित नहीं किया जाता है जिसकी प्रतिभूतियों के भेजने अथवा भुगतान राशि भेजने के लिये आवश्यकता होती है। मूल विधेयक में (करार के दिन को मिला कर) तीन दिनों की व्यवस्था है किन्तु समिति ने यह सोचा कि इतना समय अधिक है, अतः उसने यह सिफारिश की कि यह काल दो दिन होना चाहिये इसमें वह समय सम्मिलित नहीं है जो प्रतिभतियों के भेजने अथवा भुगतान राशि के भेजने में लगेगा, जो मैं पहले बता चुका हूं।

खण्ड ४ के बारे में जो श्रेष्ठि चत्वरों को मान्यता देने के सम्बन्ध में है, संयुक्त समिति ने यह सोचा कि अन्य शर्तों के साथ एक शर्त सदस्यों की संख्या के बारे में भी होनी चाहिये, जो अभी तक नहीं थी। समिति ने सोचा कि अखिल भारतीय आधार पर श्रेष्ठि चत्वरों का विनियमन करते समय हमें इस बारे में बड़ा सावधान रहना चाहिये कि विद्यमान श्रेष्ठि चत्वरों के सदस्यों द्वारा एकाधिपत्य न बने। अतः उसने सिफारिश की कि सरकार के पास मान्यता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। सदस्यता की संख्या वाली शर्त भी रखी जानी चाहिये। अतः विधेयक के पारित होकर अधिनियम बन जाने के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यह शर्त लागू की जायेगी, क्योंकि विधेयक के अनुसार किसी क्षेत्र में विशेष किसी चत्वर विशेष के लिये आवश्यक सदस्यता के बारे में शर्त रखी जा सकेगी।

सभा को यह भी स्मरण होगा कि विधेयक के खण्ड ९ में मूल उपबन्ध वह है कि जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त श्रेष्ठि चत्वर को, पहले केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त कर, प्रतिभूतियों में संविदा का विनियमन करने के लिये उप-विधियों बनाने की बात कही गई है। खण्ड ९ में दिये गये मामलों के बारे में संयुक्त समिति ने तीन महत्वपूर्ण चीजें और रखी हैं। खण्ड ९ (२) (ग) में यह उपबन्ध किया गया है कि श्रेष्ठि चत्वर यथा शीघ्र निबटारा हो जाने के बाद, एक काल से दूसरे काल में लाई गई प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूतियों की कुल संख्या, ऐसे संविदा जिनके बारे में प्रत्येक निबटारे के काल में हिसाब चुकता हो चुका हो, प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूतियों की कुल संख्या जो हिसाब करते समय वास्तव में दी जा चुकी हों और प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के सम्बन्ध में अन्तर के रूप में कुल राशि जिसका भुगतान किया जा चुका हो, उसकी सूचना प्रकाशित करेंगे। दूसरी बात जिसका सुझाव संयुक्त समिति ने दिया यह कि व्यापार की आयातिक उपविधियों की व्यवस्था भी कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियों के लिये की जानी चाहिये जो समूहन या अभिषदित संकार्यों अथवा सम्बन्धित या अन्य इसी प्रकार के कार्यकलापों से उत्पन्न होगी। तीसरे, संयुक्त समिति ने मध्यस्थों और दलालों के कार्यों को अलग करने के लिये उप-विधियां बनाने की व्यवस्था की है जैसा कि समिति ने उल्लेख किया है,

प्रस्तावित व्यापार आंकड़ों के प्रकाशन का उद्देष्श्य प्रबन्ध काल में स्टॉक एक्सचेंज के सौदों का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना है। समिति का यह विचार था कि इससे न केवल रुपया लगाने वाली जनता का ही हित होगा प्रत्युत केन्द्रीय सरकार को भी इन एक्सचेंजों की गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी।

व्यापार के आयातों के संबंध में समिति ने यह अनुभव किया था कि उप-नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि आसंचय तथा निग्रहण से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला किया जाये। समिति का यह भी विचार था कि स्टॉक एक्सचेंजों के संगठन में और अधिक सुधार करने के लिये, उपनियमों में जोबरों और दलालों के कार्यों को अलग अलग करने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में ही विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक की धारा १७ और १८ में किये गये हैं जो कि विक्रेताओं के अनुज्ञापन की व्यवस्था करने के संबध में हैं। सदन को याद होगा कि विधेयक की मूल योजना यह थी कि तत्स्थानी रूप से छुडाये जाने वाले माल के ठेके धारा १३ के अन्तर्गत आने वाले अधिसूचक क्षेत्रों में अनुज्ञापन से मुक्त होंगे। यह क्षेत्र वह होंगे जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अपने सरकारी राजपत्र द्वारा यह सूचना दे कि प्रतिभूतियों के संबंध में कोई सौदा तब तक न किया जाये जब तक कि वह किसी स्वीकृत स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के मध्य न हो अथवा ऐसे सदस्यों से अथवा उनके द्वारा न किया गया हो। परन्तु धारा १३ के अनुसार जो अधिसूचित क्षेत्र नहीं हैं, वहां तत्स्थानी माल छुड़ाने के ठेकों पर अनुज्ञापन सम्बन्धी शर्त लागू होगी। संयुक्त समिति ने अनुभव किया कि यह व्यवहार भेदभाव करने वाली थी और इसलिये उसने यह प्रस्ताव किया कि तत्स्थानी माल छुड़ाने वाले सामान्य ठेके इस विधेयक की उपबन्धों से उन्मुक्त रहेंगे चाहे वह ठेके धारा १३ के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में किये गये हों अथवा न किये गये हों। अब इसकी व्यवस्था कर दी गयी है। परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि यदि वह जनहित अथवा व्यापार के हित में जब भी ऐसा करना ठीक समझे अधिसूचित अथवा दूसरे क्षेत्रों में ऐसे ठेके सम्बन्धी अनुज्ञापन उपबन्धों को लागू कर सके।

प्रतिभूतियों से दूसरे प्रकार के सौंपे खंड १७ के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अनुज्ञापन आधीन होंगे अर्थात् यह उन क्षेत्रों में होगा जहां कोई मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नहीं हैं। परन्तु इन क्षेत्रों में भी यदि मानन्ता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज अथवा इसी प्रकार के स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा या उस की ओर से सौदे किये जाते हैं तो वह इस विधेयक के अनुज्ञापन सम्बन्धी उपबन्धों के क्षेत्राधिकार से परे होंगे। माननीय सदस्य यह देखेंगे कि इन उपबन्धों का शुद्ध प्रभाव यह होगा कि तत्स्थानी माल छुड़ाने के सौदे जो कि प्रायः नकद ही होंगे, सभी प्रकार के विनियमनों से मुक्त होंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में अथवा जन हित में इन सौदों को नियमित करना आवश्यक न समझे। यह तभी किया जायेगा जब कि सरकार के ध्यान में यह बात लाई जायेगी कि तत्स्थानी माल छुड़ाने वाले सौदों को करते समय सौदे करने वाले अन्य तरह के सौदे भी कर लेते हैं। दूसरे तरह के सभी सौदे अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों में अनुज्ञापन के अधीन रहेंगे, इसका अर्थ यह है कि मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के क्षेत्रों में जहा नियन्त्रण की सारी जिम्मेदारी स्टाक एक्सचेंजों के साझी निकायों पर होगी यह अनुज्ञापन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू होगा।

मेरा विचार है कि सभा इससे सहमत होगी कि संयुक्त समिति द्वारा इस विधेयक के जटिल उपबन्धों के सम्बन्ध में जिन परिवर्तनों के सुझाव दिये गये हैं उनसे विधेयक मे अब सराहनीय सुधार हुआ है। वह सभी सद्भाव से किये गये मामलों में न केवल तत्स्थानी माल छुड़ाने के ठेकों के अनुज्ञापन को अनावश्यक ही नहीं बनाते हैं अपितु वह केन्द्रीय सरकार को जहां भी जनहित अथवा व्यापार के हित में आवश्यक हो, प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ऐसे सभी सौदों का नियंत्रण करने के लिये अपेक्षित अधिकार प्रदान करते हैं।

इन संशोधनों के उपसंहार के रूप में संयुक्त समिति ने विधेयक मे एक नवीन खंड १९ जोड़ दिया है। इसके द्वारा किसी भी राज्य अथवा किसी भी इलाके में बिना केंद्रीय सरकार की अनुमति के

[श्री म० च० शाह]

स्टाक एक्सचजों को खोलने और उनको चलाने की मनाही कर दी गयी है। इस प्रकार की उपबन्ध के बिना, गैर अधिसूचित क्षेत्रों में अनुज्ञप्त विक्रेताओं की आड़ में अमान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचजों के बन जाने की आशंका थी। परन्तु अब सरकार ने यह देखने का अधिकार प्राप्त कर लिया है कि केंद्रीय सरकार की पूव स्वीकृति के बिना प्रतिभूतियों संबंधी सौदे करने या उसमें सहायता देने के लिये व्यक्तियों की कोई भी संस्था स्थापित नहीं की जा सकती हैं। जब भी कभी वह स्टाक एक्सचेंज का गठन करेंगे, उस क्षेत्र को अभिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा। ऐसा उन शर्तों के अधीन कि जायेगा जो कि स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में विधेयक में उपबन्धित ह।

संयुक्त समिति ने खंड २३में महत्वपूर्ण संशोधन करके उसे काफी वढ़ा दिया है, इसका उद्देश्य धारा १३ से १९ तक में प्रस्तावित नियंत्रण की योजनाओं को काफी शक्तिशाली बनाना है। इन संशोधनों का उद्देश्य, कर्व व्यापार, और ऐसे लोगोंद्वारा दलाली किये जाने पर जो न तो किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्स्चेंज के सदस्य है, और न ही अनुज्ञप्त विक्रेता अथवा उनके अधिकृत एजेंट हैं, रोक लगाना तथा उनको सजा भी देना हैं। इसी प्रकार धारा २३ में जो सजाएं रखी गयी हैं, उन्हें ऐसे स्थानों के जहां इस अधिनियम की उपबन्धों के विरुद्ध प्रतिभूतियों संबंधी सौदे किये जाते हैं अथवा ऐसे स्थानों का प्रबन्धक, नियंत्रक और संधारण किया जाता है, रखने अथवा चालू करने पर भी लागू किया जायेगा। यह बड़े लाभदायक संशोधन ह, जिन्हें कुछ अधिसूचित क्षेत्रों में सौदों का नियंत्रण करने के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है।

विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण संशोधन खंड २७ से सम्बन्धित ह। .जस रूप में इस खंड को प्रारूपित किया गया था उसके अनुसार एक निर्धारित समय सीमाके पश्चात् निरंक हस्तान्तरण के आधार पर अंशधारियों को उन अंशों से सम्बन्ध लाभांशों का दावा करने से वंचित किया गया था। संयुक्त समिति के खंड २७में संशोधन करते हुए केवल यही कहा है कि जब तक कि हस्तान्तरिती लाभांश प्राप्त करने की अवधि के १५ दिन पूर्व तमाम दस्तावेज़ कम्पनी के पास नहीं भेज देते हैं, वह अंशधारी जिन का नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्जा हैं, लाभांश लेने और उन्हें रखने के लिये पूर्ण अधिकारी होंगे। इसके साथ ही मैंने एक संशोधन का सुझाव दिया है जिसके अनुसार हमने कम्पनियों को इन उपबन्धों से इस अर्थ में बिलकुल अलग रखने की चेष्टा की है कि कम्पनियां अपने उन अंशधारियों को जिनका लाभांश दिये जाने वाली तिथि को उनकी सूची में होगा, लाभांश दे सकेंगीं। चाहे हस्तान्तरिती ने लाभांश देय होने को अवधि से १५दिन पूर्व सभी दस्तावेज़ कम्पनी को भेज ही क्यों न दिये हों। यदि मूल खंड को उसी प्रकार रखा जाये तो इससे कई उन लोगों को जिन्होंने अंशों को खरीद तो लिया है परन्तु उनको निरंक हस्तान्तरिण ही बनाये रखा हैं अनावश्यक रूप से आर्थिक हानि होगी।

हमने यह महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं,और मुझे आशा है कि सदन उन संशोधनों के महत्व पर विचार करेगा जिन को कि संयुक्त समिति ने स्वीकार कर लिया है। मुझे विश्वास हैं कि सदन इस बात से सहमत होगा कि संयुक्त समिति द्वारा इस विधेयक को जिस प्रकार संशोधित किया गया है वह उस के मूल प्रारूप में जैसा कि उसे सदन में प्रस्तुत किया गया था, अधिक उत्तम हैं। इस विधेयक को स्वीकार करके और इसे अधिनियम के रूप में पारित करके हम पूंजी लगाने वाली जनता की अमूल्य सेवा करेंगे ! हम प्रतिभूतियों के ठेकों के सौदों का नियंत्रण करेंगे और स्टाक एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली को भी विनियमित करेंगे। हम केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देंगे कि वह यह देखे कि किसी प्रकार की कोई बेईमानी तो नहीं की जाती हैं और खरे सौदों को प्रोत्साहन मिलता हैं। विकल्पित सौदों पर, जिन्हें मंदी-तेज़ी का नाम दिया जाता है , हमने पाबन्दी लगा दी हैं। हमने इन्हें अवैध करार देकर इन के लिये काफी सजा की व्यवस्था की हैं।

विधेयक में दो बातें और भी हैं जिनके सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया है। यह अदला बदले के सौदों और निरंक हस्तान्तरण से सम्बन्धित मामले हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निरंक हस्तान्तरणों को छः मास से अधिक समय तक चालू नहीं रहने

दिया जाना चाहिये, परन्तु इसके लिये उन्होंने विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं रखा है जिसके द्वारा इसको नियमित किया जाये। अपितु इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार सरकार को ही दे दिया है। सरकार स्टाक एक्सचेंजों से परामर्श करेगी और खरे सौदो को किसी प्रकार से हानि पहुंचाये बिना इस प्रकार के प्रयत्न करेगी कि छः मास के पश्चात् निरंक हस्तान्तरण के सौदों का अस्तित्व ही न रहें। जहां तक बदला व्यापार का संबंध है यदि आप वायदा व्यापार की अनुमति देते हैं तो अदला बदली के वास्तविक सौदों की सुविधायें देनी ही होगी। बिना किसी निश्चित व्यवस्था के ऐसा नियंत्रण करना बहुत कठिन होगा, जब तक कि यह उपबन्ध न किया जाये कि स्टाक एक्सचेंजों में तत्स्थानी माल छुड़ाने वाले सौदों के अतिरिक्त और किसी अन्य सौदे करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जैसा कि मैंने विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव के समय कहा था कि प्रतिभूतियों के वायदा व्यापार को नियमित करना आवश्यक था। परन्तु आज की स्थिति में हमें वास्तविक ज्यादा व्यापार को चालू रहने देना हैं। हमारा उद्देश्य सट्टे को उस सीमा तक बढ़ने से रोकना है जहां कि वह जुआ बन जाता हैं और ऐसी आपात स्थितियों में हमने स्टाक एक्सचेंजों के शासी निकाय के परामर्श से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त किया हैं। हम सतत इस बात के लिये सचेत रहे है कि स्टाक एक्सचेंजों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। नियम, उपनियम होंगे और उनको केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कराना होगा, और सरकार यह देखेगी कि प्रतिभूतियों के वैध वायदा व्यापार की अनुमति दिये जाने के साथ साथ सट्टे बाज़ी तो नहीं बढ़ने पाती हैं, इस सट्टेबाज़ी को विनियोजक जनता और व्यापार के हित म नियंत्रित किया जाना चाहिये। बस इतना ही मुझें कहना हैं। मुझे आशा हैं कि सदन इस विधेयक को पारित कर के अधिनियम बनाये जाने पर सहमत होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस विधेयक को सभी वाचनो के लिये छः घंटे आवंटित किये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य चर्चा के लिये कितना समय चाहिये। और खंडवार चर्चा करने में कितना समय लगेगा। इसके ३१ खंड है। अभी तक केवल पांच संशोधन हैं। तीन सरकार की ओर से हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : सामान्य चर्चा के लिये पांच घंटे।

†**डा० ज० न० पारिख** (झालावाड़): चार घंटे सामान्य चर्चा के लिये, डेढ़ घंटा खंडों पर विचार करने के लिये और आधा घंटा तीसरे वाचन के लिये।

†**श्री ग० ध० सोमानी** (नागौस्पाली): श्री तुलसीदास और मैंनें आज प्रातः कुछ संशोधन भेजे है। आशा है कि आप उन संशोधनों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे भी ले लिये जायेंगे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी**: यह प्रस्ताव सरकार द्वारा हम पर ठोंसा गया हैं। मुझे इसके कारणों का पता नहीं लग रहा हैं। प्रारम्भ में तो यह अनुभव होता हैं कि स्टाक और शेयर का व्यापार वैध हैं और देश के सभी भागों में होता हैं। यह सच ह कि बड़े शहरों में जुआरी इस व्यापार को इस प्रकार से करने लग जाते हैं कि वे जुआ अधिनियम का भी उल्लंघन कर जाते हैं। यह बात ही इस विधेयक को प्रस्तुत किये जाने का कारण नहीं बनाई जानी चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए]

यदि हम विधेयक को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि विधेयक में उल्लिखित उपबन्धों को लाने में सरकार असफल रही है। विधेयक में कई स्थानोंपर कहा गया है कि आयात के समय सरकार यह करेगी, वह करेगी और उसके लिये उन्हे कुछ अधिकार भी दिये गये हैं। परन्तु स्टाक एवसचेंजों के इस आघात की किसी भी प्रकार की परिभाषा और व्याख्या नहीं की गयी हैं। किसी को पता नहीं कि कि सरकार को किस प्रकार के आयात की आशंका हैं। यह भी नही बताया गया कि किस अवस्था में

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

यह आयात स्थिति उत्पन्न होगी। विधेयक के खंडों के अनुसार सरकार स्टाक एक्सचेंजों पर पूण नियंत्रण कर रही हैं। विधेयक के खंड ४(१)(ख) में कहा गया है कि सरकार इस बात का निणय करेगी कि कितने व्यक्ति मिलकर स्टाक एक्सचेंज को बनायेंगे। खंड में कहा गया है, "कि स्टाक एक्सचेंज प्रत्येक शर्त को मानने को तयार हैं (जिसमें यह भी शर्त हैं कि सदस्य संख्या क्या हो)... अर्थात् एक विशिष्ट प्रकार के वर्ग का निर्माण हो जायेगा, जिससे संबंधित लोग ही स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य हो सकेंगें उन व्यक्तियों की संख्या जो व्यापार में आना चाहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, परिश्रमी हैं, पुराने लोगों के मुकाबले में अपने पांवों पर ही खड़े हो सकते हैं, काफी अधिक होगी, परन्तु उन्हें किसी स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता में नहीं लिया जायगा। इस का अर्थ यह होगा कि संविधान के अनुच्छेद १९ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन चाहे व्यवसाय को अपनाने का जो अधिकार प्राप्त है, इस प्रस्ताव द्वारा वह क्रियात्मक रूप से छीना जा रहा है। मै इस कानून में इस प्रकार की व्यवस्था का औचित्य नहीं समझ पा रहा हूं। कुछ भी हो, यह है तो निजी व्यापार जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह तो पुन्जी लगाने की बात है। वह अपनी पूंजी बेचेगा अथवा किसी की ओर से दलाली करेगा। जब कोई व्यक्ति यह व्यापार करना चाहे अथवा यह पेशा अपनाना चाहे तो उसे इस अधिकार से वंचित क्यों किया जाय? मुझे भय है कि विधेयक का यह खंड किसी तानाशाही अथवा साम्यवादी देश से नकल किया गया है, जहां कि सरकार इस प्रकार के नियंत्रण प्राय: करती रहती है, और जहां जो भी कुछ किया जाना होता है वह सरकार ही करती है, किसी व्यक्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हम समाजवादी समाज की बात तो करते हैं परन्तु समाजवादी ढंग का यह अर्थ तो नहीं कि ऊपर से जो चाहो ठोंस दिया जाये और यह कहा जाये कि यह करो अथवा वह व्यापार मत करो। यदि इस प्रकार का नियंत्रण लगाया गया तो सारा संविधान ही समाप्त हो जायगा इसलिये मेरा निवेदन है कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये।

इस विधेयक के खण्ड ५ में व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी स्टाक एक्सचेंज को नोटिस दे सकती है कि उक्त नोटिस में उल्लिखित कारणो से वह उसकी मान्यता को वापस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है और उस स्टाक एक्सचेंज को उत्तर देने का अवसर देकर वह उसे मान्यता से वंचित करने की अधिसूचना सरकारी सूचानपत्र में प्रकाशित कर सकती है। मेरी आपत्ति यह है कि सरकार को उसकी मान्यता को वापस लेने का पूर्व-निर्णय नहीं कर लेना चाहिये। उसे पहले इस प्रकार का एक नोटिस देना चाहिये कि वह कारण बताये कि उसकी मान्यता क्यों न वापस ली जाये। सरकार को पहले से कोई निश्चय नहीं कर लेना चाहिये। पूर्व-निश्चय कर लेने का परिणाम तो यह होगा कि सरकार प्रथम नोटिस के बाद, अपनी प्रतिष्ठा के विचार से, हर हालत में उसकी मान्यता वापस ही लेकर रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दी गई सफाई का इस निर्णय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी राय में तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये प्रथम नोटिस में उल्लिखित कारणों की जांच किसी स्वतंत्र निकाय, या न्यायाधिकरण या पंजीयन-अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये। उसके निर्णय के बाद ही सरकार को कई निर्णय करना चाहिये। उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाना चाहिये।

खण्ड ९(२)(यू०) में व्यवस्था की गई है कि विधियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी भी सदस्य द्वारा किये गये व्यापार के परिणाम को सीमित किया जायेगा। इन विशेष परिस्थितियों की परिभाषा की जानी चाहिये। यह बहुत ही अस्पष्ट हैं। किसी व्यक्ति के व्यापार को सीमित क्यों किया जाये? जब आप जुयेबाजी को भी वैध और नियमित करना चाहते हैं, तो फिर इस सीमा को निर्धारित करने का कोई भी औचित्य नहीं हैं। इससे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि इस उपबन्ध को इस विधि से हटा देना चाहिये।

अब खंड ११(४) को लीजिये। उसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार इस धारा के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों से उनके शासी निकायों को पुनर्गठित करने के लिये कह सकती है और उस पुनर्गठित शासी निकाय में ही उस स्टाक एक्सचेंज की सारी सम्पत्ति निहित हो जायेगी इसका अर्थ तो यह है कि केंन्द्रीय सरकार स्टॉक एक्सचेन्जो कें शासी निकायों की लोकतंत्रात्मक शक्तियों को भी

समाप्त कर सकती है और सरकार का उन पर इतना अधिक नियंत्रण होगा कि वह अपनी इच्छानुसार उस निकाय के पदाधिकारियों का चुनाव भी करा सकती हैं। यह तो स्टॉक एक्सचेंजों की स्वतंत्रता का अपहरण करना हुआ। मेरी राय में तो सरकार को निजी व्यक्तियों के निजी व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

खंड १२ में व्यवस्था की गयी है कि आपात काल में केन्द्रीय सरकार किसी भी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के व्यवसाय को अधिक से अधिक सात दिनों तक की अवधि के लिये निलम्बित कर सकती हैं। यह काय स्वयं तो इतना हानिकर नहीं ह, लेकिन इसके पीछे जो सिद्धांत ह वह बहुत खतरनाक हैं। इस आपातकाल की परिभाषा क्या है ? इसका निर्णय कौन करेगा कि आपातकाल हैं या नहीं ? यह भी तो हो सकता हैं कि कोई बड़ा पूंजीपति सरकार पर अपना यह प्रभाव डालने में सफल हो जाये कि उसके व्यक्तिगत हित में किसी स्टॉक एक्सचेंज के व्यवसाय को निलम्बित कर दिया जाये। क्या सरकार उसे भी आपातकाल मानेगी ? सरकार को इस आपातकाल की परिभाषा स्पष्ट तौर पर करनी चाहिये।

खण्ड १३, १४, १५ और १६ के उपबन्ध प्रतिबन्धों के संबंध में हैं। खण्ड १८ में तत्स्थानी सौदों की एक विचित्र परिभाषा दी गई हैं। उसमें दिया गया है कि तत्स्थानी समझौता केवल उस सौदे को ही माना जायगा जिसमें उसकी कीमत का भुगतान उसी दिन या उसके दूसरे दिन कर दिया जाय। प्रतिभूतियां भेजने और भुगतान का रुपया भेजने में लगने वाला वास्तविक समय इसमें शामिल नहीं है। उसे जोड़ा जा सकता है। यदि इस अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो उस सौदे को तत्स्थानी समझौता नहीं माना जायेगा। इससे बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। मान लो कि कोई दो व्यक्ति मिल कर कोई बड़ा ठेका ले लेते हैं। उनमें से एक व्यक्ति तो प्रतिभूतियां भेजना चाहता हैं और दूसरा व्यक्ति विप्रेषण के द्वारा अदायगी करना चाहता है। यदि दुर्भाग्यवश उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तथा धन तो पहुंच जाय परन्तु प्रतिभूतियां न पहुंचें तो सारा ठेका ही अमान्य हो जायगा। म पूछना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के विधान बनाकर आम लोगों के कामों में बाधा क्यों डाल रही हैं ? यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभूतियां बेचना चाहे तो वह उस विधि के अधीन स्टॉक एक्सचेंज की सहायता के बिना वैसा नहीं कर सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि आप उसे क्यों बाध्य करते हैं कि वह स्टॉक एक्सचेंज और दलालों की सहायता अवश्य ले। मैं समझ नहीं सकता कि इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गयी हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता हैं कि सरकार सभी गैर-सरकारी उपक्रमों को सर्वथा समाप्त कर देना चाहती है।

जहां तक दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों का सम्बन्ध हैं, हमें यह मानना पड़ेगा कि यह विधान प्रतिभूतियों का लेन देन करने वाले व्यक्तियों के साधारण ठेकों सम्बन्धी क्रियाशीलता पर नियंत्रण करता है। तो भी खण्ड २३ तथा २४ में रखी गयी ३०३ दण्ड व्यवस्थायें आपवादिक हैं। मैं समझ नहीं सका कि इस प्रकार के दीवानी मामलों के अपराधों के लिये इस प्रकार का उपबन्ध क्यों किया है।

वास्तव में किसी भी ठेके को तोडना कभी भी दण्ड-अपराध नहीं माना गया है। ब्रिटिश काल में तो उसे जान बूझकर एक दण्ड-अपराध मान लिया गया था। परन्तु अब ऐसा करना ठीक नहीं हैं। जनता इसे बिलकुल नहीं चाहती। अतः ठेकों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सजा देना पूर्ण रूपेण अन्याय है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इस बात पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से विचार करे और इस प्रकार के अपराधों में पुलिस के हस्ताक्षेप की अनुमति न दी जाये। एक ओर तो आपने विधिमें स्वयं यह व्यवस्था की है कि इस प्रकार के मामले प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के पास जायेंगे और दूसरी ओर आप इस मामलों को पुलिस के एक साधारण से सिपाही को सौंप रहें हैं ।

इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार मेरे इन शब्दों पर अच्छी प्रकार से विचार करे और इन संशोधनों को स्वीकार करे।

†**डा० ज० न० पारिख** : मैं इस विधान का सच्चे हृदय से स्वागत करता हूं जिसे देश की स्टॉक एक्सचेंज मार्केटों को नियमति करने की दृष्टि से अच्छी प्रकारसे सोच विचार करने के बाद आज सभा में प्रस्तुत किया गया है।

स्टॉक एण्ड शेयर मार्केट किसी भी प्रगतिशील देश के आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति और स्टॉक मूल्यों का निकटतम सम्बन्ध है। औद्योगिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, परन्तु औद्योगिक तथा वैज्ञानिक प्रगति धन विनियोग तथा पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है । इस विचार से स्टॉक एक्सचजों को नियमित करना अत्यावश्यक है।

इन दिनों, सारे संसार में अद्भुत आर्थिक क्रियाशीलता रही है। वस्तुओं, तथा प्रतिभूतियों की कीमतें चढ़ती प्रतीत हो रही ह और कई स्थानों में तो वह लगभग मुद्रा स्फीति की स्थिति तक पहुंचने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के वित्त-विनियोग का अधिकांश भाग भारतीय धन मार्केट पर आ पड़ा है। रिज़र्व बैंक से धन की मांग बढ़ने लगी। उसी के फलस्वरूप आज मुद्रा स्फीति की अवस्था उत्पन्न होती जा रही है।

वित्त मंत्री ने आयव्ययक भाषण के समय घाटे की अर्थ व्यवस्था के बारे में जो शब्द कहे थे, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। आज हमारे आर्थिक रूपों में विरोधी तत्वों का एक अद्भुत समन्वय सा है। एक ओर तो मुद्रा-स्फीति बढ़ रही है और दूसरी ओर धन माकटों में धन राशियों के लिये एक होड़ सी लगी हुई है ; एक ओर तो उत्पादन बढ़ रहा है और दूसरी ओर वस्तुओं की कीमत बढ़ रही हैं। देश में आज की आर्थिक अव्यवस्था का यही मुख्य कारण है। घाटे की अर्थ व्यवस्था जहां १९५३-५४ में केवल १९ करोड़ रुपया थी, १९५४-५५ में केवल १३६ करोड़ रुपया थी, वहां १९५५-५६ में २४० करोड़ रुपया है। अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम धन की राशि जहां १९५३-५४ में ४४३ करोड़ रुपया थी, वहां इस वर्ष मार्च तक वे ५८० करोड़ रुपये से बढ़ गये हैं। इसके परिणामस्वरूप जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। इसलिये इस मुद्रा स्फीति की स्थिति की ओर हमें पूरा ध्यान रखना है।

उपरोक्त पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखते हुए हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मूल्यों में हो रही वृद्धि बताती है कि योजना बद्ध अर्थ नीति के अधीन कोई मार्केट किस प्रकार से काम करती है। अतः एक ऐसे सुगठित स्टाक एक्सचेंज की आवश्यकता है जो कि देश के पूंजीपति निर्माण में अच्छी प्रकार से सहयोग दे। यह एक ऐसे निकाय के रूप में काम करता है जो कि स्टाक विक्रेता तथा क्रेता दोनों की ही सहायता करता है। बिना इसके क्रेता अथवा विक्रेता को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये एक सुव्यवस्थित स्टाक एक्सचेंज की अत्यावश्यक है।

स्टॉक मार्केट मूल्यों में समय समय पर उतार चढ़ाव होते रहे हैं और उससे नाम बड़ा बदनाम हुआ है। परन्तु इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिये कि व्यापार, उद्योग तथा अर्थ नीति की स्थिति का स्टॉक एक्सचेंज के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। तदनुसार मूल्यों में तीन प्रकार के उतार-चढ़ाव होते हैं :—दीर्घकालीन मध्यकालीन और अल्प कालीन। दीर्घकालीन उतार चढ़ाव राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति के रुख पर निर्भर करता है। मध्यम कालीन उतार चढ़ाव राष्ट्रीयकरण आदि व्यापक नीतियों आदि पर निर्भर करते हैं। जहां एक अल्पकालीन उतार चढ़ावों का सम्बन्ध है, ये मार्केट की अपनी रचना और प्रविधिक स्थिति पर निर्भर करते हैं।

परन्तु एक नियमित मार्केट में अव्यवस्थित उतार चढ़ाव नहीं होते ; वहां पर किसी व्यवस्थत सीमा के अन्दर ही उतार चढ़ाव होते हैं। स्टॉक और शेयरों को निम्न लिखित कोटियों में

---

†मूल अंग्रेजी में।

बांटा जाता है। प्रथम कोटि में परम-प्रतिभूतियां आती हैं। दूसरी कोटि में अंश तथा ऋण पत्र आते हैं जिन्हें साधारण, अधिमान वाद तथा अस्थगित अंशों में बांटा जाता है। मुद्रा स्फीति और ऋण के दरों का अंशों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा करता है।

अब मैं विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करता हूं। इस समय देश में स्टॉक एक्सचेंजों की प्रगति के लिये बड़ा अच्छा वातावरण है। इस समय सरकार, वर्तमान समावायों को नयी पूंजी के एकत्र करने की अनुमति देते समय इस बात पर अनुरोध करती है कि अंशों की सामान्य कीमत पर एक प्रीमियर लिया जाये। ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है और मैं चाहता हूं कि इस बात की छानबीन की जाय।

अनाम हस्तान्तरण के बारे में यह कहा गया है कि इससे कर अपवंचन को प्रोत्साहन मिलता है, और उससे सरकार को हानि होती है परन्तु कर अपवंचन का वास्तविक कारण यह है कि इस प्रणाली में पूर्ण रूपेण अव्यवस्था है। नाम हस्तान्तरणों की सहायता से समवायों पर नियंत्रण रखने का विचार गलत है। और फिर १९५६ के अन्तिम समवाय अधिनियम ने भी पर्याप्त अधिकार दिये हैं और इसलिये वह भय पूर्ण रूपेण निराधार है। इसी प्रकार से मुद्रा शुल्क के अपवंचन का भय भी निराधार है। इसलिये उसे भी किसी अन्य विधयक में रखा जाये, इसमें उसे कोई स्थान न दिया जाये।

यह विचार भी ग़लत है कि यह सट्टेबाजी को भी प्रोत्साहन देता है क्योंकि धन संभरण तो सरलता से उपलब्ध हो सकता है परन्तु मार्केट में स्टॉक सीमित से होते हैं। समवाय दूर दूर स्थित होते हैं इसलिये वे आसानी से अपने अंशों का हस्तान्तरण नहीं कर सकते।

जहां तक क्लीयरिंग हाऊस का सम्बन्ध है इसमें चार पांच साल तक रहने वाला स्टॉक किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार न किया जायेगा। भारत में बक भी अनाम हस्तान्तरण की ओर बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि वह ढंग भी समाप्त हो जायेगा। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि विधेयक केवल विनियामक शक्तियां प्रदान करता है।

खण्ड १४(१) में यह कहा गया है कि किसी भी उपविधि के उल्लंघन पर कोई सज़ा दी जाये। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि अपराध को अवश्य सज़ा दी जाये। परन्तु इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं किसी निरपराधी को सज़ा न मिल जाये। इसीलिये मैंने अपने सशोधन में सुझाव दिया है कि खण्ड १४(१) (१) में "अधिकारों के बारे में" शब्दों के पश्चात् "उसकी दलाली, कमीशन अथवा इनाम" शब्द जोड़ दिये जायें।

खण्ड २० में वैकल्पिक व्यापार की व्यवस्था की गयी है। अमेरिका तथा लन्दन में भी इस प्रकार के वैकल्पिक व्यापार की व्यवस्था है। इसलिये इसे प्रोत्साहन देना चाहिये। इसे बन्द करने की जगह नियमित किया जाये।

मैं श्री त्रिवेदी के इस कथन से सहमत हूं कि व्यापारिक क्षेत्र में कारावास के दण्ड तथा अपराधियों की एक नई श्रेणी का बनना अनुचित है। हमें प्रयत्न तो इस बात का करना चाहिय कि एक अत्यन्त सुगठित मार्केट तैयार की जाये जिसमें सारा कार्य सुचारु रूप से चल सके। इस समय केवल बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ही अच्छी प्रकार से चल रहा है। यदि अन्य स्थानों पर भी इतना परिश्रम किया जाय तो वहां भी यह काम अच्छी प्रकार से चल सकता है।

†**श्री ग० ध० सोमानी :** मैं इस विधेयक की केवल दो तीन बातों के बारे में ही अपने विचार प्रकट करूंगा। हम इससे पहले एक व्यापार समवाय विधेयक पास कर चुके हैं जो कि इस समय लागू भी हो चुका है। प्रस्तुत विधेयक, जिसका सम्बन्ध स्टॉक एक्सचेंजों से है, समवाय विधेयक के अनुपूरक विधेयक के रूप में है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ग० ध० सोमानी]

यह विधेयक अच्छी प्रकार से सोच विचार करने के बाद ही तैयार हुआ है, । निःसदेह यह बात सत्य है कि सुनियमित तथा सुयोजित स्टॉक एक्सचेंज का देश की आर्थिक व्यवस्था से बहुत बड़ा हाथ है और इसलिये इसकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना अत्यावश्यक है ।

स्टॉक एक्सचेंजों से जहां देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है वहां बड़ा नुकसान भी हुआ है । सट्टेबाजी का देश की आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता रहा है । इसलिये यह आवश्यक था कि कोई ऐसा विधान बनाया जाता जिससे विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों पर नियंत्रण रखा जा सकता इस समय इस प्रकार का केवल एक ही राज्य अधिनियम है और वह बम्बई में है । अतः आज आवश्यकता है एक ऐसे विधान की जो कि सारे देश पर लागू हो सके ।

आज जब कि हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन देश का उद्योगीकरण करने वाले हैं, ये संयुक्त स्टाक समवाय पर्याप्त संख्या में बढ़ जायेंगे । इसलिये एक ऐसे विधान की आवश्यकता है जो कि एक सुनियमित स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना करे ।

इस अखिल भारतीय विधान के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद मैं गौड़वाला समिति के इस कथन से सहमत हूं कि इन स्टाक एक्सचजों को स्वायत अधिकार दिये जाये और उनके काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये ।

सरकार को चाहिये कि श्रेष्ठि चत्वरों को मान्यता देते समय इस बात की व्यवस्था करे कि उनके नियम आदि ठीक हों, और सरकार उनके काम में आवश्यक हस्तक्षेप न करे ।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक या दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पहिली बात श्रेष्ठि चत्वर के बोर्ड में तीन सरकारी नाम निर्देशित व्यक्तियों को रखने की है । मेरा विचार है कि बोर्ड के सदस्य श्रेष्ठि चत्वरों म से ही चुने जाते तो ठीक था । क्योंकि सरकार केवल आपात होने पर ही और अत्यधिक कुप्रबन्ध के मामलों में हस्तक्षेप करेगी, इसलिये यह अधिक अच्छा होता कि सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति चत्वरों के दिन प्रति दिन के कार्य में कोई भाग न लेते अर्थात् इनका विधेयक में कोई उपबन्ध न किया जाता । यदि यह अनिवार्य भी माना जाये कि सरकार का बोर्ड से कुछ सम्पर्क रहे, तब भी मेरा ख्याल है कि इस काम के लिये एक सरकारी नाम निर्देशित व्यक्ति का रखना काफी है । इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान उन शक्तियों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं जो इस विधेयक के अनुसार श्रेष्ठिचत्वर के प्रबन्ध नियमों का अवक्रमण करने के लिये सरकार को मिल जायेगी । मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि कोई प्रबन्ध निकाय उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो सरकार के लिये उत्तम बात यह है कि वह तो निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार ले ले । कुछ भी हो सम्बन्धित चत्वर के सदस्यों को यह अवसर दिया जाना चाहिये कि वे बोर्ड के विद्यमान सदस्यों के स्थान पर ऐसे नये सदस्य रख सकें जो कि इस बात के लिये और अच्छी कार्यवाही करें कि बोर्ड का कार्य उचित रूप से चलता रहे । मेरा यह सुझाव है कि सरकार को किसी भी निकाय को किसी भी निश्चित काल पर समाप्त करने और नये निर्वाचन के आदेश देने के अधिकार पर ही सन्तोष करना चाहिये । यदि नये निर्वाचन के अवसर देने पर भी यह पाया जाता है कि सदस्य-गण अपने उत्तरदायित्वों को उचित रूप में नहीं निभा रहे हैं तो निश्चय ही उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है । परन्तु प्रबन्ध निकाय के अवक्रमण की शक्ति लेने का मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता ।

मैं देखता हूं कि इस प्रक्रिया के शब्दों में, जिसे सरकार अवक्रमण के समय अपनायेगी, जान बूझ कर कुछ परिवतन किये गये ह । पहिले इच्छा यह थी कि श्रेष्ठि चत्वर से पूछा जाय कि उसके प्रबन्ध निकाय का अवक्रमण क्यों न कर दिया जाय । परन्तु अब केवल इतना ही उपबन्ध किया गया है कि उसे अपनी कहने का अधिकार होगा । हो सकता ह कि यह केवल एक औपचारिकता हो तथा इसका उतना प्रभाव न हो जितना कि मूल विधेयक के उपबन्धों में था । यदि कोई भी बड़ी कार्यवाही करने से पहिले श्रेष्ठि चत्वर को पूर्ण और उचित, अवसर देने का विचार है तो मूल विधेयक के शब्दों को बदलने में तनिक भी औचित्य नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि इन शब्दों को बदल कर वही शब्द रखे जायें जो मूल विधेयक में थे ।

अनाम हस्तान्तरण के बारे में समय समय पर बहुत कुछ कहा गया है। अधिकतर सदस्यों का मत यह है कि अनाम हस्तान्तरण के बारे में विधेयक में अधिकाधिक छः मास का काल निर्धारित किया जाना चाहिये। इस मामले के बारे में कुछ सच्चा मतभेद है। मुझसे पहिले बोलने वाले सदस्य ने यह कहा है कि समवाय अधिनियम के अधीन सरकार को जो विभिन्न शक्तियां मिली हैं उनके तथा वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत अब यह आवश्यक नहीं है कि इन अनाम हस्तान्तरणों को भी अनुमति न दी जाय। इन हस्तान्तरणों से ब्यापार में सुविधा रहती है। यदि समवाय अधिनियम से वे भ्रष्ट व्यवहार दूर हो सकें जो इनके कारण होते हैं, तो इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध बनाने की जरूरत नहीं है।

इस विधेयक को पुनः स्थापित करते हुए वित्त मंत्री ने जो आश्वासन दिया था मैं उसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि श्रेष्ठि चत्वरों सम्बन्धी प्रशासन को मंत्रणा देने के लिये एक स्थायी मन्त्रणा परिषद् नियुक्त की जायेगी। यह आवश्यक है कि इस अधिनियम के कार्यान्वित होते ही ऐसी परिषद नियुक्त हो जाय। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह एक विशिष्ट विषय है और जो भी कार्यवाही की जाये वह भलीभांति सोच समझ कर तथा अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श करके करना चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान्, इस विधेयक का उद्देश्य श्रेष्ठि चत्वरों के कार्यों को नियमित करना है, उन्हें पूर्णतया समाप्त करना नहीं। हम अपने देश में अनियमित गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र नहीं चाहते, अपितु एक ऐसा नियमित गैर सरकारी क्षेत्र चाहते है जो समाज का ढांचा समाजवादी बनाने के हमारे उद्देश्य के अनुकूल हों। हमारे देश में जब कि हम कल्याण राज्य की स्थापना की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, कल्याण राज्य की दृष्टि से भी श्रेष्ठि चत्वर के काम ऐसे हैं। जिन से वास्तव में धन लगाने वाले व्यक्ति को अशों में या प्रतिभूतियों में अपना धन चलाने से सहायता मिले। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय वित्त मंत्री का यह कहने से क्या अभिप्राय था कि उचित वायदा व्यापार ही होना चाहिये। यदि आप धन लगाने वालों के हित में श्रेष्ठि चत्वर चलाना चाहते हैं तो आपको केवल इस बात की व्यवस्था करनी है कि धन लगाने वालों को यह परामर्श प्राप्त होना चाहिये कि वे किस किस्म की प्रतिभूतियों में अपना धन लगायें। श्रेष्ठि चत्वर का यह वैध कार्य है। मैं देखता हूं कि श्रेष्ठि चत्वरों का कार्य वास्तव में धन लगाने वाले व्यक्तियों के हित तक ही सीमित नहीं रहा है, अपितु उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर सट्टा व्यापार होता रहा है। अंशों में मूल्यों को प्रभावित करने के लिये सब कुछ किया जाता है। शान्ति काल में युद्ध की, युद्ध-काल में शान्ति की, आदि अफवाहें फैला दी जाती हैं और इस प्रकार अंशों के मूल्य या तो बढ़ा दिये जाते हैं या घटा दिये जाते हैं, तथा स्वार्थी लोग नाम कमा लेते हैं।

इस सट्टे का सामान्य लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपको यह तो विदित है कि कुछ बैंकों ने अपनी निधियों को सट्टे में लगाने के कारण हानि उठाई। जब बैंक समाप्त होते हैं तो प्रायः यह होता है कि संचालक समृद्ध हो जाते हैं और रुपया जमा करने वाले बरबाद हो जाते हैं। यही परिणाम बीमा समवायों के समाप्त होने का होता है। अतः मैं फिर कहता हूं कि श्रेष्ठि चत्वरों का बहुत कड़ा विनियमन होना आवश्यक है।

अब, प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विधेयक में की गई विनियमन की व्यवस्था पर्याप्त है। हमारे सामने कठिनाई यह है कि विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह श्रेष्ठि चत्वरों के कार्य-व्यवहार का विनियमन कैसे करेगा। हमें यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार के लेन देन की अनुमति दी जायेगी और किस प्रकार के लेन-देन की नहीं, तथा कैसे कैसे विनियमन नियमों के अधीन रहते हुए लेन देन किया जा सकता है। अतः हमारी कुछ शंकायें हैं। प्रथम हम देखते हैं कि अधिनियम में अनाम हस्तान्तरण को विनियमित या निषिद्ध करने की शक्ति दी गयी है। परक्राम्य प्रतिभूतियों के मामले में आनाम हस्तान्तरण का होना किसी सीमा तक आवश्यक हो सकता है, परन्तु प्रत्येक मामले में आनाम हस्तान्तरण करने का अधिकार अप्रभावित क्यों छोड़ते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने अंशों और प्रतिभूतियों के वायदे के वैध व्यापार का उल्लेख किया था। अंश और प्रतिभूतियां ऐसी वस्तुयें हैं लोग धन लगा सकें, ऐसी वस्तुयें नहीं जिन्हें लोग धन लगाने के उद्देश्य के बिना साधारण रूप में बेच सकें या खरीद सकें। अतः ऐसी बातों से इस बारे में बड़ी शंकायें उत्पन्न होती हैं कि विनियमन किस प्रकार का होगा।

दूसरी बात जिससे शंका पैदा होती है वह यह है कि विधेयक के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में बहुत साधारण से दण्ड का उबपन्ध किया गया है। जो लोग श्रेष्ठि चत्वर संबंधी सट्टा करते हैं, वे जुर्माने की अधिक चिन्ता नहीं करते। उन्हें केवल कारावास से डर लगता है और यहां बहुत थोड़े कारावास का उपबन्ध है। इन परिस्थितियों में हमें बड़ी शंका है कि सरकार उन अपराधों को छोटे छोटे अपराध माने और ऐसे दण्ड निर्धारित करे जो छोटे छोटे अपराधों के लिये होते हैं। इन्हीं कारणों से हमें इस विधेयक की सफलता में सन्देह होता है। यदि कोई अच्छा श्रेष्ठि चत्वर बनाना है और श्रेष्ठि चत्वरों को केवल विनियोग के लिये ही चलाना है, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि अंशों का वायदा व्यापार और आनाम हस्तान्तरण अवैध कर दिया जाये। परन्तु इस विधेयक से यह उद्देश्य प्राप्त न होगा। फिर भी, हम विधेयक का समर्थन करते हैं।

†**श्री भवनजी** (कच्छ पश्चिम) : श्रीमान, मैं प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक, १९५४ का जिस रूप में वह संयुक्त समिति से आया है—समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की इच्छा एक क्षेत्र या राज्य में एक मान्यता प्राप्त संस्था बनाने की है। यदि यह बात ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि सरकार श्रेष्ठि चत्वर को मान्यता प्रदान करते समय एक क्षेत्र में एक से अधिक संस्थाओं को होने की बात पर विचार करेगी। तथा यदि सम्भव हो तो उन्हें मिला कर एक कर देगी।

खंड ४ में यह उपबन्ध है कि सरकार को मान्यता प्रदान करते समय संस्था की सदस्यता पर शर्त लगाने और सदस्यों की विभिन्न संख्या रखने की भी शक्ति मिल जायेगी। यह एक बहुत अच्छा उपबन्ध है और इससे उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिये श्रेष्ठि चत्वरों में गुंजाइश बन जायेगी खंड ९ में सरकार ने श्रेष्ठि चत्वरों को उप-विधियां बनाने तथा मान्यता प्राप्त श्रेष्ठि चत्वरों के कार्यों को विनियमित करने के अधिकार दिये हैं। एक ओर तो सरकार एक संस्था को प्रतिभति बाज़ार में व्यापार करने का एकाधिकार दे रही है, तथा दूसरी ओर, उसी संस्था को व्यापार करने और उप-विधियों, जुर्मानों आदि के सम्बन्ध में अत्यधिक अधिकार दे रही है। ऐसी परिस्थिति में यह उचित ही है कि उस संस्था के प्रबन्ध निकाय में सरकार के प्रतिनिधि हों ताकि उन्हें यह विदित हो सके कि उस संस्था में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है। जब सरकार किसी संस्था को मान्यता देती है और उस क्षेत्र-विशेष में व्यापार करने का एकाधिकार देती है तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता ह कि वह जनता की ओर से यह देखे कि उस संस्था के कार्य बिना किसी गड़बड़ के किये जाते हैं। श्री सोमानी ने उस उपबन्ध का भी विरोध किया था जिसके अनुसार सरकार को प्रबन्ध निकाय के अवक्रमण की शक्ति मिल जाती है। यह शक्ति, प्रबन्ध निकाय के सदस्यों को वह काम करने से रोकेगी जो राष्ट्र के हित में न हो। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने जो शक्तियां मांगी हैं वे उचित ही हैं।

आनाम हस्तान्तरण के बारे में काफी मतभेद है। आज कोई यह नहीं कह सकता कि क्या आनाम हस्तान्तरण पद्धति को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिये या नहीं। इस पद्धति को एकदम समाप्त करना उद्योग और वाणिज्यों के हित में न होगा। यही कारण है कि इस मामले में सरकार ने जो बीच का रास्ता अपनाया है मैं उससे खुश हूं।

इस विधयक में विकल्पों (आपशंस) को दण्डनीय अपराध माना गया है। परन्तु अनुभव यह है कि आज भी विकल्प व्यापार बहुत फैला हुआ है कि और समाचार पत्रों में मूल्य दिये जाते हैं। यदि सरकार अपनी व्यवस्था होने पर भी इस विकल्प को नहीं रोक सकती, तो मैं समझता हूं कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

अब इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि क्या विकल्पों को विनियमित किया जा सकता है या नहीं। आजकल जो होता है वह यह है संस्थाओं के सिद्धान्तहीन सदस्य विकल्प व्यापार करते हैं और अलग हो जाते हैं। जब कि ख्याति प्राप्त लोग दाण्डिक खंड से डरते हैं और नुकसान में रहते हैं। अतः मेरा विचार है कि सरकार प्रश्न के इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और चाहता हूं कि विधेयक के प्रभारी मंत्री इस चर्चा का उत्तर देते समय इस बारे में कुछ कहें तथा बतायें कि सरकार की क्या इच्छा है।

†**श्री म० च० शाह** : इस महत्वपूर्ण विधेयक का माननीय सदस्यों ने सामान्यतः जो समर्थन किया है, इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने कुछ ठोस सुझाव दिये ह, परन्तु एक सदस्य ने विधेयक के कुछ उपबन्धों पर कुछ तीक्ष्ण विचार प्रकट किए हैं। वह इस समय यहां नहीं हैं परन्तु उन्होंने जो भाषण दिया था उससे मुझे यह मालूम हुआ था कि वह यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी विनियमन न हो। वह प्रतिभूतियों में संविदाओं के सौदों के संबंध में अनियंत्रित तथा अविनियमित कारबार चाहते थे।

वास्तव में इस विधान को कुछ पहिले बन जाना चाहिये था। इसे पहले ही पारित हो जाना चाहिए था। इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक सोच विचार करने के बाद कई समितियां अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी हैं। इन प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया था और परि नियमपुस्तव में विधान की अत्याधिक आवश्यकता थी। परन्तु जब तक संविधान पारित नहीं हुआ था तब तक एक अखिल भारतीय आधार पर संसद को विधान बनाने की सत्ता प्राप्त नहीं थी। जब संविधान अधीन संसद को ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर अखिल भारतीय आधार पर वि ान बनाने का, अधिकार मिल गया हमने जितनी जल्दी सम्भव हो सका कार्यवाही की है। हमने १९५४ के आरम्भ में यह विधेयक पुरः स्थापित किया था परन्तु दुर्भाग्यवश संसद के दोनों सदनों में कार्य के दवाब के कारण १९५५ वर्ष के अन्त तक इस विधेयक को कार्यावलि में स्थान प्राप्त नहीं हो सका था। उस समय इसे एक संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया था। संयुक्त समिति ने भी इस आशा पर संसद को शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कठिन परिश्रम किया कि इस पर इस वर्ष आयव्ययक सत्र म विचार किया जा सकेगा। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आय व्ययक सत्र में आय का अत्याधिक ज़ोर था और इस विधेयक को कार्यावलि में स्थान प्राप्त नहीं हो सका। अब इस सत्र के प्रथम दिन कार्यावलि में इस विधेयक को रखे जाने पर मुझे बहुत प्रसन्नता है और इसके लिए मैं संसद-कार्य मंत्री का कृतज्ञ हूं।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है, "विनियम आवश्यक क्यों है?" जब इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था तो उस समय मैंने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि श्रेष्ठि चत्वरों के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई इरादा नही है। परन्तु यह पूर्णतः आवश्यक है कि सारे देश में श्रेष्ठि-चत्वरों की कार्यवाहियों के विनियमन तथा नियन्त्रण के लिये एक अखिल भारतीय विधान होना चाहिये। जैसा कि मेरे मित्र श्री सोमानी ने संकेत किया था इस विषय पर केवल बम्बई राज्य में ही एक अधिनियम लागू है। समवाय विधेयक पारित होने के कारण यह विधान और भी महत्वपूर्ण हो गया है। समवाय अधिनियम पारित करके हमने उन्हें दृढ़ रूप से नियंत्रित कर लिया है और एक भली प्रकार विनियमित स्कन्ध बाज़ार का होना अब अत्यन्त आवश्यक है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्वस्थ तथा सुदढ़ पूंजी लगाने की मंडियां हों जिससे भली प्रकार विनियमित स्कन्ध बाज़ार में अंश खरीद कर अपनी बचत का विनियोजन करने वाले इच्छुक को अवसर मिल सके। यदि एक अच्छा विनियमित स्कन्ध बाज़ार हो जिस पर विनियोजक सुरक्षिततया भरोसा कर सकें तो स्वाभाविकतः हम देश के उद्योगीकरण में पूंजी लगाने के लिये बचत को बढ़ावा देंगे। इसलिये यह पूर्णतः आवश्यक है कि एक विनियमित स्कन्ध बाज़ार हो।

जहां तक तत्क्षण प्रदान संविदाओं का संबंध है कुछ समय सीमा ऐसी होनी चाहिए जिस में संविदा अवश्य ही पूरे किये जाने चाहिये। "तत्क्षण प्रदान संविदा" का अर्थ है नक़द दामों के आधार पर की गई संविदा अर्थात् एक ऐसी संविदा जो प्रतिभूतियों के वास्तविक प्रदान द्वारा और उसी दिन,

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० च० शाह]

जो संविदा की तिथि हो कीमत की अदायगी द्वारा अंश खरीदने का उपबन्ध करे। परन्तु कुछ अपरिहार्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमने कुछ और समय दिया था और कहा था कि दो दिन के भीतर जिसमें संविदा की तिथि है, तत्क्षण प्रदान संविदाओं को पूरा किया जाना चाहिये। किन्तु मान लीजिये देशाभ्यन्तर तट दूर या दक्षिण में रहने वाला कोई व्यक्ति बम्बई में तत्क्षण प्रदान संविदा करता है। अब प्रतिभूतियों को भेजने के लिये कुछ समय अपेक्षित है और इसलिये हमने कहा है कि जिस स्थान पर संविदा हो उससे बाहिर किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रतिभूतियों या राशि भेजने में जो समय लगे उसे निकाल दिया जाए। हमने तत्क्षण प्रदान संविदाओं की व्याख्या इस प्रकार की है कि जिससे कोई भी अत्याचार न हो सके। यह नहीं हो सकता कि तत्क्षण प्रदान संविदा के स्थान पर इसे एक अग्रे प्रदान संविदा में परिवर्तित किया जाए जिसमें १५ दिन या एक महीने के भीतर भुगतान किया जा सकता है। इसलिये हमने तत्क्षण प्रदान संविदाओं को अग्रे प्रदान संविदाओं से भेद किया है। इसलिये ये तत्क्षण प्रदान संविदायें परिभाषित की गई हैं। यद्यपि मूलतः हमने प्रदान के पूरा करने के लिये तीन दिन रखे थे तथापि संयुक्त समिति ने यह अच्छा समझा कि तत्क्षण प्रदान संविदाओं को अग्रे प्रदान संविदाओं में परिवर्तित न किया जाए और केवल उतने ही समय की अनमति दी जाए जो सौदे के पूरा होने के लिये नितान्त रूप से आवश्यक हो इसके साथ ही यह भी संकेत किया गया था कि उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये जो उन स्थानों से बहुत दूरी पर हों जहां पर कि ये सौदे होते ह। मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र श्री उ० मू०त्रिवेदी ने तत्क्षण प्रदान संविदाओं और अग्रे प्रदान संविदाओं के बीच भेद को पूर्णतः नहीं समझा है और इस लिए उन्होंने ये शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें श्रेष्ठि-चत्वरों के कार्यकरण के संबंध में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है। यह एक बहुत ही जटिल विषय है। जिन लोगों ने श्रेष्ठि-चत्वरों के कार्यकरण का अध्ययन किया है वे तत्क्षण प्रदान संविधाओं और अग्रे प्रदान संविदाओं के बीच भेद को आसानी से समझ सकते हैं।

इसके बाद यह जानना चाहते थे कि इसमें ये दण्ड क्यों हैं। यदि उन्होंने वायदा बाजार अधिनियम को देखा होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि वैसे ही उपबन्ध उसमें हैं। हमने उन धाराओं को ले लिया है जो इस विधेयक के लिये उपयुक्त हैं। वहां पर भी कुछ उपबन्धों के विमर्शित अतिक्रमण के गम्भीर मामलों में अपराध को हस्तक्षेप बनाया गया है। उदाहरणार्थ विकल्प, जिनकी श्री भवन जी ने चर्चा की थी, यदि विकल्प में कुछ सौदा हो तो हमने उसे वैध करार दिया है और इसलिये दण्डनीय है। उन मामलों में अपराध हस्तक्षेप है। हमें यह भी समझ लना चाहिये कि ऐसे मामलों में वारंट के बिना, मामले की छान बीन किये बिना, अपने अधिकार में ऐसी पर्याप्त साक्षी के बिना पुलिस तुरंत ही गिरफ्तारी नहीं कर सकती ह कि उस व्यक्ति ने अधिनियम के कुछ उपबन्धों का अतिक्रमण किया है जो कि विधेयक के किसी न किसी उपबन्धों के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। जहां तक छोटे मामलों का संबंध है यदि प्रतिनियोक्ता तथा प्रतिनियोक्ता के बीच या प्रतिनियोक्ता तथा अभिकर्ता के बीच सौदों के संबंध में कोई अपराध हो तो उन्हें हस्तक्षेप नहीं बनाया गया है। हम चाहते थे कि भारत सरकार की मंजूरी से अभियोजन हों। संयुक्त समिति ने, अत्यन्त अनुराग से और उचित ही कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा था यदि, आप इस अधिनियम को कठोरता से लागू करना चाहते हैं, यदि आप श्रेष्ठि-चत्वरों का स्वस्थ विकास चाहते हैं तो गम्भीर उल्लंघनों को गम्भीरता से लेना होगा उन्हें हस्तक्षेप बनाना होगा और कारावास का दण्ड देना होगा। २४ अगस्त, १९५३ के लगभग लागू किये गये वायदा बाजार अधिनियम के कार्यकरण को यदि आप देखें तो पिछले ३ वर्षों से ये उपबन्ध लागू हैं और उस अधिनियम के अधीन अधिकारों के कुप्रयोग के संबंध में हमें अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिय इन अधिकारों को लेने के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वे निराधार हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री ग० ध० सोमानी ने कुछ बातें कही थीं। वह भी यहां नहीं हैं। तथापि में उनकी कुछ बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह एक

आवश्यक विधान है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इसकी कुछ समय पहले से आवश्यकता थी उन्होंने सामान्य निबन्धनों में विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने केवल दो या तीन बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा था कि श्रेष्ठि-चत्वरों का कार्यकरण स्वायत्तशाली होना चाहिये। हम पहले ही कह चुके ह कि यह हमारी इच्छा है और श्रेष्ठि-चत्वरों के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। हम दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिये इन अधिकारों को उपयोग नहीं करना चाहते हैं। बल्कि हम एक रूपी आधार पर सभी श्रेष्ठि-चत्वरों का एक स्वरूप विकास देखना चाहते हैं। हमने ये अधिकार लिये है ; उन्हें कठिनाइयों में डालने के लिये या श्रेष्ठि-चत्वरों के विकास के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिये इन अधिकारों को उपयोग करने का हमारा कोई विचार नहीं है। बल्कि हम आपात के मामलों में उपयोग के लिये नियंत्रण तथा विनियमन संबंधी इन अधिकारों को अपना रहे हैं। मेरे माननीय मित्र श्री उ० मू० त्रिवेदी ने कहा था कि 'आपात' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी व्याख्या कैसे की जाये। श्रेष्ठि-चत्वरों के कार्यकरण को जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति तुरंत ही समझ सकता है कि आपात क्या होता है। अचानक ही मन्दा लगने की कार्यवाहियां हो सकती हैं। कुछ इच्छित दल इकट्ठे हो सकते हैं और कीमतों को नीचे गिरा सकते हैं। यह देश की अर्थ व्यवस्था के लिये एक विक्षोभ होगा यदि कीमतों को अनुचित रूप से बहुत ही नीचे गिरा दिया जाये तो हमें बीच में पड़ना होगा। अंशभागियों के लिये कठिन परिस्थिति उत्पन्न की जा सकती ह। कुछ धनी व्यक्ति मिलकर व्यवसाय संघ बना सकते हैं और दामों को ऊंचा उठा सकते हैं और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें पूंजी लगाने वाली जनता का कल्याण जोखिम में हो जाए। हमें हस्तक्षेप करना होगा यह एक आपात है। व्यावहारिक ज्ञान तुरंत ही मालूम कर लेगा कि आपात क्या है और क्या नहीं है। जिस प्रकार से मेरे माननीय मित्र श्री उ० मू० त्रिवेदी चाहते हैं उस प्रकार से आपात की परिभाषा आवश्यक नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री ग० ध० सोमानी ने तीन सरकारी मनोनीत व्यक्तियों के लिये जाने पर आपत्ति की थी। यदि वह उस धारा को देखें तो उन्हें मालम होगा कि हमने तीन से अधिक व्यक्तियों को नाम निर्देशन न करने का अधिकार लिया है। मूल विधेयक में ऐसा नहीं था। संयुक्त समिति ने वास्तव में यह कह कर संख्या कम कर दी है क तीन से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम सदैव तीन निदशकों का नाम निदशन करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम एक व्यक्ति का मनोनय करेंगे। उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं ह। यदि आवश्यक हो तो हम दो या अधिकाधिक तीन व्यक्ति नाम निर्देशित करेंगे। वहां १२ या १५ निदेशक होंगे। निश्चय ही ये तीन निदेशक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे केवल श्रेष्ठि-चत्वर के कार्यकरण की देखभाल करेंगे कार्य कैसा हो रहा है इस बंध में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। विनियमन तथा नियंत्रण करने में सरकार का हित केवल जन हित है, पंजी लगाने वाली जनता का हित है, देश की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में, देशके औद्योगीकरण में, अंशों के क्रय विक्रय के उपयोगी ढंग के उबपन्ध द्वारा जहां मूलधन प्राप्त करना होता है वहीं समवायों के संगठन में वे अपना कार्य उपयोगी रूप से करते ह, यह देखना है, ताकि वे अपनी बचत को पूंजी लगाने के काम में लगा सकें। इसीलिये हम ने निदेशकों की संख्या के संबंध में कहा है कि तीन से अधिक नहीं होगी, जैसा कि मेरे मित्र श्री भवन जी ने संकेत किया था मुझे विश्वास ह कि यह पूर्णतः आवश्यक है। बीते दिनों में भी जहां कहीं भी सरकार के मनोनीत व्यक्ति रहे हैं उन्होंने इन चत्वरों के कार्यकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिए यथार्थतः हमने बहुत विस्तृत अधिकार नहीं लिए हैं और अनुभव से यह आवश्यक देखा गया है कि निदेशकों के बोर्ड में इस प्रकारके मनोनीत व्यक्ति होने चाहिये ताकि सरकार अपने मनोनीत व्यक्तियों के द्वारे श्रेष्ठि-चत्वरों के कार्यकरण से बराबर सम्पर्क बनाय रख सके।

उन्होंने शासी निकायों के अवक्रमण संबंधी अधिकार पर भी आपत्ति की है। उन्होंने कहा है हम उनका अवक्रमण क्यों करे। आप केवल नए चुनावों का आदेश दे सकते हैं। यदि वह उस धारा को देखें तो उन्हें मालम होगा कि यह धारा अनुज्ञेय है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही वे अवक्रमित हो जायेंगे। सरकार उनकी बात सुनेगी और यदि सरकार को विश्वास हो जाये कि वे अपने काम में

[श्री० म० च० शाह]

सुधार कर सकते हैं तो सरकार को किसी भी शासी निकाय के अवक्रमण से प्रसन्नता न होगी। मूलतः यह उपबन्धित था कि कारण बतलाने की एक सूचना दी जानी चाहिये परन्तु यहां यह कहा गया है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिय। मेरे विचार म अब इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

उन्होंने स्थायी परामर्शदात्री परिषद् के प्रश्न को भी उठाया और उन्होंने वित्त मंत्री का यह कथन भी उद्धत किया कि वे समवाय विधि के प्रशासन के साथ, व्यवसाय. उद्योग और स्टॉक एक्सचेंजों जसे कई हितों द्वारा नाम निर्देशित एक स्थायी परामर्शदात्री परिषद् को सम्बद्ध करना चाहते थे। हां, हम यह अवश्य चाहते हैं कि इस अधिनियम का प्रशासन सहायक बने। इसका प्रशासन मानवता के दृष्टिकोण से किया जायेगा और उसका उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंजों के अधिकारियों को समुचित रूप से अपना विकास करन और जसी उनसे आशा की जाती है, उपयोगी ढंग से कार्य करने में सहायता देना ही होगा। इसलिये, हम आज भी वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन से पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य शायद मुझसे इससे और अधिक की आशा नहीं करेंगे।

श्री साधन गुप्त का विचार कुछ ऐसा है कि इस विधेयक के अधिनियम के रूप में पारित हो जाने पर इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसकी हम आशा करते हैं। वे चाहते हैं कि हम इससे भी आगे बढ़कर इस बदले या वायदे के इन सौदों को पूरी तौर से हटा दें। वे चाहते हैं कि इस निरंक हस्तांतरण को पूर्ण रूप से हटा दिया जाये ; लेकिन तब तो हमें यही कहना चाहिये कि हमें वायदे के सौदों के समझौतों के लिये हमें इन स्टॉक एक्सचेंजों की बिलकुल आवश्यकता नहीं है। एक ओर तो यह कहा गया है कि और ठीक ही कहा गया है, कि विनियोजन करने वालों को उद्योगों में विनियोजना करने के लिये कुछ क्षेत्र ढूंढने की सुविधा जुटाने के हेतु यह आवश्यक है कि स्टॉक और प्रतिभूतियों में वायदे के बाजार को कायम रखा जाये। हम देश का औद्योगीकरण शीघ्रता से करना चाहते हैं, और मेरे विचार में देश के लिये यह अच्छा होगा कि यदि हम इन स्टॉक एक्सचेंजों को सरकार के विनियमन और नियंत्रण के अधीन ठीक तरह से कार्य करने दें।

जहां तक निरंक हस्तांतरणों का सम्बन्ध है मैं इस पर विचार करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय कह ही चुका हूं कि यह एक बड़ी उलझी हुई समस्या है। इस प्रश्न के दो पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निरंक हस्तान्तरण वाले वायदे के सौदे नहीं होने चाहिये, और कुछ अन्य कहते हैं कि ये आवश्यक हैं। इस संबंध में प्रतिवेदित करने वाली गोरवाल समिति में भी बड़ा गहरा मतभेद था और इसीलिये हमने यही ठीक समझा है कि स्वयं अधिनियम में ही इसके संबंध में कोई उपबन्ध न रखा जाये और नियमों तथा विनियमों को बनाने की शक्ति ही अभी प्राप्त की जाये। नियमों तथा विनियमों को बनाते समय हम इस प्रश्न पर सावधानी से विचार करेंगे। हम स्टॉक एक्सचेंजों, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के अधिकारियों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे जिससे कि स्टाक एक्सचेंजों के विकास को हानि पहुचाये बिना ही निरंक हस्तान्तरणों वाले वायदे के सौदों से होने वाली कथित गड़बड़ी को भी दूर किया जा सके। समिति ने भी परामर्श के रूप में अपने प्रतिवेदन में यही कहा है कि सरकार को इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये और बाजार में निरंक हस्तान्तरण के इन सौदों को हमेशा के लिये नहीं चलने देना चाहिये, और इसके लिये छः महीनों की या कुछ ऐसी अवधि निश्चित कर दी जानी चाहिये। लेकिन यह सब तो समूचे प्रश्न के पूर्ण रूपेण अध्ययन के बाद ही किया जा सकता है और इसी समय उसके संबंध में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं जिससे कि स्टॉकों, अंशों और प्रतिभूतियों के व्यवसाय के समुचित विकास में बाधा पड़े।

मेरे मित्र श्री भवन जी ने पूर्ण रूप से हमारा समर्थन किया है। वे केवल विकल्पों के बारे में जानना चाहते थे, और यह भी जानना चाहते थे कि क्या एक अधिसूचित क्षेत्र में एक ही स्टॉक एक्सचेंज रहेगा या एक से अधिक। यह स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि एक अधिसूचित क्षेत्र में केवल एक ही स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, लेकिन हम बड़ी सद्भावना से इस बात का प्रयास करेंगे कि यदि वहां एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हों तो उनको एक ही में मिला दिया जाये। इसलिये, हमने

इसकी देखभाल करने की शक्ति भी अपने हाथ में ले ली है कि सदस्यता केवल उन तक ही सीमित न रहे जो मान्यता दी जाने वाले स्टॉक एक्सचेंजों के वर्तमान सदस्य हैं। हमने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की है कि स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों द्वारा सरकार से मान्यता दिये जाने की प्रार्थना करने पर हम उस की कुछ सदस्यता भी विहित करेंगे। हम स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान सदस्यों के लिये किसी एकाधिकार का उपबन्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उन सभी योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को जो स्टॉक एक्सचेंजों के दलाल बनना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं शर्त केवल यही है कि उन्हें नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित शर्त और अर्हतायें स्वीकार करनी चाहिये। मुझे आशा है कि श्री भवनजी को इससे संतोष हो जायेगा

विकल्पों के संबंध में, उन्होंने कहा था कि वे विकल्पों के अवैध घोषित किये जाने के पक्ष में थे। उनका कहना बिलकुल ठीक था कि विकल्पों को अवैध करार दिया जाना चाहिये और उसके लिये एक वर्ष तक का दण्ड भी होना चाहिये। मैं दण्ड की इस अवधि को और भी अधिक रखना चाहता था। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति इस विकल्प के व्यवसाय को कर रहे हैं। मेरे विचार में तो विकल्प का व्यवसाय जुए के अलावा और कुछ भी नहीं है, और जुए को हर कीमत पर मिटा देना चाहिये। मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि इस विधेयक के अधिनियम के रूप में पारित हो जाने पर और उसके प्रशासित होने पर, भारत सरकार बड़ी ईमानदारी से यह प्रयास करेगी कि विकल्पों के व्यवसाय को समाप्त कर दिया जाये और इसमें भाग लेने वाले व्यवसायियों को उचित दण्ड दिया जाये, जो गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा भी हो सकता है। जब तक हम यह नहीं करते, तब तक विकल्पों का यह व्यवसाय हमेशा ही चलता रहेगा।

विकल्पों को विनियमितपर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे विचार से पूर्ण रूप से जुआ ही है। इसलिये, विनियमति रूप में भी विकल्पों के व्यवसाय को रहने देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी अनुमति देना तो जुए को अनुमति देना है। मुझे विश्वास है कि समूची लोक सभा मेरी इस बात का समर्थन करेगी कि हम स्टॉक एक्सचेंजों में विकल्पों के व्यवसाय के रूप में चलने वाले जुए की अनुमति नहीं दे सकते। वायदे के बाजार के मामले में उसे अवैध और दण्डनीय घोषित कर ही दिया गया है। तब, कोई कारण नहीं है कि एक्सचेंजों में विकल्पों का व्यवसाय करने वालों पर क्यों मुकदमे न चलाये जायें। जहां तक कि प्रतिभूतियों और अंशों से संबंधित समझौतों का संबंध है, मेरा विचार है कि इस विधेयक के अधिनियम के रूप में पारित हो जाने पर प्रशासन विकल्पों के इन सभी व्यवसायियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सभी सम्भव और आवश्यक कार्यवाही करेगा। मैंने चर्चा के दौरान में उठायी गयी विभिन्न बातों का उत्तर दे दिया है और उनकी व्याख्या कर दी है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, इस विधेयक पर विचार करने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रयाधिकार के विकल्प पर रोक लगा कर, उसके व्यापार को विनियमित करके, प्रतिभूतियों के अवांछनीय लेन-देन पर रोक लगाने वाले तथा उससे संबंधित कुछ अन्य मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब लोक सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी :

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ५ तक विधेयक का अंग बनें।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड २ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**खण्ड–६ (केंद्रीय सरकार का सावधिक विवरणियाँ आदि मांगने का अधिकार)**

†**श्री म० च० शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति ३४ के अन्त में शब्द "Whether directly or indirectly". ["प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से"] जोड़ दिये जायें ।

हमने इस खंड के उपखंड (४) में यह व्यवस्था की है कि जहां भी किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में उसके किसी सदस्य के मामलों की जांच पड़ताल शुरू की जाये, वहां उस स्टॉक एक्सचेंज के प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक , सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी आदि को जो भी जानकारी उसे होगी उसकी सूचना वहां जाकर देनी पड़ेगी ।

कभी-कभी कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें कुछ दलालों के प्रयत्न से भी निग्रहण या एकाएक मन्दीकी स्थिति पैदा कर दी जाती है । कई बार ऐसा भी होता है कि वास्तव में जो अपराधी होते है वे छुपे रहते हैं । वे अपना नाम नहीं देते परन्तु अन्य सब नामों का पता लगाने का प्रयत्न करते हैं । इसलिये हमने यह उपबन्ध किया है कि जब भी कभी हम स्टॉक एक्सचेंज के मामलों के बारे में अथवा उससे सम्बद्ध किसी सदस्य के बारे में जांच करें तो उससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्ति आकर जानकारी दें । हम उन सब व्यक्तियों को पकड़ना चाहते हैं जो निर्दोष दिखाई देते हैं परन्तु जो वास्तव में अपराधी होते हैं । इसी उद्देश्य से हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ५ पंक्ति ३४ के अन्त में ये शब्द "Whether directly or indirectly." ["प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से"] जोड़ दिये जायें ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खंड ७, विधेयक में जोड दिया गया ।**

**खंण्ड ८ (केन्द्रीय सरकार की नियम बनाये जाने के लिये आदेश देने अथवा नियम बनाने की शक्ति)**

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ६, पंक्ति २८ में

शब्द "the Indian Companies Act, 1913" ["भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३"] के स्थान पर शब्द "the Companies Act, 1956" ["समवाय अधिनियम, १९५६"] रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६, पंक्ति २८ में

शब्द "the Indian Companies Act, 1913" ["भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३"] के स्थान पर शब्द " the Companies Act, 1956 " ["समवाय अधिनियम, १९५६"] रखा जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड ८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड ९ (मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की उपनियम बनाने की शक्ति)**

†**डा० ज० न० पारेख :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति १ से ३ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"(cc) The submission to the Central Government by the clearing house as soon as may be after each periodical settlement of all or any of the following particulars as the Central Government may from time to time require, namely:—"

["(क) समय समय पर जब भी केन्द्रीय सरकार मांग करे तो सभाशोधन गृह सभी अथवा इनमें से किन्हीं विवरणों का सार्वजनिक निबटारा करने के तुरंत पश्चात उसे केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखे अर्थात्.....".]

(२) पृष्ठ ७, पंक्तियां ११ और १२ हटा दी जायें

(३) पृष्ठ ७, पंक्ति १२ के पश्चात यह अंग जोड़ दिया जाये :

"(cc) The publication by the oelaring house of all or any of the particulars submitted to the Central Government under clause (c) subject to the directions, if any, issued by the Central Government in this behalf."

["(गग) खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखे गये सभी मामलों का अथवा उनमें से किसी एक का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सभाशोधन गृह द्वारा प्रकाशन ;"]

†**श्री म० च० शाह :** हम इन संशोधनों को स्वीकार करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न ये है की—

पृष्ठ ७, पंक्ति १ से ३ पर यह रखा जाये :—

"(c) The submission to the Central Government by the clearing house as soon as may be after each periodical settlement of all or any of the following particulars as the Central Government may from time to time require namely:—"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

["(ग) समय समय पर जब भी केन्द्रीय सरकार मांग करे तो सभाशोधन गृह सभी अथवा उनमें से किसी एक विवरणों का सावधिक निबटारा करने के तुरन्त पश्चात् उसे केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखे अर्थात ....."]

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

पृष्ठ ७, पंक्तियां ११ और १२ हटा दी जायें ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति १२ के पश्चात यह अंश जोड़ दिया जाये :

"(cc) The publication by the clearing house of all or any of the particulars submitted to the Central Government under clause (c) subject to the directions, if any, issued by the Central Government in this behalf."

["(गग) खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखे गये सभी मामलों अथवा उनमें से किसी एक का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये निदेशों यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सभाशोधन गृह द्वारा प्रकाशन ;" ]

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि खण्ड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड ९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

"कि खंड १० से २० तक विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड १० से २० तक विधेयक में जोड़ दिये गये**

**खण्ड २१ (सार्वजनिक समवायों द्वारा प्रतिभूतियों की सूची बनाने के लिये बाध्य करने की शक्ति)**

**संशोधन किया गया :**

पृष्ठ १३, पंक्ति ३७ में

"The Indian Companies Act, 1913" ["भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३"] स्थान पर "The Companies Act, 1956" ["समवाय अधिनियम, १९५६"] रखा जाये । **(श्री ब० रा० भगत)**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड २१, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खण्ड २२ से २६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**खण्ड २७ (लाभांश का अधिकार)**

†**श्री म० च० शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १६--

(१) खंड २७ को उस खंड के उपखंड (१) के रूप में पुनः अंकित किया जाये ।

(२) पंक्ति १६--शब्दों " who claims the dividend lodges the security" ["जो व्यक्ति लाभांश की मांग करे वही प्रतिभूति जमा कराये" ] के स्थान पर "who claims the dividend from the transfer has lodge the security"

["जो हस्तान्तरिती से लाभांश का दावा करता है उसने प्रतिभूति जमा कर दी है" ] शब्द रखे जायें ।

(३) पंक्ति २० से २४ निकाल दी जायें ; और

(४) पंक्ति ३५ के पश्चात् यह जोड़ा जाये :

"(2) Nothing contained in sub—section(1) shall affect —

(a) the right of a company to pay any dividend which has become due to any person whose name is for the time being registered in the books of the company as the holder of the security in respect of which the dividend has become due; or

(b) the right of the transferee of any security to enforce against the transferer or any other person his rights, if any, in relation to the transfer in any case where the company has refused to register the transfer of the security in the name of the transferee".

["(२) उपधारा (१) की किसी बात का—

(क) समवाय के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम उस समय समवाय की पुस्तकों में उस प्रतिभूति रखने वाले के रूप में पंजीबद्ध हो जिस पर लाभांश देय हो गया हो, उस लाभांश का, जो देय हो गया है, भुगतान करने के अधिकार पर, अथवा

(ख) ऐसे मामलों में जिसमें कि समवाय ने प्रत्याभूति के हस्तान्तरण को हस्तान्तरिती के नाम से पंजीबध्द करने से इन्कार कर दिया हो, तो किसी भी प्रत्याभूतिको हस्तान्तरिती के हस्तान्तरक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अपने हस्तान्तरण संबंधी अधिकारों को, यदि कोई हों तो, लागू करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।"]

विधेयक की पुरःस्थापना करते समय मैंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया था । मूल विधेयक में इस आशय का एक खंड था कि जिस व्यक्ति के नाम कोई शेयर, स्कंध अथवा प्रतिभूति हो वह लाभांश

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री म० च० शाह]

के लिये दावा कर सकता है और उस को यह लाभांश दिया जा सकता है बशर्ते कि हस्तान्तरिती ने उस लाभांश के मिलने की तिथि से पहले अपने प्रलेख कम्पनी को न भेज दिये हों। इसमें कई कठिनाइयां थीं। यह कहा गया कि इससे कम्पनियों पर प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में कम्पनियों को उन व्यक्तियों को लाभांश देने का पूर्ण अधिकार है जिनके नाम पर किसी प्रकार का शेयर, स्कन्ध अथवा प्रतिभूति आदि है। इसलिये, इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही हमने यह कहा है कि कम्पनी लाभांश देने की अधिकारी होगी और साथ ही हमने हस्तान्तरिती के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा है।

अब यह चीज होगी। मान लीजिये 'क' किसी कम्पनी का पंजीबद्ध शेयरधारी है। उसने 'ख' को एक निरंक हस्तान्तरण द्वारा अपना शेयर बेच दिया है। अब वह कम्पनी उस अंशधारी को लाभांश देगी जिसके नाम से कि वह शेयर होगा। किन्तु जब तक हस्तान्तरिती 'ख' कम्पनी के पास अपने प्रलेख नहीं जमा कर देता है तब तक 'क' लाभांश प्राप्त कर सकता है और रख सकता है।

यह इसलिये किया गया है ताकि निरंक हस्तान्तरणों की अनिश्चित तथा असीमित अवधि को सीमित किया जा सके। क्योंकि जब भी लाभांश की घोषणा की जायेगी तो जिस व्यक्ति के नाम वह शेयर होगा अगर उसको वह लाभांश दे दिया जाता है तो चाहे उसने वह शेयर किसी निरंक हस्तान्तरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी क्यों न दे दिया हो, हस्तान्तरिती को हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति से अपना लाभांश प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, जब तक कि हस्तान्तरिती ने पहले ही अपना इरादा न प्रकट कर दिया हो अथवा पहले ही अपना हस्तान्तरण विलेख कम्पनी के पास न जमा कर दिया हो और कम्पनी को यह हिदायत न दे दी हो कि अमुक शेयर उसके नाम पर कर दिया जाये। अतः इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि निरंक-हस्तान्तरणों को एक अनिश्चित अवधि तक निरंक न रखा जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री म० च० शाह का उक्त संशोधन संख्या २ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

" कि खंड २७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें "

**खंड २७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया**

**खण्ड २८ से ३१, खण्ड १ अधिनियम सत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†**श्री म० च० शाह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

हिंदू अवयस्कता, तथा संरक्षकता विधेयक

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दुओं में अवयस्कता तथा संरक्षकता से सम्बद्ध विधि से कतिपय मांगों का संशोधन करने और उनको संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह एक बड़ा सरल सा विधेयक है। और हिन्दू संहिता विधेयक का सरलतम भाग है। हम इस समय तक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम को पारित कर चुके हैं।"

इस विधेयक में जो संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अतिरिक्त है, हिन्दू-संरक्षकत्व की कुछ विशेष बातों को ज्यों का त्यों बनाये रखने की अपेक्षा की गयी है। जैसा मैं अभी बताऊंगा इस विधेयक के उपबन्ध संरक्षक तथा प्रतिपाल्य के वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों में कुछ और उपबन्ध जोड़ने के लिए है, न कि उसमें कुछ कमी लाने के लिए।

इस सरल विधेयक का इतिहास इस प्रकार है। यह विधेयक ९ अप्रैल, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था और तब उसे प्रवर-समिति को सौंपा गया। इस पर दोनों सभाओं द्वारा विचार किया गया और राज्य सभा ने भी इसे ७ अप्रैल, १९५५ को पारित कर दिया। इसके अन्य भाग महत्वपूर्ण थे, और यह ठीक समझा गया कि यह भाग और दूसरे भाग हिन्दू संहिता पर विचार किये जाने और पारित किये जाने के बाद लिये जायें, इस कारण इसमें विलम्ब हो गया।

इस विधेयक पर विचार किये हुए सभा को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। मैं इसके उपबन्धों पर प्रकाश डालने में अधिक समय नहीं लूंगा। इसमें केवल १३ खंड हैं। प्रथम खंड तो केवल औपचारिक रूप में लिखा गया है। जिस खंड का क्षेत्र से सम्बन्ध है वह भी सामान्य प्रकार का है जो अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में बहुत पहले ही पारित किया जा चुका है।

खंड २ महत्वपूर्ण है। वह विशेषत: लोगों को यह आश्वासन देने के लिये है कि यह विधेयक संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अतिरिक्त कुछ और उपबन्ध पारित करने के लिये है।

खंड ३ का सम्बन्ध इस अधिनियम को लागू करने से है और ऐसा खंड अन्य दो अधिनियमों में भी दिया गया है जिन्हें हमने पारित किया है। अत: इसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

खंड ४ का सम्बन्ध परिभाषाओं से है और वे सब बड़ी सरल हैं। पहले तो नाबालिग की परिभाषा दी गई है जो भारतीय बालिग अधिनियम के अनुसार है। 'नाबालिग' उसे कहा गया है जिसकी अवस्था १८ वर्ष की नहीं हुई है। उस के बाद संरक्षक की परिभाषा दी गई है। संरक्षक की निम्नलिखित श्रेणियां हैं :—प्राकृतिक संरक्षक, नाबालिग की माता अथवा पिता की इच्छा से नियुक्त किये संरक्षक, अदालत द्वारा नियुक्त अथवा घोषित संरक्षक और प्रतिपाल्य, अदालत सम्बन्धी किसी विनियमन के अधीन अधिकृत संरक्षक। वकीलों को पता है कि संरक्षकों की ये ही श्रेणियां हैं। प्राकृतिक संरक्षक हिन्दू विधि की एक विशेषता है जिसकी परिभाषा उपखंड (ग) में दी गई है जिसमें धारा ६ में दिये गये सब संरक्षक आ जाते हैं। खंड ६ में यह बताया गया है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये प्राकृतिक संरक्षक कौन है।

खंड ५, अधिनियम में सर्व प्रभावी है। यह लगभग उसी प्रकार दिया गया है जैसा कि हिन्दू संहिता के अन्य अधिनियमों में है। खंड ६ अत्यन्त सरल है और वह प्राकृतिक संरक्षकों के वर्तमान नियमों के अनुसार है।

अवैध लड़का या लड़की के बारे में मां को प्राकृतिक संरक्षक समझा जाता है और विवाहित लड़की के विषय में उसके पति को समझा जाता है। यह भी उपबन्ध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि हिन्दू न रहे तो उसे नाबालिग का संरक्षक बने रहने का अधिकार नहीं है। हिन्दू विधि में यह उपबन्ध है कि जब कोई हिन्दू अपना धर्म बदल ले तो उसे प्राकृतिक संरक्षक रहने का कोई अधिकार नहीं रहता। इसके बाद उन लोगों के लिये उपबन्ध है जिन्होंने संसार को अन्तिम रूप से त्याग कर सन्यास ले लिया है। हम जानते हैं कि अनेक हिन्दू सन्यास ले लेते हैं। अत: ऐसे लोगों के लिये यह वांछनीय नहीं समझा जाता कि वे नाबालिगों के संरक्षक बने रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि खंड ६ हिन्दू विधि के वर्तमान उबपन्धों के अनुकूल है।

[श्री पाटस्कर]

खंड ७ भी सरल है। इसमें यह उपबन्ध है कि दत्तक पुत्र के विषय में गोद लेने वाला पिता और उसके बाद गोद लेने वाली माता उसकी संरक्षक समझी जाती है। यह भी वर्तमान विधि के अनुकूल है।

खंड ८ में प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों की परिभाषा दी गई है और यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है। हिन्दू नाबालिग के संरक्षक को उसके लाभ के लिये प्रत्येक आवश्यक और युक्तियुक्त कार्य करने का अधिकार है। इस खंड में नाबालिग की सम्पत्ति की रक्षा के लिये उपबन्ध किया गया है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे नाबालिग का संरक्षक हो जिसे अपनी मां की सम्पत्ति प्राप्त हुई हो। मां की मृत्यु के बाद पिता उसका संरक्षक है। वह दूसरा विवाह कर लेता है और उससे उसके बच्चे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षित है कि यदि वह उस सम्पत्ति का अन्य संक्रामण चाहता है तो वह केवल अदालत की अनुमति से ही यह कार्य कर सकता है अर्थात् जब कि अदालत उस मामले की जांच कर ले। मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी इसे स्वीकार करेंगे कि ऐसे अधिकाँश मामलों में नाबालिगों के हित की उपेक्षा की जाती है। अतः इस खण्ड में इस विषय में उपबंध कर दिया गया है।

खंड ८ में प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसी संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम में दी गई है। खंडवार चर्चा के समय हम इस पर और अधिक विचार कर सकते हैं और अभी विस्तार में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

खंड ९ का सम्बन्ध इच्छापत्रीय संरक्षकों से है। हिन्दू पिता को यह अधिकार दिया गया है कि नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक की हैसियत से यदि वह चाहे तो इच्छापत्र द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है किन्तु सम्पत्ति पर यह नियंत्रण रहता है कि वह धारा १२ में निर्दिष्ट अविभक्त से पृथक कोई सम्पत्ति होगी। किन्तु यदि पिता माता से पहले मर जाये तो ऐसी नियुक्ति व्यवहार में न लाई जायेगी। मान लीजिये कि एक नाबालिग है जिसका प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता है। यदि पिता की मृत्यु के बाद माता जीवित रहती है और पिता ने कोई संरक्षक नियुक्त किया है तो ऐसी स्थिति के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि यदि माता किसी संरक्षक को नियुक्त किये बिना मर जाती है तो पिता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ही संरक्षक बनाया जाता है। यह उपबन्ध भी नाबालिग के हितों की रक्षा के लिये एक अच्छा उपबन्ध है। कुछ स्थितियों में इच्छापत्रीय संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार मां को भी दिया गया है। मान लीजिये कि पिता अपना धर्म बदल देता है, तो उसे संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं रहता। ऐसी दशा में यह अधिकार माता को दिया गया है। यह उपबन्ध भी संरक्षक के हित में सिद्ध होगा।

अवैध बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक की हैसियत से माता के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि वह भी इच्छापत्रीय संरक्षक नियुक्त कर सकती है। ये सब बातें सरल हैं और उन के बारे में विवादास्पद विषय नहीं है।

खंड १० भी सरल है। एक नाबालिग दूसरे नाबालिग का संरक्षक नहीं बन सकता। इसका अर्थ स्पष्ट है फिर भी ऐसे उपबन्ध का समावेश आवश्यक समझा गया है।

पिछली बार मैंने कहा था कि व्यावहारिक संरक्षक समाप्त कर दिये गये हैं। इस समय हिन्दू विधि के अन्तर्गत संरक्षकों को मान्यता दी गई है। माननीय सदस्यों को पता है कि ऐसी स्थिति में जब कि किसी नाबालिग के कोई माता पिता, अथवा सम्बन्धी न हों, जो कोई भी उन्हें संभालता है, वह व्यावहारिक संरक्षक होता है। यहां यह उपबन्ध किया गया है कि ऐसे संरक्षक उस नाबालिग की सम्पत्ति के साथ सौदा नहीं कर सकते और न उसे बेच सकते हैं क्योंकि जब तक अदालत की अनुमति न ली जाये, ऐसा करना वांछनीय नहीं है। पहले ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें इसी बात पर बड़ी मुकदमेबाजी हुई कि ऐसी सम्पत्ति को बेचना नाबालिग के हित में है या नहीं। अतः इस उपबन्ध के कारण ऐसी कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी।

खंड १२ संयुक्त परिवार सम्पत्ति में नाबालिग के अविभक्त हित के बारे में है। उस अविभक्त सम्पत्ति का उस स्थिति में कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब कि उस परिवार का कोई वयस्क व्यक्ति सम्पत्ति का प्रबन्धक हो। यद्यपि हमने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पारित कर दिया है, फिर भी हम जानते हैं कि हिन्दुओं में संयुक्त परिवार प्रणाली अभी चलती रहेगी और यह वांछनीय नहीं है कि ऐसे परिवार के वयस्क के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नाबालिग की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किया जाय।

खंड १३ में हमने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब कभी अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को हिन्दू नाबालिग का संरक्षक नियुक्त किया जाय या घोषित किया जाय तो सबसे अधिक ध्यान नाबालिग के हित की ओर दिया जायगा। कहीं कहीं हमें शायद नियमों का पूरा कठोरता से पालन करना पड़े इसीलिये हम ने यह उपबन्ध किया है। यह उपबंध अत्यन्त सरल है और नाबालिगों के हित के लिये किया गया है और इस के साथ प्राकृतिक संरक्षको को भी मान्यता दी गई है जो हिन्दू विधि की एक विशेषता है।

यह विधेयक बड़ा सरल है और इस के उपबंधों पर सभा में विचार किया जा चुका है। इस पर संयुक्त समिति ने भी विचार किया है। इन बातों पर राज्य सभा ने भी भली भांति विचार किया है। मुझे मालूम है कि कुछ खंडों में कुछ बातें दुहराई गई हैं किन्तु मुझे विश्वास है कि हमने दो तीन बार पहले इन सब बातों पर खूब अच्छी तरह विचार किया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इन उपबंधों से पूर्णतया सहमत होंगे। पुरानी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों को दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। पहली तो यह है कि प्राकृतिक संरक्षकों को मान्यता दी गई है जो हिन्दू विधि की एक विशेषता है और दूसरी यह है कि इन व्यावहारिक संरक्षकों को हटाया गया है। मैं समझता हूं कि उन पर अधिक वाद विवाद की जरूरत न होगी। मैं इस विधेयक को सभा द्वारा स्वीकृत किये जाने की सिफारिश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** मैं इस १३ खंडों वाले विधेयक के खंड ५ तथा ६ की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि संसद को इन पर विशेष विचार करना चाहिये। हमने खंड ६ में यह व्यवस्था की है कि एक नाबालिग की सम्पत्ति आदि का प्राकृतिक संरक्षक या तो पिता होना चाहिये तथा पिता के पश्चात माता को प्राकृतिक संरक्षक होना चाहिये। खंड ११ में हम सभी अन्य व्यावहारिक संरक्षकों को हटा रहे हैं इसलिये मेरे विचार से यह कोई सुधार न हो कर एक प्रतिगामी विधान है। मेरे विचार से माता, पिता को प्राकृतिक संरक्षक बनाने से तथा अन्य संबंधियों को संरक्षक न मानने से बहुत कठिनाई होगी। श्रीमती इला पाल चौधरी ने इसे भली प्रकार समझाया है कि अन्य संबंधियों को संरक्षकत्व से हटाने पर, हमारी सामाजिक रूढ़ियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे कभी-कभी नाबालिगों की कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तथा विशेषतया ऐसे मामलों में जब नाबालिगों के पास कोई सम्पत्ति आदि न हो। ऐसे समय में संबंधी अपनी जिम्मेदारी लेने से अलग भागते ही हैं तथा विधान बन जाने से वह और प्रसन्न होंगे। उनका यह कहना कितना ठीक है। बच्चे १५ से १७ वर्ष की आयु के भी हो सकते हैं तथा लड़की को किसी संरक्षक के पास न रहने से कितनी हानि हो सकती है इसलिये बाबा, दादी, अथवा नाना, नानी आदि को भी प्राकृतिक संरक्षक मानना चाहिये।

खंड ११ में आपने दिया है कि इस अधिनियम के लागू होने पर हिन्दू नाबालिग की सम्पत्ति को कोई भी यथार्थ संरक्षक व्यय नहीं कर सकता है। इससे यह होगा कि एक अविवाहित लड़की का, जिसके मां बाप मर गये हैं, १७ वर्ष की हो जाने पर भी कोई विवाह नहीं कर सकता है। मेरे विचार से यह उचित उपबन्ध नहीं है। पुरानी रूढ़ियों तथा अधिकारों को नष्ट-भ्रष्ट करना उचित

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

नहीं है। विदेशों में, राज्य, राजा अथवा महान्यायवादी संरक्षक नियुक्त करता है। ऐसी व्यवस्था यहां नहीं रखी गई है। ऐसी दशा में क्या होगा जब दोनों प्राकृतिक संरक्षकों में से एक मर जाता है तथा दूसरा ऐसी हालत में नहीं है कि प्राकृतिक संरक्षक रह सके ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा है कि विधेयक के अनुसार पांच वर्ष तक नाबालिग की देखभाल माता करेगी परन्तु यह आयु १२ वर्ष होनी चाहिये। मेरा भी विचार है कि पांच वर्ष की आयु उचित नहीं है इसको बढ़ाना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि भारत में, धर्म-परिवर्तन होने पर संरक्षकता के अधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री का यह कहना ठीक ही है कि धर्म परिवर्तन के पश्चात कोई भी व्यक्ति हिन्दू नाबालिगों का संरक्षक नहीं हो सकता है।

खंड ८ में प्राकृतिक संरक्षक के अधिकारों पर बहुत अधिक नियंत्रण लगाया गया है। मेरा विचार है कि माता पिता के अधिकारों पर नियंत्रण लगाना अनुचित है। पिता की मृत्यु के पश्चात माता, पुत्री के विवाह के लिये अपनी अचल सम्पत्ति गिरवी भी नहीं रख सकती है, जब कि यह उसका बड़ा आवश्यक कार्य है। मान लीजिये कि सम्पत्ति पांच लाख के मूल्य की है और लड़की का विवाह करना है तब भी माता न तो सम्पत्ति को गिरवी रख सकती है, न उसका कोई भाग बेच सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बात शायद यह हो सकती है कि अब जब लड़की का भी सम्पत्ति में हिस्सा है तब उसके विवाह पर क्यों खर्च किया जाये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : लड़की के विवाह में फिर भी कुछ व्यय करना ही पड़ता है।

आज अदालती संरक्षक बिना अनुमति के १० अथवा १०० रुपया भी सम्पत्ति पर नहीं ले सकता। अनुमति लेने में बहुत धन व्यय करना पड़ता है तथा समय भी बहुत लग जाता है। क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है कि न्यायालय, माता, पिता से भी अधिक नाबालिग का ध्यान रख सकता है ? मेरा विचार है कि यह व्यवस्था माता पिता के लिये ठीक नहीं है।

संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम लागू है। अब एक और विधान भी बनाया जा रहा है। दोनों में आपस में कोई उलझन भी कभी हो सकती है। अतः सम्पूर्ण व्यवस्था पर विचार करना चाहिये।

श्री मोरे ने कहा कि न्यायालय की पूर्वानुमति लेने से न्यायालय का कार्य बढ़ जायगा। न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति से यही धारणा होगी कि यह अवयस्क के लाभ के लिये है तथा इसका विरोध करने वालों को यह सिद्ध करना होगा कि यह उसके लाभ के लिये नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यदि अधिक समय लेना चाहते हैं तो कल को जारी रखें।

**इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार १७ जुलाई, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

# दैनिक संक्षेपिका

## [सोमवार, १६ जुलाई, १९५६]

पृष्ठ

**स्थगन प्रस्ताव** . . . . . १–२

देश में बाढ़ों से उत्पन्न संकट के बारे में श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी क्योंकि योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री ने शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कुछ ही दिनों में एक वक्तव्य देने का वायदा किया।

संसद् भवन के आसपास के क्षेत्र में सभाएं करने अथवा प्रदर्शनों एवं जुलूसों के निकालने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में १५ जुलाई, १९५६ को दिल्ली के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश के बारे में श्री म० शि० गुरुपादस्वामी द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय स्थगित रखा।

**सभा-पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . २–४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत व्याख्यात्मक टिप्पण सहित अधिसूचना संख्या ए० आर० १९३७(१७), दिनांक ७ अप्रैल, १९५६ की एक प्रति।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम,१९५१ की उपधारा १६ की उपधारा(२) के अन्तर्गत निम्न पत्रों में से प्रत्येक की एक प्रति, अर्थात् :–

(१) कैलशियम कार्बाइड उद्योग, १९५६ को सहायता अथवा और संरक्षण के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या ३७(१) टी० बी०। ५६ दिनांक ३० जन,१९५६।

(३) उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से प्रत्येक की प्रति निर्धारित समय में क्यों नहीं रखी जा सकी, इसके कारणों की व्याख्या करते हुए प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के परन्तुक के अन्तर्गत विवरण।

(३) चाय नियम, १९५४ में कतिपय अग्रेतर संशोधन करते हुए चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४७६, दिनांक ३० जून, १९५७ की एक प्रति।

(४) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचना संख्या ई० वी०–११ (६)।५५ दिनांक १८ जनवरी, १९५६ की एक प्रति।

(५) संसदीय कार्य विभाग, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३५६, दिनांक १६ जून, १९५६ में प्रकाशित संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ की धारा ११ की उपधारा (२) के अन्तर्गत संसद् के पदाधिकारी (यात्रा तथा दैनिक भत्ते) नियम, १९५६ की एक प्रति।

(६) फल उत्पाद आदेश, १९५५ में कतिपय संशोधन करने वाले अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १२५०, दिनांक १९ मई, १९५६ की एक प्रति।

(७) भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर चर्चा के दौरान १८ सितम्बर, १९५४ को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ३४ (१क) के अन्तर्गत निबटाये गये मामलों की ३१ मई, १९५६ तक की प्रगति के विवरण की एक प्रति।

(८) वित्त विधेयक, १९५३ पर चर्चा के दौरान १८ अप्रैल, १९५३ को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६–क के अन्तर्गत छुट दिये गये सार्थों की सूची।

(९) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) अधिसूचना संख्या ३–सी० ई० आर०। ५६, दिनांक १९ मई १९५६

(२) अधिसूचना संख्या ४ – सी० ई० आर०। ५६, दिनांक २ जून, १९५६

(३) अधिसूचना संख्या ५ – सी० ई० आर०। ५६, दिनांक ९ जून, १९५६

(४) अधिसूचना संख्या ६ – सी० ई० आर०। ५६, दिनांक ९ जून १९५६

(५) अधिसूचना संख्या ७ – सी० ई० आर०। ५६, दिनांक १६ जून, १९५६

(१०) मद्रास चावल मिल अनुज्ञापन आदेश, १९५५ में कतिपय संशोधन करते हुए अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३२६, दिनांक ३१ मई, १९५६ की एक प्रति।

**विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति** . . . . . ४–५

सचिव ने लोक सभा को बताया कि संसद् के सदनों द्वारा बारहवें सत्र में पारित निम्न विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है क्योंकि पिछले बार २८ मई, १९५६ को लोक सभा को उनके बारे में रिपोर्ट दी गई थी :—

(१) संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९५६

(२) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक, १९५५

(३) भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५६

(४) लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

(५) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक, १९५६

(६) त्रावणकोर-कोचीन राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५६

(७) हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १९५४

(८) जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६

**संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित** . . . . . ५

राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये।

**विधेयक पुरःस्थापित** . . . . . ५–६

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

**प्रतिलिप्यधिकार विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत** . ७, ८–१९

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य-सभा द्वारा की गई सिफारिश से सहमति प्रस्ताव पर, जो १२ मार्च, १९५६ को प्रस्तुत किया गया था, और आगे चर्चा आरम्भ हुई तथा प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

**विधेयक पारित** . . . . . १९–४०

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया गया। खण्डवार विचार आरम्भ किया गया तथा विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

**विधेयक विचाराधीन** . . . . . ४०–४४

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और विधेयक पर विचार समाप्त नहीं हुआ।

**मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६ के लिये कार्यावलि—**

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक पर और आगे विचार।

---

भा० स० मु० नासिक—वि०३—१९१ लोक सभा १६–७–५७—१९०